

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

2

No. 201-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, NOVEMBER 30, 2018 (AGRAHAYANA 9, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 नवम्बर, 2018

संख्या 3/12/2018—आर—II.— हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उप—विधियां, 2018 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 70 की उप—धारा (1) के खण्ड (xv) के साथ पठित धारा 200 के खण्ड (त) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 216 के अधीन यथा अपेक्षित उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करने का प्रस्ताव करते हैं जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अविध की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् सरकार, प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों सिहत, यदि कोई हों, जो प्रधान सिचव, हिरयाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से निम्नलिखित प्रारूप उपविधियों के संम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप उप-विधियां

1 (1) ये उप-विधियां हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उप-विधियां, 2018, कही जा सकती हैं।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

- (2) ये उप-विधियां राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।
- (3) ये उप-विधियां हरियाणा राज्य में सभी नगर परिषदों और नगर समितियों में लागृ होंगी।
- (1) इन उप–विधियों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

परिभाषाएं।

- (i) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24);
- (ii) 'अभिस्वीकृति ओ.एम.डी' से अभिप्राय है, बाहरी मीडिया यन्त्र, जो ऐसी सरंचना के प्रबन्ध या रख—रखाव के बदले में सड़क बिन्दु अथवा राउण्डअबाउट पर किसी विज्ञापन का प्रदर्शन करने के लिए अभिकरण को स्वीकृति देता है;
- (iii) "विज्ञापन" से अभिप्राय है, बहिष्कृत मीडिया के अध्यधीन विनियमित क्षेत्र में मीडिया यन्त्र पर प्रदर्शित तथा भूमि के किसी स्थान, भवन, आकाशी क्षेत्र, जल से जन साधारण को दृष्टिगोचर तथा/या सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक गली से दृष्टिगोचर कोई शब्द, या उसका संकेत—चिह्न, अक्षर, लोगो, प्रतीक, संकेत, अंक, चित्र, झाईंग द्वारा कोई प्रदर्शन या अन्य सचित्र प्रदर्शन या प्रकाश या ध्विन;

- (iv) "विज्ञाप्ति" से अभिप्राय है, किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने का कार्य या प्रक्रिया;
- (v) "अभिकरण" से अभिप्राय है, कोई आवेदक या कम्पनी जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का प्रदर्शन करने के आशय से कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन कोई रिजस्टर्ड धर्माथ संगठन, फर्म, साझेदारी या कोई निगमित कम्पनी;
- (vi) "सूचना पट्ट/होर्डिंग" से अभिप्राय है, किसी विज्ञापन पट्ट के रूप में विज्ञापन के लिए स्पेस सहित बाहरी मीडिया यन्त्र तथा जहां ऐसा पट्ट या तो भूमि या भवन पर किसी संरचना पर उसके आधार सहित तैयार किया गया है:
- (vii) "भवन लाइन" से अभिप्राय है, लाइन जिस तक किसी भवन की कुरसी विधिवत उस तरफ बढ़ाई जा सकती है, जो गली या गली का विस्तार या गली के आगामी निर्माण के लिए आबंटित (ईयरमार्क) या आरक्षित भूमि की पट्टी के साथ लगती है तथा ऐसी लाइन, अधिकारिता या शक्ति रखने वाले सरकारी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना या समन्वय योजना या स्कीम में वर्णित है;
- (viii) "वाहन मार्ग" से अभिप्राय है, पक्के भाग में आने वाली सडक की चौडाई;
- (ix) "वाणिज्यिक भवन" से अभिप्राय है, कारबार, व्यापार या वाणिज्य के लिए पूर्णतः या भागतः प्रयुक्त या निर्मित या प्रयुक्त किये जाने के लिए अंगीकृत या प्रयुक्त किये जाने के लिए आशयित कोई भवन;
- (x) **"विनियमित क्षेत्र**" से अभिप्राय है, इस उपविधि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नगरपालिका क्षेत्र की अधिकारिता में आकाशी क्षेत्र सहित भौगोलिक क्षेत्र;
- (xi) **"प्रदर्शन"** से अभिप्राय है, स्पेस, जिस पर विज्ञापन लगाया गया है, को ध्यान में रखे बिना जनसाधारण को दृष्टिगोचर कोई विज्ञापन;
- (xii) "गँत्री" से अभिप्राय है, सड़क के आर-पार तथा सामान्यतः विज्ञापन सहित सड़क के आर पार पिलरों के सिरों को जोड़ने वाले बीम (शहतीर) के रूप के अनुभाग सहित सड़क के दोनों तरफ स्थिर धातु अनुभाग का बना हुआ पिलर;
- (xiii) **"गँत्री विज्ञापन"** से अभिप्राय है, यातायात के परिचालन के विपरीत अग्रभाग पर किसी विज्ञापन का प्रदर्शन करने वाली गँत्री;
- (xiv) 'ग्राउन्ड ओ.एम.डी.' से अभिप्राय है, स्वतः विज्ञापन के प्रयोजन के लिए, किसी भवन से अलग, अस्थाई ढांचा, स्क्रीन तथा घेरा, जो भूमि पर रखा / जड़ित है, पर निर्मित या चित्रित तथा जनसाधारण को दृष्टिगोचर कोई बाहरी मीडिया यन्त्र;
- (xv) "भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी.)" से अभिप्राय है, भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा, समय—समय पर, लागू की गई संहिता, बनाए गए विनियम तथा जारी किये गये निर्देश;
- (xvi) "हितबद्ध पक्षकार" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति या पंजीकृत धर्मार्थ संगठन, फर्म, साझेदारी या कंपनी, जिसने इन उप—विधियों के अनुसार ओ.एम.डी. के प्रदर्शन के लिए किसी आवेदन के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी या कोई आक्षेप या कोई शिकायत प्रस्तुत की है या प्रतिवेदन किया है;
- (xvii) "चौराहा" से अभिप्राय है, समरूप स्तर का संयोजन, जहां दो या उससे अधिक सड़कें या तो मिलती है या पारगमन (क्रासिंग) करती हैं;
- (xviii) "इलैक्ट्रोनिक होर्डिंग" से अभिप्राय है, कम्प्यूटर प्रोग्राम तथा साफ्टवेयर या किसी अन्य साधन से प्रचलित उद्धरण, प्रदर्शनी तथा सूचनात्मक संदेश का प्रदर्शन करने के लिए एल.ई.डी. (लाईट ऐमीटिंग डाईओड) या एल.सी.डी (लीकवीड कीस्टल डीस्पले) या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक साधन से की गई प्रदर्शनी सहित कोई बाहरी मीडिया यन्त्र;
- (xix) **"शिमयाना ओ.एम.डी."** से अभिप्राय होगा, किसी शिमयाना छतरी से या भवन से प्रक्षेपी द्वारा समर्थित अन्य कवरड सरंचना से सलंग्न या लटका हुआ कोई बाहरी मीडिया यन्त्र;
- (xx) **"भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता या (एन.बी.सी.)"** से अभिप्राय है, समय—समय पर संशोधित, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम;
- (xxi) "ओ,एम.डी." से अभिप्राय है, उप-विधि 14 में यथा उपवर्णित बाहरी मीडिया यन्त्र:

- (xxii) **"स्वामी"** से अभिप्राय है, सम्पत्ति का स्वामी तथा इसमें हरियाणा कक्ष—समूह स्वामित्व अधिनियम, 1983 (1983 का 10) के अधीन स्वामियों का संगम भी शामिल है;
- (xxiii) **"अनुज्ञा फीस"** से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 70 के अधीन अनुज्ञा देने के लिए नगरपरिषद / नगरसमिति द्वारा उदगृहीत की जाने वाली फीस;
- (xxiv) **"सम्पत्ति"** से अभिप्राय है, नगरपरिषद / नगरसमिति क्षेत्र की सीमाओं में कोई भूमि या भवन या उसका कोई भाग;
- (xxv) "सार्वजनिक भवन" से अभिप्राय है, बिना प्रभार या प्रभार के भुगतान पर जनसाधारण की पहुँच में कोई भवन तथा इसमें सार्वजनिक पूजा, थिएटर, होस्टल, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक हाल, सार्वजनिक मेल कक्ष, सार्वजनिक व्याख्यान कक्ष, सार्वजनिक प्रदर्शनी स्थल के रूप में या लोगों के एकत्र होने के स्थान या यदा—कदा किसी समरूप प्रयोजन के स्थान के रूप में या तो साधारणतः या समय—समय पर प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिए निर्मित या अंगीकृत कोई भवन
- (xxvi) **"रजिस्टर्ड अभिकरण"** से अभिप्राय है, **उप—विधि 4 के खण्ड (3)** के अधीन नगरपरिषद / नगरसमिति से रजिस्टर्ड कोई अभिकरण;
- (xxvii) "रिजस्टर्ड स्वामी" से अभिप्राय है, **अनुसूची—1** में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय सीमाओं से बाहर स्वतः विज्ञापन के लिए **उप—विधि 4 के खंड (3)** के अधीन नगर परिषदों / नगर समिति के पास रिजस्टर्ड कोई स्वामी;
- (xxviii) **"रास्ता अधिकार (आर ओ डब्लयू)**" से अभिप्राय होगा, रोड़वे (वाहन मार्ग और ढलानों), दोनो तरफ की नालियों, सर्विस सड़कों, वृक्षारोपण, उपयोगिताओं, आदि को समायोजित करने के लिए, संबंधित प्राधिकरण के स्वामित्वधीन सड़क की चौड़ाई हेतु कुल भूमि;
- (xxix) **"सड़क यातायात चिह्न"** से अभिप्राय है, सड़क के उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक सूचना हेतु कोई संकेत तथा इसमें विधि में या भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी.) द्वारा यथा अपेक्षित यातायात संकेत भी शामिल है;
- (xxx) **"स्वतः विज्ञापन"** से अभिप्राय है, **उप-विधि 11** के अनुसार प्रदर्शित विज्ञापन,
- (xxxi) **"सर्विस लेन"** से अभिप्राय है, मुख्य परिवहन मार्ग के साथ—साथ तथा वाहनों के संचालन के लिए प्रयुक्त कोई सड़क;
- (xxxii) "मार्ग फर्नीचर विज्ञापन" से अभिप्राय है, किसी सार्वजिनक सुविधा या संरचना पर प्रदर्शित कोई विज्ञापन जो मुख्यतः विज्ञापन के लिए आशियत नहीं है तथा इसमें या तो प्रत्यक्षतः चिपकाया हुआ / जोड़ा हुआ या पैनल (पटरी) के रूप में विज्ञापन सिंहत ऐसे मार्ग फर्नीचर की कार्यात्मक आवश्यकता पूरी करने के लिए उपयुक्त आकार तथा आकृति का बैठने के लिए बैंच, पौधा बाक्स, पट्री कूड़ा—कचरा धानी, खम्बे से बंधी कूड़ा—कचरा धानी, सार्वजिनक परिवहन आश्रय, पटरी क्लाक, उपनगरीय नाम यन्त्र तथा मार्ग नाम, पेयजल स्रोत इत्यादि शामिल है;
- (xxxiii) **"संरचनात्मक इंजीनियर"** से अभिप्राय है, व्यक्ति जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक है या सरंचनात्मक डिजाईन संरचना तथा सम्बन्धित क्षेत्र के कार्य में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव सिहत भारतीय इंजीनियर संस्था के सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन का कारपोरेट सदस्य है;
- (xxxiv) **"संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र"** से अभिप्राय है, संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र;
- (xxxv) **"तृतीय पक्षकार विज्ञापन चिह्न"** से अभिप्राय है, स्वतः विज्ञापन से भिन्न कोई ओ.एम.डी.;
- (xxxvi) "अस्थाई विज्ञापन" से अभिप्राय है, मनोरंजन कार्यक्रम, उत्सवों, मेला, व्यापार मेला, सम्मेलन, सड़क प्रदर्शन तथा जो अधिकतम तीस दिन की अवधि से अधिक न हो सिहत किसी आगामी कार्यक्रम की अवधि से ठीक पूर्व तथा के लिए स्वंय विज्ञापन, प्रदर्शित से भिन्न कोई ओ.एम.डी.;
- (xxxvii) **"ट्रेलर विज्ञापन"** से अभिप्राय है, किसी ट्रेलर, बाईसाईकिल या वाहन पर बंधा हुआ कोई ओ.एम.डी., जो स्थिर है या केवल विज्ञापन के प्रयोजन से चलता है;

- (xxxviii) **"अप्राधिकृत प्रभार"** से अभिप्राय है,ओ.एम.डी के अप्राधिकृत प्रदर्शन तथा इन उप—विधियों के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन के लिए नगरपरिषद / नगरसमिति द्वारा उदगृहित प्रभार;
 - (xxxix) "यूनिपोल" से अभिप्राय है,किसी विज्ञापन पैनल के रूप में विज्ञापन के लिए विशाल स्थान तथा जहां ऐसा पैनल भूमि पर इसके आधार सहित किसी एकल स्तम्भ पर आरूढ है, सहित कोई ओ.एम.डी.;
 - (xl) **"शहरी डिजाइन"** से अभिप्राय है, भवन, सड़क के बीच तथा आसपास शहरी स्थान की विशेष तथा सौन्दर्यपरक विशेषता को प्रकट करने तथा प्रबन्ध करने की कार्रवाई जिसमें भौतिक घटक, जो भवन दिखावट तथा अन्य संरचना का मार्गस्केप तथा संयुक्त दृश्य प्रभाव को संघटित करता है, भी शामिल है;
 - (xli) **"दीवार आच्छादन"** से अभिप्राय है, किसी भवन या रंग बिरंगी रंगी हुई दीवार याएल्यूमिनियम मिश्रित पैनल जिसके अग्रभाग का प्रयोग वास्तु आकृति के रूप में किया गया है या भवन की दीवार के रूप में प्रयुक्त सहित किसी अन्य सामग्री से कवरेज दीवार के बाहरी हिस्से पर चिपकाया गया विज्ञापन।

रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन।

- 3 (1) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर ओ.एम.डी. प्रदर्शित करने का आशय रखने वाला अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) **अनुबन्ध—1** में यथा अधिकथित ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से नगरपरिषद / नगरसमिति में रजिस्टर होगा।
- (2) **खण्ड (1)** के अधीन अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) द्वारा प्राप्त किया गया रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की तिथि से छह वर्ष की अवधि के लिए वैद्य होगा।
- (3) अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) ऐसी रजिस्टरेशन फीस जो सरकार, समय–समय पर, साधारण आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जमा करवाएगा।
- (4) जहां स्वामी अनुसूची—1 में परिभाषित अनुज्ञेय सीमाओं से बाहर स्वंतः विज्ञापन के प्रयोजन के लिए अपनी सम्पति पर ओ.एम.डी. प्रदर्शित करने का आशय रखता है, वहां ऐसे स्वामी से उपविधि 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार रिजस्टर करने की अपेक्षा की जाएगी। अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर विज्ञापन के प्रदर्शन का आशय रखने वाले किसी व्यक्ति को स्वतः विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए परिषद/समिति में रिजस्टर करने की अपेक्षा से छूट प्राप्त होगी।
- (5) एकल स्वत्वधारी को उसकी सम्पति पर तृतीय पक्षकार के विज्ञापनों को स्थापित करने के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा।
- (6) कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन निगमित कम्पनी तथा जन उपयोगिताओं, पार्कों, हरित स्थानों, यातायात संकेतों या जनसाधारण के लाभ के लिए कोई अन्य सेवा तथा अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) निधियों के माध्यम से लोकहित में विकास तथा रखरखाव के परिणामस्वरूप अभिस्वीकृति ओ.एम.डी. स्थापित करने की इच्छुक कम्पनी को अनुबन्ध—1 में यथा अधिकथित ऑनलाईन प्रक्रिया के द्वारा परिषद / समिति में रजिस्टर कराना अपेक्षित है।

रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया।

- **4** (1) नगरपरिषद / समिति, किसी अभिकरण को रजिस्टर करने से इन्कार करेगी जहां,–
 - (i) किसी अभिकरण, इसके किसी निदेशक, स्वामी या प्रोत्साहक को किसी नगरपालिका द्वारा या सरकार या सरकार के स्वामीत्वाधीन तथा नियन्त्रणाधीन किसी अभिकरण द्वारा विज्ञापन के प्रदर्शन से विवर्जित किया गया है;
 - (ii) किसी अभिकरण, इसके निदेशक, स्वामी या प्रोत्साहक की तरफ किसी नगर निगम/परिषद/समिति के किन्हीं देयों के भुगतान बकाया हैं;
 - (iii) किसी अभिकरण के निदेशक या किसी कम्पनी के निदेशक को किसी निगम या परिषद या समिति या सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन तथा नियन्त्रणाधीन किसी अभिकरण द्वारा विज्ञापन के प्रदर्शन से विवर्जित किया गया है;
 - (iv) किसी अभिकरण का प्राधिकृत हस्ताक्षरी किसी भी नगर निगम/ परिषद /सिमिति के किन्हीं देयों के भुगतान के बकायों के लिए किसी कम्पनी का पहले प्राधिकृत हस्ताक्षरी रहा है।
- (2) परिषद / समिति में रजिस्टर कराने का ईच्छुक अभिकरण निम्नलिखित सूचना / दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—
 - (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) में रजिस्ट्रेशन ब्यौरों सहित अभिकरण का नाम;

- (ii) कम्पनी का सगम ज्ञापन तथा सगम अनुच्छेद;
- (iii) पिछले तीन वर्षों के लिए अभिकरण का विज्ञापन कारबार या ऐसी समय अवधि, जिसके दौरान अभिकरण विज्ञापन कारबार कर रहा है, का अनुभव, ब्यौरे जो भी पहले हों:
- (iv) अभिकरण के निदेशक की पहचान संख्या (डी आई एन) सहित निदेशकों के नाम;
- (v) अभिकरण के प्रत्येक निदेशक के कार्य अनुभव के ब्योरे ;
- (vi) किसी निदेशक के ब्यौरे जिसकी तरफ किसी नगरपालिका के किन्हीं देयों के भूगतान बकाया हैं, जब वह किसी अन्य अभिकरण में निदेशक रहा हो;
- (vii) पिछले तीन वर्षों या ऐसी समय अवधि का तुलन—पत्र जिसमें अभिकरण विज्ञापन कारबार में रहा है, जो भी पहले हो ;
- (viii) अभिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए निदेशक बोर्ड (संकल्प पारित करके) द्वारा प्राधिकार—पत्र ;
- (ix) पिछले पांच वर्षों में या ऐसी समय अवधि के लिए, जिसमें अभिकरण किसी नगरपालिका में विज्ञापन कारबार में रहा है, जो भी पहले हो, प्राप्त विज्ञापन अधिकारों / अनुमतियों के ब्यौरे;
- (x) वचन देने कि अभिकरण, इसके निदेशकों, स्वामियों या प्रोत्साहकों की तरफ किसी नगरपालिका के किन्ही देयों के भुगतान बकाया नहीं है । टिप्पण:—केवल किसी रजिस्टर्ड अभिकरण को ही सम्बन्ध परिषद / समिति की सार्वजनिक भूमि / सम्पत्ति पर विज्ञापन स्थलों की निविदा / नीलामी में भाग लेने तथा में निजी भूमि / सम्पत्ति के स्वामी से संविदा करार करने के लिए अनुमत किया गया है।
- (xi) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज, जो परिषद / समिति द्वारा अपेक्षित हो।
- (3) **अनुसूची—1** में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय सीमा से बाहर स्वतः विज्ञापन के लिए ओ.एम.डी. स्थापित करने का इच्छुक स्वामी, नगरपरिषद/समिति के पास रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—
 - (i) भूमि/भवन/संपति, जिस पर या जिसके ओ.एम.डी स्वतः विज्ञापन के लिए स्थापित की जानी है, के स्वामित्व के दस्तावजों सहित स्वामी का नाम;
 - (ii) स्वामी की तरफ लिम्बत किन्ही भी नगरपालिकाओं में किन्ही भी देयों जैसे सम्पति कर इन्यादि के भुगतान के बाकायों के ब्यौरे; तथा
 - (iii) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज, जो परिषद / सिमति द्वारा अपेक्षित हो। टिप्पणः उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफलता रिजस्ट्रीकरण आवेदन के रददकरण के लिए दायी होगी।
- (4) खण्ड (2) में यथा उपबन्धित सूचना/दस्तावेजों सहित आवेदन की संवीक्षा करने पर, परिषद/समिति सम्पूर्ण आवेदन की प्रस्तुति की तिथि से तीस दिन के भीतर इन उप—विधियों के प्रयोजन के लिए अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) को रजिस्टर करेगी तथा अनुबन्ध—2 में यथा निर्दिष्ट एकमात्र पहचान संख्या तथा रजिस्ट्रेशन पत्र जारी करेगी।
- (5) परिषद / समिति, आवेदक / स्वामी, जिसका अनुरोध खण्ड (1) के अधीन अस्वीकृत कर दिया गया है, को पंजीकरण फीस का नब्बे प्रतिशत प्रतिदाय करेगा। पंजीकरण फीस का दस प्रतिशत संवीक्षा फीस के रूप में, अप्रतिदेय के रूप में रखा जाएगा।
- 5 (1) किसी ओ.एम.डी. के प्रदर्शन के लिए रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) द्वारा आवेदन **अनुबन्ध—3** के निबन्धनों के अनुसार सूचना देते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

ओ.एम.डी. का अनुमोदन।

- (2) आवेदन प्ररूप के साथ निम्नलिखित सलग्न किया जाएगा, अर्थात:-
 - (i) प्रक्रिया फीस जो सरकार, समय—समय पर, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जो किसी भी रीति में अप्रतिदेय तथा असमायोज्य होगी;
 - (ii) रजिस्टर्ड अभिकरण द्वारा स्वामित्वाधीन किसी सम्पत्ति, या सम्पत्ति, जिस पर ओ.एम.डी. प्रदर्शित करनी आशयित है, के लिए भुगतानयोग्य कर के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर के भुगतान के सबूत के रूप में अन्तिम रसीद;
 - (iii) ओ.एम.डी. की प्रस्तावित अवस्थिति (जी.पी.एस. निद्रेशांक समन्वित) तथा किसी अन्य संरचना, भवन या प्रस्तावित ओ.एम.डी. से पच्चीस मीटर के घेरे के भीतर स्थित ओ.एम.डी. के सम्बन्ध में दूरी बताते हुए, अवस्थिति योजना दर्शाते हुए रंगीन ड्राईंग;

- (iv) ओ.एम.डी. तथा अवस्थितियों का परिमाप दर्शाने वाली सम्पूर्ण विशिष्टियां;
- (v) अत्यधिक वायु स्थिति, भूकम्प, मृदा सहन क्षमता को सहन करने के योग्य बनाने वाले इसके आधारों के सुरक्षा पहलू को प्रमाणित करते हुए किसी संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ओ.एम.डी. के डिजाईन तथा संरचनात्मक ब्योरे तथा समय—समय पर बनाए गए सम्बन्धित भारतीय संरचनात्मक डिजाईन मानकों, पॉलिसी तथा मार्गदर्शनों की अनुपालना की जायेगी। संरचनात्मक ब्योरों में किसी अन्य विधि के अनुपालन के सबूत सहित समर्थित ढांचे, आश्रय तथा डिजाईन परिकलन के सभी घटकों का आकार शामिल होगा, जिसमें उस सीमा तक कि ऐसी विधि लागू है शामिल है किन्तु लागू विधि तथा संहिता / मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है जिसमें भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी.), भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) शामिल है;
- (vi) यदि कोई प्रस्तावित ओ. एम. डी. किसी भवन के अग्रभाग से सलंग्न किया जाता है, तथा प्रदर्शित की जाती है, तो भवन एलीवेशन तथा मापन, और प्रस्तावित ओ. एम. डी. के विस्तृत मापन तथा स्थिती और 1:1000 की या परिषद / समिति द्वारा यथाविनिर्दिष्ट स्केल में दर्शाते हुए भवन पर प्रत्येक विद्यमान ओ.एम.डी. की स्थिति दर्शाते हुए वास्तु ड्राईग;
- (vii) अभिकरण तथा सम्पत्ति के स्वामी के बीच किये गये सभी निबन्धनों तथा शर्तों से युक्त संविदा दस्तावेज की प्रति, जहां सम्पति का स्वामी सम्पत्ति जिस पर ओ.एम.डी. प्रदर्शित की जानी प्रस्तावित है, वह रजिस्टर्ड अभिकरण से भिन्न है;
- (viii) इस आशय का वचन कि विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए आवेदन किसी भी अदालत के आदेश के उल्लंघन में नहीं है:
- (ix) कोई अन्य सूचना जो परिषद / समिति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो।
- (3) जहां सम्पत्ति का स्वामी, जिसकी सम्पत्ति पर ओ.एम.डी प्रदर्शित की जानी प्रस्तावित है रिजस्टर्ड अभिकरण से भिन्न है, तो ऐसी सम्पत्ति के स्वामी तथा अभिकरण के बीच किये गये संविदा दस्तावेज में खण्ड अन्तर्विष्ट होगा जहां स्वामी ऐसा दायित्व स्वीकार करता है जो ऐसी सम्पत्ति पर उत्पन्न हो, यदि अभिकरण ऐसी सम्पत्ति पर प्रदर्शित किसी विज्ञापन के सम्बन्ध में इन उपविधियों के अधीन परिषद / समिति को किन्हीं देयों के भुगतान की चूक में हो तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973, की धारा 95 के उपबन्धों के अधीन ऐसी सम्पत्ति की कुर्की या विक्य के रूप में चूक राशि की वसूली करने के लिए परिषद / समिति के अधिकार में हो।

आवेदनों का मूल्यांकन, तथा संवीक्षा।

- 6 (1) **उपविधि 5** के अधीन आवेदन का मूल्यांकन करते समय, परिषद / समिति सुनिश्चित करेगी कि.—
 - (i) आवेदन इन उप-विधियों की अनुपालन में है ;
 - (ii) आवेदन किसी न्यायालय के किसी आदेश के उल्लंघन में नहीं है ;
 - (iii) आवेदन पर किसी हितबद्ध पक्षकार से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन, आपित्त तथा टिप्पणी विधिवत विचारी गई हैं।
- (2) परिषद / समिति, अपने एक मात्र विवेक से तथा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए अपने अधिकार आरक्षित रखेगी।
 - (3) ओ.एम.डी के प्रदर्शन के लिए अनुमोदन की वैधता की अवधि निम्न अनुसार होगी,-
 - (i) किरम क : अधिकतम तीन वर्ष की सीमा तक, सम्बन्धित सरकारी संस्था तथा अभिकरण के बीच करार अवधि के समकक्ष ;
 - (ii) किस्म ख तथा किस्म गः न्यूनतम तीन मास (त्रैमासिक) से अधिकतम तीन वर्ष;
 - (iii) किरम घ : अनुसूचि-1 के खण्ड 12 में यथा विनिर्दिष्ट;
 - (iv) किरम ड़: मामले से मामले के आधार पर;
 - (v) किस्म च /स्वतः विज्ञापन : **अनुसूची 1** में बताई गई अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर विज्ञापन के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं;
 - (vi) किरम छः मामले से मामले के आधार पर यथा विनिर्दिष्ट, न्यूनतम तीन मास (त्रैमासिक);
 - (vii) किस्म ज : कम से कम तीन मास (त्रैमासिक) से अधिकतम तीन वर्ष ;
 - (viii) किरम झः कम से कम तीन मास (त्रैमासिक) से अधिकतम तीन वर्ष ;

- (4) परिषद / समिति, संवीक्षा तथा सम्यक प्रक्रिया अपनाने के बाद, अनुबन्ध—4 के रूप में संलग्न फारमैट के अनुसार आवेदक को अस्वीकार करने या वापस करने का आशय—पत्र (एल.ओ.आई.) को जारी करते हुए, लिखित में तथा इलेक्टरोनिक रूप में, आवेदन की तिथि से तीस दिन के भीतर, अनुमोदन का अपना निर्णय सूचित करेगा।
- (5) रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) आशय पत्र (एल.ओ.आई.) के जारी करने के सात दिन के भीतर परिषद / समिति को अनुज्ञा फीस भुगतान करने के लिए दायी होगी, जिसमें असफल होने पर अनुमोदन वापस लिया गया समझा जाऐगा।
- (6) परिषद / समिति को एल.ओ.आई. में कथित अनुज्ञा फीस तथा अपेक्षित दस्तावेजों की प्रस्तुति के बाद, रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) अनुबन्ध 6 के फारमैट के अनुसार परिषद / समिति से संविदा करार करेगाः

परन्तु जहां रजिस्टर्ड अभिकरण नें रजिस्टर्ड अभिकरण से भिन्न किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन सम्पत्ति पर ओ.एम.डी के प्रदर्शन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है, तो वहां रजिस्टर्ड अभिकरण को सम्पत्ति के स्वामी के साथ संविदा करार करना होगा जिसमें इस प्रभाव का एक खण्ड शामिल होगा कि यदि सम्पत्ति स्वामी आशय—पत्र में अन्तर्विष्ट अनुमोदन अवधि से अधिक समय के लिए या किसी ओ.एम.डी. का प्रर्दशन जारी रखता है या किसी अन्य ओ.एम.डी. को प्रदर्शित करता है, तो उप—विधियों के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के सम्बन्ध में दायित्व, संयुक्त रूप से तथा अलग—अलग रूप से स्वामी पर होगा, तथा अनुबंध 3 में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के साथ परिषद / सिमित को इसकी एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

- (7) उप–विधि 6 के खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट किरम तथा समय अवधि के ओ.एम.डी के लिए सभी अनुमोदन, मास, जिसमें अनुमोदन मास, जिसमें उपविधि 6 के खण्ड 3 के अन्त में समय अवधि विनिर्दिष्ट है के अन्तिम दिन तक दिया गया है, के अनुवर्ती मास के प्रथम दिन से गिना जाएगा।
- (8) सभी विद्यमान ओ.एम.डी. इन उप—विधियों का तुरंत ही अनुपालन करेंगे। इन उप—विधियों की अधिसूचना की तिथि से केवल सात दिन की अनुग्रह अविध सभी मौजूदा ओ.एम.डी. को अनुपालन करने की अनुमति है। सात दिन की समाप्ति के बाद, परिषद/समिति गैर—अनुपालन के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगी।
- 7 (1) उस प्रभाव की किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इन उपविधियों के निबन्धनों के अपवाद। अनुसार प्रदान किए गए अनुमोदन से अभिप्राय है कि,—

(i) किसी व्यक्ति को तत्समय लागू किसी अन्य विधि के किसी उपबन्ध से छूट प्राप्त

- (ii) किसी व्यक्ति को हरियाणा सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के उपबन्धों, अपेक्षाओं तथा लागूकरण से छूट प्राप्त है;
- (iii) ओ.एम.डी. का अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) को इसकी बाध्यताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए छूट प्राप्त है कि ऐसा चिह्न बड़े स्तर पर जनता की सुरक्षा, रक्षा के लिए या जनता की शालीनता तथा नैतिकता के बचाव के लिए लागू किसी अन्य विधि के अनुसार डिजाईन, निर्मित, पूरा, प्रदर्शित तथा अनुरक्षित किया गया है।
- 8 (1) परिषद / समिति प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस ले सकती है, या ऐसे अनुमोदन के सम्बन्ध में किसी शर्त को संशोधित कर सकता है या कोई अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकता है, यदि परिषद / समिति, साधारण आदेश द्वारा, इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी की राय में, ओ.एम.डी. जिसके लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है,—

अनुमोदनों की वापसी तथा संशोधन।

- (i) ऐसे अनुमोदन के समय पर विद्यमान सड़क, किसी लोक उपयोगिता की व्यवस्था, अड़ोस—पड़ोस के पर्यावरण या सुखसाधन की प्रकृति, सड़क दृश्य या शहरी डिजाईन में किसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र, जिसमें वह स्थित है, किसी भी कारण से हानिकारक है, या हो गया है;
- (ii) किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को आशंका करता है या आशंकित हो गया है ;
- (iii) किसी आलोचनात्मक तथा सौन्दर्यपरक रूप से किसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक विशेषता, वास्तुशिल्पीय विशेषता या नागरिक, वास्तुशिल्पीय, ऐतिहासिक या हैरिटेज महत्व अन्धकारमय है;
- (iv) इन उप—विधियां या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के निबन्धनों के अनुसार निषिद्ध है या हो गया है;

- (v) या तो किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से पूर्णतया गिर गया है या उसका कोई भाग गिर गया है;
- (vi) परिषद / समिति के निर्देशन को छोडकर उसमें कोई परिवर्तन किया गया है;
- (vii) भवन या संरचना या सम्पत्ति को गिराया जाना या नष्ट किया जाना प्रस्तावित किया गया है:
- (viii) लोक हित, सुरक्षा, सौन्दर्य इत्यादि में परिषद / समिति, द्वारा, जो विनिश्चत किया जाए, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से हटाया जाना अपेक्षित हैं।
- (2) खण्ड (1) के अधीन कोई निर्णय लेन से पूर्व, नगरपरिषद / सिमिति रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) को परिषद / सिमित का आशय उसे सूचित करते हुए नोटिस जारी करेगा तथा रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) को नोटिस की तिथि के सात दिन के भीतर नोटिस के उत्तर में लिखित प्रतिवेदन करने का अधिकार होगा।
- (3) परिषद/समिति द्वारा पूर्णतः या भागतः अनुमोदन की वापसी की दशा में, रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) को अपने जोखिम तथा लागत पर ओ.एम.डी. को सात दिन के भीतर हटाना होगा या ऐसा परिवर्तन कर सकता है जैसा परिषद/समिति द्वारा निर्देशित किया जाए। यदि अनुज्ञा फीस का कोई प्रतिदाय अनुमोदन की वापसी के कारण देय है, तो अनुज्ञा फीस की बकाया राशि ऐसी वापसी के तीस दिन के भीतर अभिकरण को प्रतिदेय की जाएगी।
- (4) परिषद / समिति या परिषद / समिति द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी रजिस्टर्ड अभिकरण से किसी प्रतिवेदन की प्राप्ति पर अपने निर्णय के लिए लिखित में कारण देगा।
- 9 (1) नगरपरिषद / समिति ओ.एम.डी. के प्रदर्शन तथा मॉनीटरिंग के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए पारदर्शी प्रणाली अपनाएगा।
- (2) खण्ड (1) के प्रयोजन के लिए, परिषद / समिति अनुमोदन और निगरानी के लिए सूचना प्रोद्योगिकी आधारित प्रणाली का विकास करेगी तथा परिषद / समिति प्रबन्धन या अनुरक्षण के अधीन निहित सम्पत्तियों के लिए जी.आई.एस. आधारित ओ.एम.डी. मास्टर प्लॉन तैयार करेगी।
- (3) सभी ओ.एम.डी. अपने जी.पी.एस. समन्वय सहित जी.आई.एस. नक्शे पर चिहिन्त करेगी तथा जनता की जानकारी के लिए परिषद / समिति की वैबसाईट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- (4) **खण्ड (2)** में निर्दिष्ट सूचना प्रौधोगिकी आधारित प्रणाली की विशेषताएं निम्न अनुसार होगी.—
 - (i) विज्ञापनों से सम्बन्धित उप—विधियां तथा अधिसूचनाएं परिषद / सिमिति की वैबसाईट पर जानकारी के लिए प्रदर्शित की जाएगी;
 - (ii) संस्थाओं के ऑनलाईन रिजस्ट्रेशन को समर्थित किया जाएगा तथा रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) को एकमात्र पहचान संख्या दी जाएगी, जिसका परिषद / समिति के साथ सभी आगामी पत्राचार के लिए सुरक्षित पासवर्ड होगा
 - (iii) सभी ओ.एम.डी., जी.आई.एस. से चिहिनत की जाएंगी तथा शहर के जी.आई.एस. नक्शे पर परिषद / समिति की वैबसाईट पर उपलब्ध कराई जाएंगी;
 - (iv) बाहरी मीडिया की संस्थापना के लिए आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाएगा ;
 - (v) प्रत्येक ओ.एम.डी. स्थल के पास उसको दिया नया एकमात्र कोड होगा जो विज्ञापन के प्रदर्शन तथा किसी अन्य सूचना के लिए उसकी स्वामित्व, अवस्थिति (जी.पी.एस. समन्वय), मीडिया किस्म, आकार (प्रदर्शन का क्षेत्र), भुगतानयोग्य विज्ञापन/ अनुज्ञा फीस, करार की वैधता को बताएगा जो परिषद/समिति, की राय में संहिताबद्ध किया जाना अपेक्षित है;
 - (vi) सभी ओ.एम.डी. का अनुमोदन रजिस्टर्ड अभिकरणों या स्वामी (स्वतः विज्ञापन के लिए) को इलैक्ट्रोनिक रूप से ही दिया जाएगा।

ओ.एम.डी. के लिए सामान्य अपेक्षाएं।

- 10 (1) अनुमोदन के बाद, ओ.एम.डी. परिषद / सिमिति के पूर्वलिखित अनुमोदन के बिना परिवर्तित, हटाई, पुनर्निमित या अपग्रेडिड (विज्ञापन की विषय—वस्तु के सम्बन्ध के सिवाए) नहीं की जाएगी।
- (2) किसी ओ.एम.डी. के संचालन के लिए प्रत्येक विद्युत केबल तथा विद्युत कंडक्टर से युक्त कॉनडिट इस प्रकार रखा तथा संलग्न किया जाएगा ताकि वह सौन्दर्यपुरक हो।

आवेदन, नवीकरण तथा मॉनीटरिंग के लिए आई. टी. आधारित समाधान।

- (3) कोई भी ओ.एम.डी. रिजस्टर्ड अभिकरण के नाम से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति धारक विद्युत वितरण कम्पनी की पूर्व लिखित अनुमित के बिना किसी विद्युत आपूर्ति के साथ उप—मीटर से नहीं जोड़ा जाएगा तथा ऐसी अनुमित अनुज्ञप्ति धारक विद्युत वितरण कम्पनी के प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा अनुरोध करने पर सम्बन्धित ओ.एम.डी के रिजस्टर्ड अभिकरण द्वारा दी जाएगी।
- (4) सभी ओ.एम.डी. में विद्युत कनैक्शन तथा घटक सम्बन्धित भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार होंगे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार डिजाईन की जाएंगी वहां व्यक्तिगत या लोक सुरक्षा या मोटर या गैर—मोटर यातायात के संचलन में कोई जोखिम न हो।
- (5) जरनेटर, जो पैट्रोलियम ईंधन या किसी बायो—ईंधन से चलाए जा रहे हैं या शोर, वायु या जल प्रदूषण करते हैं, किसी ओ.एम.डी. के प्रकाश के लिए विद्युत उपलब्ध करवाने हेतु अनुज्ञात नहीं किए जाऐंगे। तथापि, अभिकरण सौर फोटोवोलटेक पट्टी लगाते हुए अपनी अधिकारिता के अधीन ओ.एम.डी. भी प्रदीप्त कर सकती है।
- (6) ओ.एम.डी. का रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) यह सुनिश्चित करेगा कि मीडिया सिहत प्रदर्शन के लिए किसी प्रकार की सामग्री का निपटारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) या उसके अधीन बनाए गए नियमों, तथा किसी अन्य लागू विधियों / नियमों / उप–विधियों के निबन्धनों के अनुसार किया जाएगा।
- 11 (1) नीचे उप—खण्ड (i) से (viii) में बताए गए प्रयोजनों के लिए ओ.एम.डी, अनुसूची 1 में बताई गई सभी शर्तों के सम्बन्ध में इन उप—विधियों के उपबन्धों का पालन करेंगी। ऐसे ओ.एम.डी. को निम्नलिखित मामलों में किसी आवेदन की अनुज्ञा फीस के भुगतान से छूट प्राप्त होगी, अर्थात्—

स्वतः विज्ञापन

- सार्वजिनक बैठक, संसद, विधान सभा, परिषद/सिमिति के निर्वाचन या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उम्मीदवारी से सम्बन्धित; (परिषद/सिमिति द्वारा परिलक्षित/आबंटित (ईयरमार्क) केवल प्राधिकृत स्थानों पर लगाया जा सकता है);
- (ii) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाता है, यदि विज्ञापन उस भवन में चलाए गए व्यापार, व्यवसाय या कारबार से सम्बन्धित है (केवल भवन मुहर के दो प्रतिशत क्षेत्र की सीमा तक स्वतः विज्ञापन के लिए);
- (iii) भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर व्यापार, व्यवसाय या कारबार या ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी सामान के किसी विक्रय या किराए पर देने या विश्लेषण, मंनोरजन या उस पर या उसमें बैठक बुलाने से सम्बन्धित है (केवल भवन मुहर के दो प्रतिशत क्षेत्र की सीमा तक स्वतः विज्ञापन के लिए);
- (iv) भूमि या भवन, जिसके निकट या पर विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है, के नाम से, ऐसी भूमि या भवन के रजिस्टर्ड अभिकरण या अधिभोगी के नाम से सम्बन्धित है;
- (v) रेलवे प्रशासन के कारबार से सम्बन्धित है तथा रेलवे प्रशासन के किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या किसी दीवार या अन्य सम्पत्ति पर प्रदर्शित किया जाता है;
- (vi) राज्य सरकार या भारत संघ या नगर निगम, नगरपरिषदों / समितियों, किन्तु बोर्ड / अन्य निगमों को छोड़कर, के किसी विभाग की किसी गतिविधि से सम्बन्धित है:
- (vii) सम्पत्ति, जहां कोई भवन, स्वीमिंग पूल, टैनिस कोर्ट, खंड़जा, बाड़ा या बाग का भू—दृश्य निर्माण या कोई अन्य संरचना निर्मित, परिनिर्मित, कार्यान्वित या परिवर्तित किए जाने के अनुक्रम में तथा जिस पर सम्बन्धित क्रियाकलाप वर्णित किया जाता है तथा ऐसे क्रियाकलाप से सम्बन्धित किसी वास्तुकार, ठेकेदार अथवा परामर्शदाता का नाम प्रदर्शित किया जाता है तथा अन्तर्विलित उद्योग की शाखा या व्यवसाय विनिर्दिष्ट किया जाता है:
- (viii) स्थायी छतरी या ठेले पर फेरी वाले के लिए मीडिया यन्त्र।
- (2) तथापि, उप—खंड (i) से (viii) में निर्धारित प्रयोजन के संदर्भ में, यदि कोई अनिधकृत ओएमडी का संस्थापित पाई जाती है या उपविधि के किन्ही उपबन्धों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन होता है तो उपविधि में विनिर्दिष्ट अनिधकृत शुल्क उल्लंघनकर्ता से उद्धगृहित किया जाएगा और अनिधकृत ओएमडी "जैसा और जहां आधार" पर हटा दिया जाएगा।

निषिद्ध क्षेत्र।

- 12 (1) इन उप—विधियों में अभिव्यक्त या उपलक्षित किसी अन्य निषेध के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी ओ.एम.डी. या विज्ञापन का निम्नलिखित पर/में निर्माण, अनुरक्षण या प्रदर्शन नहीं करेगा,—
 - (i) राष्ट्रीय पार्क, जिला वन तथा प्राकृतिक जल निकाय;
 - (ii) अनुसूची-1 में कथित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, आवासीय सैक्टर;
 - (iii) अनुसूची—1 में कथित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग;
 - (iv) कोई दीवार पोस्टर तथा दीवार चित्र;
 - (v) पुरातत्वीय, वास्तुशिल्पीय सोन्दर्यप्रद, ऐतिहासिक या घरोहर महत्व के भवन या संरचना;
 - (vi) पूजा या धार्मिक महत्व के स्थान;
 - (vii) अस्पताल तथा नर्सिंग होम;
 - (viii) शैक्षणिक संस्थाएं, पुस्तकालय;
 - (ix) श्मशान, कब्रिस्तान;
 - (x) संकटापन्न क्षेत्रीय ईको सिस्टम के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र;
 - (xi) परिषद / सिमिति द्वारा, समय—समय पर अधिसूचित कोई भी "गैर—विज्ञापन" क्षेत्र; तथा
 - (xii) यातायात संकेत तथा सड़क चिह्न।
- (2) कोई भी व्यक्ति किसी प्रदर्शन, यन्त्र या संरचना जो परिषद / समिति द्वारा प्रदर्शित की गई है, को विकृत नहीं करेगा या विकृत नहीं करवाएगा तथा उससे सम्बन्धित कोई भी उल्लंघन, हरियाणा सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के अधीन दण्डनीय होगा।
- (3) इन उप—विधियों में अभिव्यक्त या उपलक्षित किसी अन्य निषेध के अतिरिक्त, परिषद / समिति निम्नलिखित को दर्शाने या उपलक्षित करने वाले विज्ञापनों या ओ.एम.डी. को संशोधित करने या हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगाः—
 - (i) नग्नता;
 - (ii) जाति, समुदाय, वंश या जातीय मतभेदों को प्रसारित करने;
 - (iii) स्वापक, शराब, सिगरेट या तम्बाकू वस्तुओं को बढ़ावा देने;
 - (iv) महिला या बच्चों के शोषण का प्रचार करने वाले;
 - (v) पश्ओं के प्रति कूरता को चित्रित करने;
 - (vi) घटिया दृष्टिकोण से किसी राष्ट्र या संस्था का चित्रण करने;
 - (vii) किसी ब्राण्ड या व्यक्ति की जाति निन्दा करने;
 - (viii) किसी कानून द्वारा निषेध;
 - (ix) हिंसा की महिमा करने;
 - (x) लॉटरी टिकटों, जुआ प्रवेशों तथा स्लॉट मशीनों को बढावा देने;
 - (xi) किसी भी मनोविकृतिकारी, लेजर या चलती प्रदर्शितः
 - (xii) विनाशकारी यन्त्रों तथा विस्फोटकों को नियंत्रित करने वाली वस्तुओं को प्रदर्शन;
 - (xiii) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का क्रेन्द्रीय अधिनियम 54) के अधीन आने वाले हथियारों को बढावा देने;
 - (xiv) मानहानि कारक, व्यापार अपमानजनक, गैरकानूनी रुप से धमकी भरा या गैरकानूनी रुप से परेशान करने ;
 - (xv) स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेद्य) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनेयम 60) के अर्थो के भीतर अश्लीलता या अश्लील साहित्य या स्त्री अशिष्ट प्रतिरुपण;

- (xvi) ऐसी मदों, सामान या सेवा के वर्णन से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ होना या शामिल होने जो तत्समय लागू किसी विधि के अधीन निषिद्ध है, तथा इसमें शामिल है किन्तु औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 23), औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम 21), भारतीय दंड सहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) में परिसीमित नहीं हैं, तथा
- (xvii) परिषद / समिति द्वारा, समय—समय, पर अनुचित विचारी गई तथा इस प्रकार अधिसूचित की गई कोई अन्य वस्तुएं।
- 13 (1) परिषद / समिति क्षेत्र के प्रबंधन या रखरखाव में या उसके अधीन रखी गई संपत्ति (जिसे, इसमें, इसके बाद "नगरपालिका संपत्ति" कहा गया है) पर ओएमडी को अनुमित देने के लिए और ओएमडी की मास्टर प्लान को तैयार करने या संशोधित करने के लिए परिषद / समिति, समय—समय पर, अपने अधिकार क्षेत्र वाले स्थानों और संपत्ति की पहचान करेगा।
- (2) नगरपालिका की सम्पित्तियों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमित, सरकार द्वारा समय—समय पर, जारी ई—निविदा / ई—नीलामी की पॉलिसी के अनुसार सम्पूर्ण या भाग रूप में किसी शहर के लिए ई—निविदा / ई—नीलामी आमन्त्रित करते हुए प्रदान की जाएगी।
- (3) ई—निविदा / ई—नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य समिति द्वारा नियत किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त द्वारा की जाएगी। समिति अन्य पैरामीटरों में से निम्नलिखित के आधार पर आरक्षित मृल्य नियत करेगी:—
 - (i) स्थल की अवस्थिति,
 - (ii) विज्ञापन बोर्ड / बैनर के आकार,
 - (iii) अभिभावी बाजार दर,
 - (iv) पिछला राजस्व संग्रहण, तथा
 - (v) स्थलों की संख्या।
- (4) विज्ञापनों के प्रदर्शन की अवधि, **उप–विधि 6** के अनुसार होगी और संविदा करार के निबन्धनों और शर्तों की चूक होने की स्थिति में सात दिन का नोटिस देने के बाद किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- (5) परिषद/समिति का सरकार के सामाजिक संदेश या नीतियों, स्कीमों या प्रोग्रामों को उन्नत करने के लिए सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन और नियन्त्रणाधीन किसी वैधानिक प्राधिकरण, बोर्ड, परिषद/समिति या अन्य संस्था को, होर्डिंग/ विज्ञापनों का किसी भी समय प्रदर्शन करने या प्रदर्शन करने की अनुमित देने के सम्पूर्ण तथा निर्बाध अधिकार होगा। परिषद/समिति, इस खण्ड के अधीन सरकार के विज्ञापनों के लिए कुल विज्ञापन स्थान के पन्द्रह प्रतिशत आरक्षित करने के लिए ई—निविदा/ई—नीलामी में सफल बोलीदाता को निर्देश दे सकता है और इन सरकारी विज्ञापनों के लिए परिषद/समिति द्वारा कोई भी फीस भूगतानयोग्य नहीं होगी।
- (6) परिषद / समिति सड़क लाईटों, सार्वजिनक शौचालयों, पेड़ गार्डों, सड़क के फर्नीचर, पानी के डिस्पेंसर्स, सार्वजिनक सूचना छतिरयों आदि सिहत किन्हीं सार्वजिनक सुविधाओं के निर्माण, संचालन या रखरखाव के बदले किसी भी संस्था को निर्दिष्ट अविध के लिए विज्ञापन अधिकार दे सकती है और इस तरह के अधिकारों के प्रयोग में स्थापित होने वाले प्रस्तावित ओएमडी उप–विधियों के अनुसार होंगे।
- (7) बी.ओ.टी. व्यवस्था के मामले में, रियायतदाता / विज्ञापनदाता को प्रत्येक ओ.एम.डी. को स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा और लागू अनुज्ञा फीस का भी भुगतान करेगा।
- (8) नगरपरिषद / सिमित किसी भी अभिकरण को इन उप—विधियों के उपबन्धों के अनुसार स्वीकृति ओएमडी की अनुमित दे सकती है, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अधीन उपलब्ध करवाई जाने वाली निधियों सिहत इसकी अपनी निधियों से हरे स्थानों, पार्कों, जल निकायों आदि सिहत सार्वजिनक स्थान या सार्वजिनक उपयोगिता का निर्माण, संचालन या रख—रखाव का वचन देता है।
- 14 सरकार या किसी वैद्यानिक प्रधिकरण, बोर्ड, निगम द्वारा किसी अवसंरचना परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संस्था या सरकार के स्वामित्वाधीन तथा नियन्त्रणाधीन अन्य संस्था को किसी अवसंरचना परियोजना (पथ प्रल को छोड़कर) के कार्यान्वयन को सौंपें गए विज्ञापन अधिकार इन उपविधियों के अनुसार अनुमत होंगे, तथा उप—विधि 13 के खण्ड (2) के उपबन्ध ऐसी अवसंरचना परियोजना के कार्यान्वयन की संस्था द्वारा विज्ञापनों के प्रदर्शन को लागू नहीं होंगे।

नगर परिषद / समिति की सम्पत्ति या किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता आदि के निर्माण, संचालन या रखरखाव के लिए ओ.एम.डी.।

सरकारी या सरकारी हस्तियों की संपति पर ओ.एम.डी.। बहरी मीडिया यन्त्र (ओ.एम.डी.) के फारमेट।

के फारमेट। अनुज्ञा फीस।

- 15 ओ.एम.डी. **अनुबन्ध 5** में बताए गए ब्योरों के अनुसार तथा **अनूसूची 1** में बताई गई अनुज्ञेय विशिष्टियों तथा शर्तों सहित वर्गीकृत किए जाएंगे।
- 16 (1) अधिनियम की धारा 70 के अनुसार अनुज्ञा फीस रिजस्टर्ड अभिकरण द्वारा ऐसी दरों पर, जो सरकार, समय—समय पर, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, त्रैमासिक आधार पर, यदि अनुमोदन की अविध एक वर्ष से कम है या वार्षिक आधार पर यदि अनुमोदन की अविध एक वर्ष से अधिक है, अग्रिम में भूगतानयोग्य होगी।
- (2) परिषद / समिति के पास आरोप्य कारणों के कारण परिषद / समिति द्वारा विज्ञापन को हटाने के मामले में यथानुपात राशि रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) को वापस की जाएगी ।
- (3) यदि रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) **उप–विधि 6 के खण्ड (6)** के अधीन दी गई अनुमित को वापस लेने की मांग करता है, तो परिषद / समिति को भुगतान की गई अनुज्ञा फीस वापस नहीं की जाएगी।
- (4) अनुज्ञा फीस के अतिरिक्त, रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) परिषद / समिति को भुगतानयोग्य अनुज्ञा फीस के बराबर राशि की बैंक गारंटी अनुमोदन की त्रैमासिक अविध के लिए मान्य अग्रिम में जमा करेगी।
- (5) अनुज्ञा फीस वर्तमान ओ.एम.डी. सहित सभी ओ.एम.डी. पर इन उप—विधियों की अधिसूचना से तुरन्त लागू होंगी ।
 - (6) अनुज्ञा फीस प्रत्येक वित्तिय वर्ष के आरम्भ में पाँच प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी।
- (7) सभी लागू कर अनुज्ञा फीस के अतिरिक्त ओ.एम.डी. के रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) द्वारा देय होंगे तथा भुगतानयोग्य होंगे ।
- (8) नगरपरिषद / समिति बाजार स्थिति के अनुसार अनुज्ञा फीस संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव, अनुज्ञा फीस के अन्तिम संशोधन की तिथि से पांच वर्ष की अविध के भीतर, तैयार करेगी। यदि परिषद / समिति पाँच वर्ष की अविध में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार करने में असफल रहता है, तो सरकार अनुज्ञा फीस के अन्तिम संशोधन के पांचवें वर्ष की समाप्ति पर तुरन्त स्वप्रेरणा से संशोधन कर सकती है तथा अनुज्ञा फीस अधिसूचित कर सकती है।
- (9) **उप-विधि 13 के खण्ड (8)**, के अधीन स्वीकृत ओ.एम.डी स्थापित करने के लिए अनुमत रिजस्टर्ड अभिकरणों को अनुज्ञा फीस के भुगतान से छूट प्राप्त है।

17 (1) परिषद / समिति या अथवा, साधारण या विशेष आदेशों द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को

(2) परिषद / समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय—समय पर, नगरपालिका / परिषद / समिति द्वारा यथा विनिर्दिष्ट "बाहरी विज्ञापन मीडिया यन्त्र लेखा—परीक्षा प्ररूप" के सम्बन्ध में निरीक्षण करेगा।

18 (1) इन उप-विधियों के उपबन्धों के अध्यधीन;-

किसी भी समय ओ.एम.डी. का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

- (i) रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए), यन्त्र तथा आस—पड़ोस के क्षेत्र के अनुरक्षण के लिये जिम्मेवार होगा तािक यह ऐसे स्तर तक घृणित न बने या विकृत न हो जो इन उप—विधियों के किसी उपबन्ध के विरोध में होः
- (ii) रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) की स्वयं की सन्तुष्टि के दृष्टिगत ओ.एम.डी. का निरीक्षण तीन मास में कम से कम एक बार करेगा कि यह उचित रूप से अनुरक्षित किया गया है तथा ऐसे निरीक्षण पर परिणामिक कोई आवश्यक अनुरक्षण तुरन्त करेगा;
- (iii) रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) की गई किसी जाँच, किए गए अनुरक्षण का लिखित रिकार्ड रखेगा तथा उसका रिकार्ड सुरक्षित रखेगा तथा परिषद / समिति के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर परिशोलन (पढ़ने) के लिए उसे उपलब्ध कराएगा।
- (2) रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) सुनिश्चित करेगा कि परिषद/समिति द्वारा यथा अपेक्षित, परिषद/समिति के अनुमोदन के ब्योरे तथा ओ.एम.डी. के ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए परिषद/समिति के उर्त्कीण लोगो सिहत एक धातु प्लेट (कम से कम एक फुट ग एक फुट के आकार की) सभी समयों पर अच्छी स्थिति में प्रदर्शित तथा अनुरक्षित की जायेगी। ऐसा करने में असफल होने के परिणाम पर ऐसा असफलता अनुपालना प्रभार देय होगा जो परिषद/समिति विनिर्दिष्ट करेगी।

निरीक्षण।

ओ.एम.डी. का अनुरक्षण तथा अप्राधिकृत विज्ञापनों को हटाना।

- (3) यदि, परिषद / सिमिति की राय में कोई ओ.एम.डी. किसी खतरा—संकेत में या असुरिक्षत है या मरम्मत न होने की स्थिति में गिरने की सम्भावना है या इन उप—विधियों की किसी अपेक्षा के प्रतिकूल है, तो परिषद / सिमिति रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) को विनिर्दिष्ट अविध के भीतर ओ.एम.डी. को हटाने / अनुरक्षण करने के लिए नोटिस की तामील करेगी तथा रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) के लिए उसका अनुपालन करना या उचित कार्यवाही करना अपेक्षित होगा ।
- (4) यदि परिषद / सिमिति की राय है कि ओ.एम.डी किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये सिन्निकट संधरित करती है, तो यह नोटिस की तामील किये बिना, या यदि ऐसा नोटिस तामील किया गया है, किन्तु उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन नहीं किया गया है, ओ.एम.डी. हटाएगा / अनुरक्षित करेगा।
- (5) किसी ओ.एम.डी. को हटाने तथा संचयन के लिये उपगत लागत, तथा खण्ड (4) में यथा अपेक्षित परिषद/समिति द्वारा उपगत कोई अन्य लागत रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) से वसूल करेगा। परिषद/समिति द्वारा ओ.एम.डी रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) के जोखिम पर हटाई जाएगी।
- (6) यदि कोई ओ.एम.डी. खण्ड (4) के निबन्धों के अनुसार हटाई गई है, तो परिषद / समिति ओ.एम.डी. को इस प्रकार हटाए जाने के बारे में रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) को शीघ्रता से सूचित करेगी।
- (7) कोई ओ.एम.डी. जो इन उप–विधियों के निबन्धनों के अनुसार हटाई गई है या संचित की गई है, ऐसी फीस / प्रभारों, जो परिषद / समिति विनिर्दिष्ट करे, के भुगतान के अधीन उसे उसके रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) को निर्मुक्त करेगा।
- (8) प्राधिकृत ओ.एम.डी. की सम्पूर्ण सूची, व्यापक तौर पर जनसाधारण तथा विज्ञापन कम्पनियों, अभिकरणों द्वारा संवीक्षा के लिए स्वामित्व प्रदर्शन के बिना प्रदर्शित की जाएगी, ब्रांडों की पहचान तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि उन द्वारा जारी किए जा रहे विज्ञापन केवल प्राधिकृत ओ.एम.डी. पर ही लगाए जा रहे हैं। उपरोक्त अपेक्षा की अनुपालन में असफलता हरियाणा सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के अधीन दण्डनीय होगी।
- (9) कोई अप्राधिकृत बाहरी विज्ञापन परिषद / समिति द्वारा शीघ्रता से हटाया जाएगा तथा उसका जैसा है जहां है के आधार पर तुरन्त निपटान किया जाएगा।
- (10) नगरपालिका, हरियाणा सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के उपबन्धों के अनुसार अनाधिकृत ओएमडी स्थापित करने के लिए संबंधित व्यक्ति/ स्वामी को नोटिस जारी करेगी और अनाधिकृत ओएमडी को हटाने का कार्य करेगी तथा और व्यक्ति/ स्वामी को दंडित करेगी।

19 रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए), जिस पर ओ.एम.डी. निर्मित, संलग्न या प्रदर्शित की गई है, इन उप—विधियों के निबन्धनों के अनुसार ऐसे साधन के अनुमोदन के लिए आवेदन से सम्बन्धित सभी प्रलेखन की प्रमाणित प्रतियां तब तक रखेगा जब तक वह साधन निर्मित या प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तथा किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर ऐसे प्रलेखन प्रस्तुत किए जांएगे।

प्रलेखन।

20 (1) यदि कोई लिखित टिप्पणी, प्रतिवेदन या आक्षेप, अपेक्षित किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है, तो परिषद/समिति आवेदन पर निर्णय लेने से पूर्व सभी ऐसी टिप्पणियों, प्रतिवेदनों तथा आक्षेपों पर विचार करेगी।

हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार।

नोटिस की

तामील।

- (2) आवेदक, आवेदन पर किसी टिप्पणी, प्रतिवेदनों या आक्षेपों को प्राप्त करने के बाद, चौदह दिन के भीतर विचारण के लिये परिषद/समिति को लिखित उत्तर प्रस्तुत करेगा।
- (3) यदि कोई उत्तर चौदह दिन की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो परिषद / सिमिति टिप्पणी, प्रतिवेदनों या आक्षेपों पर निर्णय टिप्पणी, प्रतिवेदनों या आक्षेपों की प्राप्ति के इक्कीस दिनों के भीतर करेगी।
- 21 (1) कोई नोटिस जो इन उप—विधियों के निबन्धनों के अनुसार या प्रयोजनों के लिए तामिल, परिदन्त या दिया जाना अपेक्षित है या दिया जा सकता है, तो निम्नलिखित रीति में से किसी एक में तामील किया जाएगा;—
 - (i) सम्बन्धित व्यक्ति / रिजस्टर्ड अभिकरण के अन्तिम ज्ञात पत्ते पर रिजस्टर्ड डाक द्वारा या डाक प्रमाण-पत्र के अधीन नोटिस प्रति भेजते हुए तथा जब तक प्रतिकूल साबित न किया गया हो, यह समझा गया है कि तामील सातवें दिन के आगामी दिन को हो गई है, जिसको दस्तावेज भेजे गए थे;

- (ii) व्यक्ति को नोटिस की प्रति फैक्स करते हुए, यदि व्यक्ति ने परिषद / समिति को फैक्स नम्बर लिखित में दिए हैं;
- (iii) रजिस्टर्ड ई-मेल आई डी पर ई-मेल द्वारा नोटिस अग्रेषण करते हुए; तथा
- (iv) रजिस्टर्ड अभिकरण के स्वामी या उसके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को नोटिस की प्रति दस्ती देते हुए।

अपीलें।

22 कोई व्यक्ति, जिसके अधिकार इन उप-विधियों के निबन्धनों के अनुसार या के प्रयोजनों के लिये परिषद / समिति या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निर्णय द्वारा प्रभावित हुए है, तो वह उस निर्णय के विरूद्ध अपील उपायुक्त को कर सकता है।

अपराध तथा शस्तियां।

- 23 (1) जो कोई भी इन उप—विधियों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, तो वह, किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि नगरपालिका द्वारा ऐसी उल्लंघन को हटाने के लिए की जा सकती है, ऐसे उल्लंघन की अविध या त्रैमासिक, जो भी अधिक हो, के लिए ऐसे उल्लंघन के प्रारम्भ की तिथि से लागू अनुज्ञा फीस के तीन गुणा की समकक्ष दर पर ऐसे उल्लंघन के लिए अनिधकृत शुल्क का भूगतान करने हेतु दायी होगा।
- (2) किसी रजिस्टर्ड अभिकरण द्वारा प्रदर्शित अप्राधिकृत मीडिया के मामले में, सम्पति का स्वामी, जिस पर अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित किया गया है तथा अभिकरण खण्ड (1) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे उल्लंघन के लिए प्रभार के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से तथा अलग—अलग रूप से दायी होंगे।
- (3) रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) जिसमें अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित किया है, नगरपरिषद / समिति द्वारा डिरजिस्टर्ड किए जाने के लिए भी दायी होगीः

परन्तु डिरजिस्टर्ड के लिए कोई कार्रवाई परिषद/समिति या परिषद/समिति द्वारा इस निमित्त किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) को केवल सुनवाई का अवसर देने के बाद की जाएगीः

परन्तु यह और कि यदि रिजस्टर्ड संस्था ऐसे उल्लंघन के नोटिस की तिथि से **पांच दिन** की अविध के भीतर ऐसे उल्लंघन के लिए प्रभार का भुगतान करती है, अप्राधिकृत मीडिया हटा लेती है तथा और भविष्य में उप–विधियों के उपबन्धों का अनुपालन करने का वचन देती है, तो नगरपालिका, सदभावपूर्वक, रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) को अवसर प्रदान कर सकता है:

परन्तु यह और भी कि द्वितीय परन्तुक के अधीन अवसर केवल एक उल्लंघन के लिए दिया जाएगा तथा तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए नहीं दिया जाएगा।

(4) यदि किसी अभिकरण का स्वामी, प्रोत्साहक या निदेशक, जिसे डिरजिस्टर्ड किया गया है, किसी अन्य रजिस्टर्ड अभिकरण का स्वामी, प्रोत्साहक या निदेशक है, तो ऐसे अन्य रजिस्टर्ड अभिकरण के विरूद्ध भी डिरजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की जाएगी:

परन्तु डिरजिस्ट्रेशन के लिए कोई कार्रवाई परिषद / समिति या परिषद / समिति द्वारा इस निमित्त किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) को केवल सुनवाई का अवसर देने के बाद की जाएगी।

- (5) उपरोक्त खण्ड (3) या खण्ड (4) के अधीन रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) के डिरिजस्ट्रेशन के निर्णय के परिणामिक ऐसे रिजस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) की किसी ओ.एम.डी. के लिए परिषद / समिति द्वारा दिया गया कोई अनुमोदन किसी ओर नोटिस के बिना तुरन्त वापस लिया गया समझा जाएगा।
- (6) किसी रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) उपरोक्त **खण्ड (3)** या खण्ड **(4)** के अधीन एक बार डिरजिस्टर्ड किया गया है, तो उसे डिरजिस्ट्रेशन की तिथि से तीन वर्ष की अविध के लिए रजिस्टर करने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा।
- (7) **पन्द्रह दिन** से आगे उल्लंघन जारी रहने के मामले में, सम्पति, जिस पर ऐसा उल्लंघन होता है, एक वर्ष की अवधि कि लिए विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए बहिष्कृत कर दी जाएगी ।
- (8) परिषद / समिति, द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सम्पति, जिस पर या में अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित किया गया है, में प्रवेश करने तथा ऐसे अप्राधिकृत मीडिया को हटाने की शक्ति होगी।

- 24 (1) ओ.एम.डी. की रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए), व्यक्तियों की बीमा शारीरिक हानि या सम्पति के आकरिमक नुकसान के सम्बन्ध में तीसरे पक्षकार के लिए उनके सम्बन्धित अधिकारों, हितों तथा दायित्वों के लिए लोक दायित्व बीमा पालिसी रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) के संयुक्त नाम से उपलब्ध कराएगा तथा पूर्णयता प्रवृत प्रभावशाली रखेगा। रजिस्टर्ड अभिकरण परिषद / समिति को बीमा लोक दायित्व बीमा पालिसी के सबूत प्रस्तुत करेगा।
- 25 (1) रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) द्वारा, सभी कार्रवाई, क्षितपूर्ति। कार्यवाहियों, दावों, मांगों, लागतों, हानियों, नुकसानों तथा खर्चों, जो परिषद / समिति के विरूद्ध लाये गये है, या पर किए गये हैं, जो ओ.एम.डी. को लगाने या अस्तित्व के परिणाम के रूप में उत्पन्न हुये हैं, के लिए परिषद / समिति को क्षितपूर्ति करनी अपेक्षित होगी।
- (2) रजिस्टर्ड अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) विज्ञापन के प्रदर्शन से उत्पन्न या सम्बन्धित किसी व्यक्ति या सम्पति द्वारा की गई किसी हानि या वहन किए गये नुकसान के लिए हमेशा जिम्मेवार होगा तथा परिणामी दावा स्वामी द्वारा उठाया जायेगा, जो परिषद / समिति, इसके द्वारा नियोजित / नियुक्त किसी हस्ती की क्षतिपूर्ति भी करेगा तथा सुरक्षित भी रखेगा।

अनुबन्ध 1 रजिस्ट्रेशन प्ररूप [देखिए उप—विधि 3 (1) तथा 3(6)]

नगरपरिषद / समिति

बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन

1.	केन्द्रीय अधिनि		शन ब्यौरों सहित	ानियम 18) या सीमित दारि कम्पनी /फर्म/अभिकरण/				
2.								
3.	रजिस्टर्ड पता :कारबार :फैक्स :फैक्स : ईमेल							
0.								
4.	निदेशकों / स्वत्वधारियों /भागीदारों के ब्योरे :							
	क्रम संख्या	नाम	डिन संख्या	मोबाईल संख्या		ईमेल पता		
	(i)							
	(ii)							
5.		ाम ज्ञापन तथा संग	•	` ` ` ` ` `	ν.			
6.				ग के अनुभव, ब्योरे, यदि उप	ालब्ध हों;			
7.		प्रत्येक निदेशक के	9					
8.	निदेशक के ब्य	गोरे, जो किसी अन	य अभिकरण के ि	नेदेशक रहते हुए किसी माम	ले में दोषी रहे हों	,		
9.	पिछले तीन व	र्षों का तुलन–पत्र,	यदि उपलब्ध हों	:				
10.	अभिकरण के ! का प्राधिकार प		के लिए निदेशक	जबोर्ड द्वारा (संकल्प पारित [ा]	करके) न कि कि	सी वैयक्तिक या निदेशक		
11.	हरियाणा की वि	किसी भी नगरपाि	नका में पिछले पां	व वर्षों में प्राप्त विज्ञापन अधि	वेकारों / अनुमतियों	ं के ब्योरे;		
12.	वचन देना कि,	, हरियाणा की कि	सी भी नगरपालि	n में उसके विरूद्ध कोई भी	राशि लम्बित नर्ह	तें है;		
13.	हस्ती की किस	म :						
14.	पैन संख्या :							
15.	सेवाकर संख्या	「:						
16.	रजिस्ट्रेशन रार्गि	श :						
17.				सी सरकारी हस्ती				
	•	ची में नहीं डाला व			ग़ं 🗌 नहीं 🔲			
18.	-	` ′कम्पनी की ओरः		बत नहीं है ह	ग़ं 🗌 नहीं 🔲			
19.		प्या कुल लम्बित व	•		गं □ नहीं □			
20.	·			। मामला लम्बित नहीं है। ह	_			
का पा	लन करूंगा/क	नगरपरिषद / सिर्मा रेंगे। उपरोक्त सूर्व रद्द हो जाएगा।	ते द्वारा बनाई गइ ग्रीबद्ध सूचना भी	र्ह विज्ञापन उप–विधि / पालि सत्य तथा प्रमाणिक है तथा	प्ती के निबन्धनों त इसके सम्बन्ध में !	ाथा शर्तो तथा मार्गदर्शनों प्रतिकूल निष्कर्ष के		
		`			हां	सहमत 🔲		
					Г			
						प्रस्तुत		
				का प्रिंट आउट लें तथा इसे य में परिषद / समिति द्वारा,				
के डिम	गण्ड ड्राफ्ट सहि	हेत प्रस्तुत करें ;)						
टिप्पण:	यह केवल प्रती	ीकी (प्ररूपी) फार [्]	मेट है तथा नगरप	ारिषद / समिति	द्वारा समय-	–समय _् पर,		
	के रूपान्तरण/	ं संशोधन के अध्य	धीन है। वैबसाईट	ट से नवीनतम वृतान्त का हरे	नेशा प्रयोग किया	जाना है।		

अनुबन्ध 2

अनुमोदन प्ररूप

[देखिए उप-विधि 4(4)]

			{दाखए उप-ावाध ४(४)}	
संख्या				दिनांक
सेवा में				
			के प्रदर्शन के लिए ओ.एम.डी. को लगाने के रजिस्ट्रेशन के के सन्दर्भ में।	लिए आपके आवेदन संख्या
प्रिय श्री	मान र्ज	गे,		
			गपनों के प्रदर्शन के लिए ओ.एम.डी. को लगाने के लिए नग दन के संदर्भ में है।	रपरिषद / समिति से रजिस्ट्रेशन
2	यह सूचि	वत कि	या जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित	निर्णय लिया गया है :
1	;	आवंटित	शन के लिए आपका आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है त त की गई है। कृपया नगरपरिषद / समिति में स की वैबसाईट पर आपके लेखे को सक्रिय करने के ि	भी आगामी पत्राचार तथा नगरपरिषद/समिति
2	2.	नए मीर्ग	डिया / नवीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नलिखित के व	गरण अस्वीकृत किया गया है:
	7	क.	अधूरा आवेदन	
	;	ख.	दी गई गलत सूचना	
	-	ग.	नगरपरिषद / समिति में लम्बित देय	
	7	घ.	काली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नहीं है	
	=	ड.	अन्य	
				कार्यकारी अधिकारी / सचिव
				नगरपरिषद / समिति

टिप्पण :

- 1. आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आप उपरोक्त वर्णित शर्तों की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते हैं।
- 2. यह केवल प्ररूपी फारमैट है तथा यह नगरपरिषद / समिति द्वारा समय-समय पर रूपान्तरण / संशोधन के अध्यधीन है।

अनुबन्ध 3 आवेदन प्ररूप

[देखिए उप-विधि 5(1),5(2) तथा 6(6)]

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए								
जिला :	शहर :		वार्ड :		जोन	₹:	परमिट	संख्या :
सड़क / गली / पता	:							
दी गई तिथि :			आवेदन संख्या :					
परमिट जारी करने			परमिट समाप्ति की तिथि :					
परामट जारा करन	का ।ताथ .		परानट सन	गाप्त का	।ताथ .			
अनुभाग I – फीस	अनुभाग I — फीस (मेल द्वारा कोई भी नकद स्वीकृत नहीं है)							
आवेदन फीस (अप्रत								
खाता संख्या :	बैंक क	ग नाम :	अ	ाई एफ	एस सी	कोड :		
खाता संख्याः	l	कु	ल प्रभाशित	फीस :				
						••		
अनुभाग II – प्ररूप	। — वर्गीकरण	(उपयुक्त	बॉक्स जांचे)				
किस्म क		· •	किस्म र		f	केस्म ग		किस्म घ, ड़, च तथा छ
• बस तथा आई	गी टी आश्रय		• सरव	गरी भूमि	में (• सूचना		🕒 अस्थाईघटना
• बस तथा आई		र्कर 🗀	पर	ओ.एम		पट्ट		• वृक्ष गार्ड 🔲
 शौचघर ब्लाक 		一	डी.			• यूनिपोल] • स्वतः विज्ञापन 🔲
 साईकल स्टेशन 		$\overline{}$				• भवन बोर्ड]• नवाचार □
• पुलिसबूथ		H				• दीवार		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						आवरण		1
	• बैठने के बैंच					• एल ई डी	/ [1
• यातायात रूकाव						इलैक्ट्रोनिव		ı
• पइलोन माउंटि						`		
• मैट्रो / एम आर		ओ बी						
• सरकारी परिवह								
अनुभाग III – अ							•	
आवेदक का नाम (व फर्म या परमिट चाह व्यक्तिगत का मुद्रित टाईप नाम	हुने वाला 1 या	नेदेशकों के	नाम :	:	मात्र रि 	जेस्ट्रेशन संख	या अ 	ो.एम.डी. आई डी :
मेलिंग पता :	Ş	शहर :		राज्य	ı :			गर्यालय फोन संख्या / मोबाईल
			-				4	ख्या :
अनुभाग IV — सम	गत्ति						•	
सरकारी				Я	ाईवेट			
सम्पत्ति स्वामी का	नाम (व्यक्ति	पता :		शहर :		पिन कोड	: फोन	नम्बर :
के नियन्त्रण में सम्प							.	
	,						.	
					•			
		1				1		

अनुभाग V – प्रदर्शन स्थान सूचना						
क्षेत्र :	स्थान :		गली :		सीमा चिह्न :	
	खसरा संर	ड् य ा	सैक्टर संर	झ्या		
अनुभाग VI – मीडिया विशिष्टियां		ſ		ı		
उंचाई :		लम्बाई :		आव	कार (वर्ग फुट में) :	
सामग्री		चित्रावली		अग्र	प्रभाग की सूचना देना	
घातु लकड़ी अन्य		हां	नहीं	एन	ा एस ई डब <u>्लयू</u>	
अनुभाग VII – अपेक्षित दस्तावेज						
कृपया निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड	r 					
	5 47 1 .				अपलोड	
•	114(14) (21)					
·	भवन परमिट / सम्पत्ति कर अपलोड					
	पैन संख्या अपलोड					
	सेवा कर संख्या अपलोड					
 संरचनात्मक इंजीनियर सम्पति 					अपलोड	
 स्वामी तथा विज्ञापन अभिकरण 	ा के बीच स	ांविदा करार			अपलोड	
 विज्ञापन स्थलों के स्थान सिह 	त शहर यो	जना			अपलोड	
 जी पी एस अवस्थिति सहितः 	• जी पी एस अवस्थिति सहित ओ.एम.डी का समकक्ष अपलोड					
• स्थल के फोटो (स्वामी तथा ३	• स्थल के फोटो (स्वामी तथा अभिकरण द्वारा हस्ताक्षरित) अपलोड					
 स्थल की रेखाचित्र योजना (स् 	स्थल की रेखाचित्र योजना (स्वामी तथा अभिकरण द्वारा हस्ताक्षरित) अपलोड					
 लम्बित देय (यदि कोई हों) 	• लम्बित देय (यदि कोई हों) अपलोड					
• वास्तुशिल्पीय ड्राईंग (उत्थापन	वास्तुशिल्पीय ड्राईंग (उत्थापन, माप मापक्रम 1:1000) अपलोड					
मैं / हम, इसके द्वारा, नगरपरि	षद / समिति	द्वारा बनाई ग		यों व	के सभी उपबन्धों का पालन करूंगा / करेंगे।	

(आफलाइन प्रस्तुतीकरण के मामले में, कृपया इस प्ररूप का प्रिन्ट आउट लें तथा नगरपरिषद/समिति सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद/समिति के पक्ष मेंपर भुगतानयोग्य नगरपालिका द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी धनराशी के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित इसे प्रस्तुत करें)

टिप्पणः यह केवल प्रतीकी (प्ररूपी) फारमैट है तथा समय—समय पर नगरपरिषद / समिति द्वारा रूपान्तरण / संशोधन के अध्यधीन है। वैबसाईट से नवीनतम वृतान्त का हमेशा प्रयोग किया जाना है।

		नगरपरिषद / सामात, द्वारा अनुमादन पत्र
संख्या		
सेवा में	Ť	
		,
दिनांक		ग्रहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए नये ओ.एम.डी की स्थापना नवीकरण के लिए आपके आवेदन संख्या के संदर्भ में।
	 गेमान जी,	
	Ŧ	नगरपरिषद / समिति
•	•	यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :
1.	नये मीडि	हेया / नवीकरण के लिए आपका आवेदन
	निर्माण /	प्रदर्शन के लिए स्वीकृत किया गया है तथा आपको, इसके द्वारा, इस पत्र के जारी होने के सात दिन के रूपये की मासिक फीस जमा कराने के लिए निर्देशित किया जाता है।
2.	नई ओ.ए	एम.डी. के लिए आबंटित एकमात्र आई.डीहै।
	नये मीडि	उया / नवीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नलिखित के कारण अस्वीकार किया जाता है :
	1 3	अधूरा आवेदन
	2 =	री गई गलत सूचना
	3 =	नगर निगम/ नगरपरिषद/समिति में लम्बित देय
	4 ব	न्नाली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नहीं है
	5 3	अन्य
		आपका धन्यवाद
		कार्यकारी अधिकारी / सचिव
		नगरपरिषद / समिति
	पृष्टांक र	सख्या दिनांक
कि आ नगर प अधिनि की वर	प दायी ह गरिषद / स् यम 1973 नूली करने	ते श्री ———— (सम्पति का स्वामी), पता ——— की सूचना के लिए सूचित करते हुए तथा कथित करते हुए होंगे यदि अभिकरण जिसके साथ आपने संविदा करार की है (प्रति सलंग्न)। उपरोक्त जारी अनुमति के दृष्टिगत मिति की ओर किन्हीं देयों के भुगतान में चूक की है और नगर परिषद / समिति को हरियाणा, नगरपालिका (1973 का 24), की धारा 95 के उपबन्धों के अधीन ऐसी सम्पत्ति के कुर्की या विक्रम के रूप में चूक में राशि । का अधिकार होगा। आगे, उपरोक्त वर्णित अवधि की समाप्ति के बाद आप द्वारा किसी प्रकार के अप्राधिकृत दायी ठहराये जाएंगे।
		कार्यकारी अधिकारी / सचिव
		नगर परिषद / समिति
टिप्पण	:	आवेदन की अस्वीकृति के मामले में आप उपरोक्त वर्णित शर्तों की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते हैं।
टिप्पण	:	यह केवल प्ररूपी फारमैट है तथा यह नगरपरिषद / सिमति द्वारा, समय—समय पर, रूपान्तरण / संशोधन के अध्यधीन है।

अनुबन्ध 5 *(देखिये उप–विधि 15)*

वर्गीकरण	वर्गीकरण वर्णन
क.	प्ररूप वर्गीकरण क : सार्वजनिक परिवहन सेवाओं / गली फर्नीचर तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर
	ओ.एम.डी.
क.1	बस तथा मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आई.पी.टी.) आश्रय
क.2	बस तथा आई.पी.टी. मार्ग मार्कर
क.3	फुट ओवर सेतु, संकेत गंत्री, शौचघर ब्लाक तथा मूत्रालय
क.4	साईकल स्टेण्ड / स्टेशन
क.5	पुलिस बूथ, पर्किंग बूथ, टैलीफोन बूथ, पूर्व भुगतान टैक्सी बूथ, बस/रेल बुकिंग सूचना बूथ, पेयजल सुविधा, निर्देशिका/बिलों के भुगतान इत्यादि को सुकर बनाने के लिए कालोनियों के बाहर लोक उपयोगिता कीयोस्क।
क.6	बैठने के बेंच, कूड़ा–करकट धानी।
क.7	मैट्रो / एम.आर.टी.एस.
क.8	यातायात रूकावट
क.9	सार्वजनिक परिवहन वाहन
ख.	वर्गीकरण ख : सार्वजनिक भूमि पर विणिज्यिक विज्ञापन संरचना पर ओ.एम.डी.
ख.1	सार्वजनिक भूमि पर ओ.एम.डी.
ग.	वर्गीकरण ग : निजी भूमि पर विणिज्यिक विज्ञापन संरचना पर ओ.एम.डी.।
ग.1	यूनिपोल, सूचनापट्ट, भवन बोर्ड
ग.2	दीवार आवरण / दीवार पेंटिंग
ग.3	बहुविध ओ.एम.डी.,।
घ.	वर्गीकरण घ. : कार्यक्रम
घ.1	धार्मिक, राजनैतिक तथा सम्मेलन
घ.2	मनोरंजन तथा प्रदर्शन कार्यक्रम
ड ़.	वर्गीकरण इ : भू—दृश्य विज्ञापन
इ.1	वृक्ष गार्ड
च.	वर्गीकरण चः दुकान संकेत
च.1	स्वतः विज्ञापन
छ.	वर्गीकरण छ : नवाचार विज्ञापन
छ.1	नवाचार विज्ञापन
ज.	वर्गीकरण ज : सिनेमा विज्ञापन
ज.1	स्कीन विज्ञापन पर सिनेमा में जिसमें खिसकना (स्लाईड) तथा विज्ञापन फिल्म (गतिमान विज्ञापन) शामिल हैं ।
 झ.	वर्गीकरण झ : आन्तरिक वणिज्यिक भवन तथा सरकारी भवन
ਚ.1	आन्तरिक विणिज्यिक भवन तथा सरकारी भवन
	1

समर्थित संरचना चमकीली (चमचमाती) रूकावट के लिए गैर-परावर्तक से परिष्कृत होगी। ओ.एम.डी संरचना को हर सभी समय भली भांति अनुरक्षित किया जाएगा। इसे ऐसे रंग से रंगा जाएगा जो आस-पड़ोस से संगत हो तथा उसको बढ़ावा दें।

अनुबंध- 6

[देखिए उपविधि 6 (6)]

मानक संविदा करार

यह करार कार्यकारी अधिकारी/सचिव्	नगरपरिषद / समिति,	जिसे, इसमें, इसके	बाद प्रथम पक्षकार वे	रुप में	ां निर्दिष्ट
किया गया है (जिसकी अभिव्यक्ति जब	तक संदर्भ अर्थ के प्रतिकूल	नहीं होगी तथा इसमें	उसके प्रथम पक्षकार	के उत	राधिकारी
तथा समनुदेशिती शामिल है) के द्वार	ा नगरपरिषद / समिति,	(लाईसैंसर) जिसका	कार्यालय	में है,	के बीच
दिनांक—————को (शह	र का नाम) में किया गया है।				

तथा

इसमें, इसके बाद, द्वितीय पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट बाहरी मीडिया अभिकरण या स्वामी (केवल स्वतः	विज्ञापन के
लिए) के रूप में नगरपरिषद / समिति से पंजीकृत अपना पंजीकृत कार्यालय में रखने वाली फा	र्न मैसर्स
ं के श्री / श्रीमती,(स्वामी / भागीदार / निदेशक) जब तक अभिव्यक्ति संदर्भ या उसके अर्थ के प्र	गतिकूल नहीं
होगी। इसमें द्वितीय पक्षकार के उत्तराधिकारी समनुदेशिती भी शामिल है।	ζ,

इसलिए, अब, यह करार साक्षी है तथा यह इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में इसके पक्षकारों द्वारा तथा के बीच किया गया है:

- कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उप—विधियाँ, 2018 के उपबन्धों का पालन करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है तथा वचन लिया है।
- 2. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा तीन मास के नोटिस पर करार के समापन के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है। संविदा करार के निबन्धनों तथा शर्तों की चूक की दशा में करार तुरन्त समापनीय हो जाएगा।
- 3. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा वचन देता है कि होर्डिंग के संनिर्माण तथा विज्ञापन का प्रदर्शन स्वामियों से सम्बधित भवन या अड़ोस—पड़ोस भवन तथा / या परिसरों की वायु, प्रकाश तथा संवातन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या में कोई बाधा नहीं करेगा।
- 5. द्वितीय पक्षकार आगे सहमत है तथा वचन देता है कि वे प्रथम पक्षकार द्वारा उनके विरूद्ध किये गये किसी दावे, वाद तथा दायित्वों के लिये दायी होंगे।
- 6. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा आगामी वर्ष के लिये वार्षिक लाईसेंस फीस अग्रिम में समय पर जमा करवाने के लिये सहमत है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अग्रिम फीस भुगतान वार्षिक लाईसेंस फीस की समाप्ति से तीस दिन पूर्व जमा हो गई है जिसमें असफल होने पर अनुज्ञा रद्द किये जाने के लिए दायी है। फीसों के जमा न करने के मामले में करार तुरन्त समाप्त हो जाएगा तथा द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी जब्त हो जाएगी तथा लिम्बत देय, यिद कोई हो, समायोजित किये जाएंगे।
- 7. कि द्वितीय पक्षकार समय—समय पर यथा संशोधित हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपविधियां, 2018 की उप—विधि 18 में यथा परिभाषित ओएमडी का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा। अनुपालन के मामले में, करार तुरन्त समाप्त हो जाएगा तथा उपविधियों में यथा विहित शास्ति फर्म पर अधिरोपित की जाएगी।
- 8. कि दोनों पक्षकार इसके द्वारा सहमत है कि यह करार द्वितीय पक्षकार तथा होर्डिंग के संनिर्माण तथा विज्ञापन प्रदर्शन के लिए भूमि/भवन के स्वामी के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करार को असामयिक समाप्ति तथा समाप्ति पर समाप्त किया गया समझा जाएगा।

9. कि प्रथम पक्षकार तथा द्वितीय पक्षकार अभिवेदन तथा समर्थन करता है कि वे इस करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हैं।

इसके साक्ष्य में पक्षकार ने इसमें, इसके ऊपर पहले वर्णित दिन, मास तथा वर्ष को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है तथा मोहर लगा दी है।

निम्नलिखित द्वारा दिनांक को हस्ताक्षरित कर दिया है, मोहर लगा दी है तथा डिलीवर कर दिया है:

प्रथम पक्षकार का प्रतिनिधि द्वितीय पक्षकार का प्रतिनिधि

गवाहो की उपस्थिति में

हस्ताक्षर : हस्ताक्षर : नाम : नाम : पदनाम : पदनाम :

अनुसूची 1

सामान्य अनुज्ञा मानदण्ड– बाहरी मीडिया साधन

[देखिए उप-विधि-2(2)(xxvii), 3(4), 4(3), 6(3)(iii, v), 11(1), 12(1)(ii, iii) तथा 15}

1. यातायात बाधा सम्भाव्य निर्भरता

- (1) ओ.एम.डी. यातायात बाधा सम्भाव्य निम्नलिखित पर निर्भर है:-
 - स्थल अवस्थितिः सड़क से ओ.एम.डी. की अवस्थिति जो सड़क के किनारे से पार्श्व तथा देशान्तरीय अपसरण के निबन्धनों के अनुसार मापी गई है। सामान्यतः बाधा को कम करने के लिये साधन सड़क से दूर है;
 - (ii) ओ.एम.डी. का आकार;
 - (iii) ओ.एम.डी. का संदीप्ति स्तर; तथा
 - (iv) अप्रकाश्यता तथा अन्य ऐसे सम्बन्धित विषय।
- (2) विज्ञापन साधन को यातायात बाधा माना जा सकता है:
 - (i) यदि यह यातायात नियन्त्रण साधन (अर्थात् यातायात प्रकाश, ठहराव या रास्ता संकेत देना) की प्रभावकारिता में बाधा डालता है।
 - (ii) यदि यह सड़क सुरक्षा या यातायात दक्षता में बाधा डालता है;
 - (iii) संकटमय समय पर चालक का ध्यान भंग करता है (अर्थात् चौराहे पर निर्णय लेने में)।
 - (iv) सड़क बाधा में चालक की नजर को धुधला करता है (अर्थात् सड़क के कोने या मोड़ पर)।
 - (v) 'रूकने', 'उहराव' या अन्य में यातायात के लिए हिदायतें देता है (अर्थात् रास्ता देना या विलीन होना)।
 - (vi) यातायात नियन्त्रण साधन का अनुकरण करना।
 - (vii) क्या सड़क या अन्य अवसंरचना, यातायात, पैदलयात्रियों, साईकिल चालकों या अन्य सड़क उपभोक्ताओं के लिए खतरनाक बाधा डालता है।
 - (viii) क्या ऐसे क्षेत्र में हैं जहां कहीं अनेक साधन हैं तथा उन साधनों का संचयी प्रभाव समान्य रूप से खतरनाक है।
 - (ix) यदि ऐसे स्थान पर स्थित है जहां सड़क स्थिति के कारण चालक की एकाग्रता की मांग मुख्य है जैसा कि मुख्य चौराहे या विलीन होने तथा अटकने वाले पथ पर।
 - (x) यदि यह लागू भवन उपविधियों / संहिता का उल्लंघन करता है।
- (3) उपर्युक्त के अतिरिक्त, अतिरिक्त चालक ध्यान तथा निर्णय करना निम्नलिखित में अपेक्षित है:--
 - (i) उच्च गति में मोड़ना, विलीन होना या टेढे—मेढे चलना चौराहे पर जैसे कि 'वाई' चौराहा या बड़े उच्च गति चक्कर:
 - (ii) चौराहे के आस—पड़ोस में, जहां सम्पूर्ण पथ विलीन हो जाता है तथा जहां वाहनों का उच्चतर गति में विलीन होना अपेक्षित है (अर्थात् जहां ''जाल पथ'' चौराहे से पहुंच मार्ग, या से निकास को सृजित करता है तथा जहां विभाजित मोटर रास्ता दो सड़कों में बन जाता है);
 - (iii) सड़क के चौराहे या काट जो पथ की आकृति या ज्यामिति के कारण, चालक एकाग्रता के स्तर में वृद्धि के लिए जरूरी हो सकती है (अर्थात् पांच-रास्ता चौराहे, पीछे से पीछे सपाट मोड़);
 - (iv) विभाजित सड़क के बाहरी मोड पर जहां विज्ञापन वाहन रास्ते के सामने के यातायात को र्निदेशित करता है तथा ज्यामिति, कोण या अन्य घटक इसे आपत्तिजनक बनाते हैं;
 - (v) सडक को विभाजित करने वाले यातायात संकेत, दिशात्मक चिह्न, विनियामक तथा सलाहकारी चिह्न का प्रदर्शन करना जो कि (जब एक मात्र रूप से या संयोजन से माने गये हैं) महत्वपूर्ण रूप से अधिक असदृश या पेचीदा के रूप में मान लिए गये हैं, तो वे सामान्यतः प्रत्याशित होंगे (इन चौराहों पर यह प्रत्याशित होगा कि यातायात नियन्त्रण साधन (साधनों) की अपेक्षित अध्ययनता तथा व्याख्या अवधि सार्थक रूप से लम्बी होगी;
 - (vi) सड़क की काट जहां वाहन टक्कर पूर्ववृत सामान्य प्रणाली से उच्चतर है;
 - (vii) पैदल यात्रियों के लिए क्रासिंग स्विधाएं, तथा
 - (viii) विद्यालय, अस्पताल, वृद्धआश्रम ।

2. ओ.एम.डी. अवस्थान चयन मानदण्ड

- (1) स्थान चयन के मानदण्ड में निम्नलिखित शामिल है :--
 - (i) ओ.एम.डी. का पार्श्व स्थापना (जो गुमराह वाहन तथा सरकारी यातायात चिह्नों की वास्तविकता की सम्भाव्य बाधा को प्रभावित करता है), तथा
 - (ii) निर्दिष्ट यातायात स्थिति तथा सरकारी यातायात चिह्न, सड़क विशेषता तथा अन्य ओ.एम.डी. (जो दृश्य दूरी तथा चालक घबराहट को प्रभावित करता है) से संबंधित ओ.एम.डी का देशान्तरीय स्थापन (चालक घबराहट नियन्त्रण)।

(2) पार्श्व स्थापन

- (i) विज्ञापन मध्यम रेखा में अनुमत नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण यातायात नियन्त्रण साधनों से अलग रखा गया है।
- (ii) ओ.एम.डी. यातायात टापू (आईजलैण्ड) पर अनुमत नहीं होगा।
- (iii) जहां वाहन रास्ते इतने अधिक भटकाऊ हैं कि उस पर आने वाला यातायात स्थलाकृति या सधन पेड–पौधे के कारण दृश्य (स्पष्ट) नहीं है।
- (3) देशान्तरीय स्थापन (चालक घबराहट नियन्त्रण)
 - (i) देशान्तरीय स्थापन ओ.एम.डी. तथा यातायात प्रतिकूल बिन्दु, सरकारी यातायात चिह्न तथा अन्य ओ.एम.डी. (अर्थात् विज्ञापन सधनता को कम करना) के बीच न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करता है।
 - (ii) ओ.एम.डी. के स्थापन द्वारा यातायात के बहाव को सुकर बनाने तथा द्वारा हुये किसी यातायात बाधा से बचने के लिए किसी साधन के देशान्तरीय स्थापन को अन्तिम रूप देते समय निम्नलिखित का अनुपालन किया जायेगा, ओ.एम.डी. ने स्थापन के लिए दूरी मुख्य वाहन रास्ते या जंकशन (संयोजन), चौराहे, गोल चक्कर इत्यादि से मापी जाएगी।
- (4) पार्श्वीय तथा देशान्तरीय-स्थल चयन मापदण्ड
 - (i) पार्श्वीय मापदण्ड

ओ.एम.डी. के पार्श्वीय व्यवस्था के लिए स्थल चयन मापदण्ड

क्रम संख्या	आर.ओ.डब्लयू की चौड़ाई (मीटरों में)	सड़क के आर.ओ. डब्ल्यू से ओ.एम.डी. तक न्यूनतम पार्श्वीय सीधी स्पष्ट दूरी (मीटरों में)	मोड़ कारक (यदि) वहां सड़क पर मोड़ है)	सड़क के आर.ओ.डब्ल्यू. से ओ.एम.डी. तक न्यूनतम पार्श्वीय सीधी स्पष्ट दूरी (यदि वहां सड़क पर मोड़ है) (मीटरों में)
	1	2	3	4
1	100 से अधिक	15	1.5	22.5
2	60 से 100 तक	10	1.2	12
3	30 से 60 तक	07	1.2	8.5
4	30 से कम	03	1.0	3

- (क) पार्श्विक दूरी मानदण्ड **अनुबन्ध—5** में **टाईपोलाजी "क"** में परिभाशित ओ.एम.डी. के सिवाए सभी प्रकार की ओ.एम.डी. को लागू हैं;
- (ख) किसी भी स्थिति में, ओ.एम.डी. को आर.ओ.डब्लयू. के भीतर स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ग) यदि नगरपालिका सड़क का आर.ओ.डब्ल्यू. 20 मीटर से कम है, तो ओ.एम.डी. परिवहन मार्ग के समानान्तर लगाया जाएगा।

(ii) देशान्तरीय मानदण्ड

ओ.एम.डी. के देशान्तरीय स्थापना के लिए स्थल चयन मानदण्ड

			सड़क के साथ दो ओ.एम.डी. के बीच न्यूनतम देशान्तरीय सीधी स्पष्ट दूरी (यदि अधिसूचित गति 50 किलोमीटर/ प्रति घंटा से उच्चतर है)
	1	2	3
(i)	100 मीटर	(i). 60 किलोमीटर प्रति घंटा = 1.2	(i). 100 x 1.2 = 120 मीटर (ii). 100 x 1.5 = 150 मीटर
		(ii). 80 किलोमीटर प्रति घंटा = 1.5	

उपरोक्त दूरी को, वाहन द्वारा तीन सैंकड के विचलन समय में गति से पूरी की गई दूरी (विज्ञापन के कारण विचलन), ब्रेक लागू करने के लिए एक सैंकड का प्रतिक्रिया समय, दूसरी प्रतिक्रिया समय, गति वाहन की ब्रेकिंग दूरी और अतिरिक्त सुरक्षा कारक के आधार पर गणना की गई है।

टिप्पणः देशान्तरीय दूरी मानदण्ड अनुबन्ध 5 में टाईपोलाजी "क" में परिभाषित ओ.एम.डी. के सिवाए किसी सड़क के साथ ओ.एम.डी. या सार्वजनिक भूमि पर ओ.एम.डी को लागू होगी।

- (iii) किसी सड़क संयोजन (जंक्शन), यातायात चौराहे या अन्य क्रासिंग (चौराहे) के पचहत्तर मीटर के भीतर ओ.एम.डी. अनुमत नहीं है। दूरी यातायात चौराहे के किनारे से मापी जाएगी न कि सड़क जंक्शन या क्रॉसिंग से।
- (iv) ओ.एम.डी यातायात के विनियमन के लिए निर्मित किसी यातायात संकेत या यातायात चिह्न या किसी अन्य संरचना को बन्द नहीं करेगी।
- (v) गोलचक्कर (राउंडअबाउट) (परिवहन मार्ग सिहत) के बाहरी विस्तार (चौड़ाई) से मापे गए 100 मीटर से कम के ब्यास के गोल चक्कर पर ओ.एम.डी. अनुमत नहीं है।
- (vi) गोलचक्कर (परिवहन मार्ग सहित) के बाहरी विस्तार (चौड़ाई) से मापे गए 100 मीटर तथा से अधिक व्यास के गोल चक्कर पर ओ.एम.डी परिवहन मार्ग के किनारे से 15 मीटर की स्पष्ट दूरी पर अनुमत हैं।
- (vii) जहां पार्श्व स्थापन अपेक्षाएं तथा चालक घबराहट अपेक्षाएं किसी विशेष निर्बन्धन दूरी, द्वारा उपलब्ध कराई गई है, तो वृहतर मान्यताओं का प्रयोग किया जाएगा।
- (viii) जब दो (2) ओ.एम.डी. इकटठे स्थित है, अपने साधारण रूप में भिन्न है, तो चालक ध्यान–भंग सम्भाव्यता दोनों यन्त्रों को साथ–साथ विचारते हुए अवधारित की जाएगी।
- (ix) किसी यूनिपोल ओ.एम.डी. या किसी अन्य यूनिपोल ओ.एम.डी. से दीवार आवरण ओ.एम.डी के किनारे के बीच अनुज्ञेय दूरी सामने के अग्रभाग से कम से कम 50 मीटर होगी।
 - नोटः प्रत्येक परिसर में एक ओ.एम.डी. को स्थापित करने की अनुमित है, भले ही सामने का अग्रभाग पचास मीटर से कम हो, लेकिन एकल आधार पर एक से अधिक ओ.एम.डी. के मामले में, प्रत्येक अन्य ओ.एम.डी. केवल तभी अनुमित देता है जब सामने का अग्रभाग कम से कम पचास मीटर हो। एक ही परिसर के भीतर प्रत्येक ओ.एम.डी. के बीच की दूरी पचास मीटर होगी।
 - यदि कोई ओ.एम.डी. एक सड़क या सड़क की किस्म से अधिक दृश्य है (जैसे कि मोटर मार्ग या मोटर मार्ग मानक सड़क तथा रैम्प या अन्य सड़क), तो प्रतिबन्ध प्रत्येक सड़क या सड़क से दृश्य ओ.एम.डी. को लागू होगा।
- (5) ओ.एम.डी की भौतिक विशेषता
 - (i) भौतिक विशेषता पर नियन्त्रण का उपयोग, चालक घबराहट के स्तर को कम करना आशयित है। बाहरी विज्ञापन साधन की भौतिक विशेषताओं का नियन्त्रण निम्नलिखित से सम्बन्धित है:
 - (क) आकार तथा आकृति
 - (ख) रंग
 - (ग) चित्रावली तथा संदीप्ति
 - (घ) संचलन तथा चकानुक्रम
 - (ड) ओ.एम.डी. विषय–वस्तू

- (ii) आकार तथा आकृति
 - (क) ओ.एम.डी. ऐसी आकृति का प्रयोग नहीं करेगा जो संभवतः किसी ओ.एम.डी. से सरकारी यातायात चिहन की वास्तविकता के लिए भ्रान्तिपूर्ण होने का परिणाम हो सकता हो।
 - (ख) भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा आई आर सीः 67–2001, सड़क चिह्न के लिए प्रक्रिया की संहिता सरकारी यातायात चिह्न के मूल डिजाईन पैरामीटरों को विहित करती है तथा इसमें मानक संकेतः वाक्य / अप्रकाश्यता रंग संयोजन शामिल है।

(iii) रंग

- क. ओ.एम.डी. ऐसे रंग संयोजन (सिम्मश्रण) का प्रयोग नहीं करेंगे जो संभवतः सरकारी यातायात चिहन के भ्रान्तिपूर्ण होने का परिणाम हो।
- ख. भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा आई आर सीः 67—2001, सड़क चिह्न की प्रक्रिया की संहिता सरकारी यातायात चिह्न के मूल डिजाईन पैरामीटरों को विहित करती है तथा इसमें मानक संकेतः वाक्य / अप्रकाश्यता रंग संयोजन शामिल है।

(iv) चित्रावली तथा संदीप्ति

- क. ओ.एम.डी. भड़कीले लाल, नीले या अम्बर बिन्दु प्रकाश स्त्रोत के बराबर नहीं होगा जो, जब सड़क से देखने पर, आपातकालीन सेवा या वाहन चेतावनी प्रकाश के अन्य विशेष प्रयोजन का आभास दे सकता है।
- ख. ओ.एम.डी. से सम्बद्ध सभी प्रकाश केवल ओ.एम.डी. तथा इसके ठीक आस—पास को निर्देशित करेंगे।
- ग. बाहरी चित्रावली स्रोतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कवच किया जाएगा कि बाहरी "स्थान" प्रकाश स्रोत पास आने वाले मोटरचालक पर निर्दिष्ट न हो।
- घ. ओ.एम.डी. की चित्रावली या उसके सम्पूर्ण भाग को छिपाया जाना है।
- ड. साधन के ऊपरी प्रकाश / निर्देश को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, किसी बाहरी प्रकाश निंदेश को नीचे का ओर किया जाना है तथा ओ.एम.डी. से बाहर प्रकाश को रोकने या प्रकाश को कम करने के लिए ओ.एम.डी. पर सीधे रूप से फोकस किया जाना है।
- च. किसी प्रकाश स्त्रोत को कवच किया जाएगा ताकि चकाचौंध ओ.एम.डी से बाहर न फैले।
- छ. गैर-स्थैतिक प्रदीप्त ओ.एम.डी. (कोंधवती) अनुमत नहीं हैं।
- ज. सामान्य अनुरक्षित संदीप्ति को 0.5 दीपाधार तक कम किया जाएगा या 2300 बजे (11 बजे सायं) के बाद तथा स्वतः समय यन्त्र द्वारा सूर्योदय के बाद या समय—समय पर नगर निगम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समय के बाद बन्द किया जाएगा।
- झ. पूर्व परावर्तक सामग्री वाले ओ.एम.डी. के चमकीले परावर्तन को कम करने के उद्देश्य से वाहन हैडलाइट बीम की साधारण रेखा से लगभग पांच डिग्री दूर से घुमाया जाएगा।

(v) संचलन तथा चक्रानुक्रम

- (क) गतिमान प्रदर्शन जो बाहरी उद्दीपन, प्रवर्तक आवर्ती या परिवर्तनशील संदेश ओ.एम.डी पर मोटर चालक प्रतिक्रिया समयों पर सांख्यिकीय रूप से सार्थक विभ्रान्तीय प्रभाव डालते हैं। केवल मार्किट स्थल, पार्किंग स्थानों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में अनुज्ञेय है जहां कहीं केवल पैदल चलने वालों का आवागमन है। किसी भी मामले में ऐसे विज्ञापन यातायात (केवल सरकारी परिवहन वाहनों (अर्थात् राज्य सरकार बसों) पर चिपकाए गए विज्ञापनों के सिवाए) के लिए अनुमत नहीं किए जाएंगे।
- (ख) किसी मोटर वाहन अर्थात ट्रेलर विज्ञापन पर ओ.एम.डी अनुज्ञात नही किए जायेंगे।
- (ग) यह अनुमित मानदण्ड यातायात प्रबन्धन / सूचना के लिए सड़क प्राधिकरणों द्वारा प्रयुक्त परिवर्तनशील संदेश प्रदर्शन को लागू करने के लिए आशयित नहीं है। बस अड्डे या समरूप स्थानों पर स्थित परिवर्तनशील संदेश प्रदर्शन जहां संदेश पैदल यात्रियों (मोटरचालकों के लिए नहीं) पर निर्दिष्ट है, तथा के लिए आशयित शामिल नहीं है।

(vi) विज्ञापन साधन विषय-वस्तू

नगरपरिषद/समिति सामान्यतः न्यूनतम विज्ञापन मानक लागू करने के लिए विज्ञापन उद्योग में स्वतः विनियामक नियन्त्रण पर विश्वास रखेगा। इस प्रस्ताव के होते हुए भी, नगरपरिषद/समिति ओ.एम.डी. के किसी विज्ञापन को संशोधित करने या हटाने के लिए कार्रवाई कर सकता है जो विज्ञापन उद्योग की नीति शास्त्र संहिता के उल्लंघन में हो (उपनियम 12(3) में उपबन्धित नकारात्मक विज्ञापनों की सूची या जो यातायात बाधा का अन्यथा कारण बनता हो, संदर्भित करें।

(vii) स्वाच्यता

- (क) ओ.एम.डी. (ओ.एम.डी. से भिन्न जो पैदलयात्रियों पर निर्दिष्ट हैं) के सभी प्रवर्गों के लिए, ओ.एम.डी. के मुख पर अवतरण घटक यात्रा करने वाले मोटरचालकों के लिए आसानी से इन्द्रियगोचर होने चाहिए। यह चालक की घबराहट को कम करेगा। इसके अतिरिक्त चिह्न शीघ्र तथा आसानी से समझे जाने वाले होंगे तािक दर्शक को अपेक्षित विज्ञापन संदेश सूचित किए जा सकें तथा घबराहट के समय को कम कर सकें।
- (ख) ओ.एम.डी. पैनल पर प्रदर्शित विषय—वस्तु या लेखा चित्र—कला, अभिन्यास पढने में किटनाई से बचाएगी तथा अधिचित्र जिटल नमूना आकृति से बचाएगा तथा अक्षर शैली उचित होगी। किन्ही भी पिरिस्थितियों में सूचना वाले साधन अवतरण आकारों में नहीं होने चाहिए, जो चालक या गितमान वाहन के यात्री को रूकने, पढ़ने तथा / या नोट करने आवश्यक होंगे, जो यातायात के निर्बाध बहाव तथा चालक को विभ्रान्त करने में हानिकारक हो।
- (ग) सभी ओ.एम.डी. इस प्रकार से डिजाईन किए जाएंगे कि उन्हें सादृश्य रखा जा सके, जहां, साधारण नियम के अनुसार, अक्षर जब तक नगरपरिषद / समिति द्वारा अन्यथा अनुमत न हो, तब तक अक्षर ओ.एम.डी. क्षेत्र के बीस प्रतिशत से अधिक के क्षेत्र में दिखाई नहीं देना चाहिए।

3. स्थापना, संचालन तथा अनुरक्षण विकास मानदण्ड

- (1) निम्नलिखित मानदण्ड भी लागू होंगे:--
 - (i) संनिर्माण, अनुरक्षण तथा परिवर्तन गतिविधियों के लिए ओ.एम.डी. को सुरक्षित पहुंच उपलब्ध होगी।
 - (ii) ओ.एम.डी. तथा आस-पडोस के क्षेत्रों को स्वच्छ तथा साफ-सूथरी अवस्था में रखा जाएगा।
 - (iii) अप्राधिकृत वृक्षहीन क्षेत्र, पेड़–पौधों की छंटाई करना, कटाई तथा जलाना या वनस्पती का अन्यथा हटाना या विनाश करना अनुमत नहीं है।
 - (iv) यानीय तथा पैदल यातायात को अनुग्राही बनाने के अलावा, सड़क आरक्षण उपयोग सेवाओं के लिए कोरीडोर हैं जैसे कि बिजली, दूरसंचार, गैस, वर्षा पानी, जल आपूर्ति तथा सिवरेज (मलजल)। इन सेवाओं के स्थान सड़क आरक्षण के भीतर इन सेवाओं को स्थापित करने के लिए उनके अपने विधायी अधिकार सहित अन्य अभिकरणों द्वारा ज्ञात है।
 - (v) नगरपरिषद ∕ समिति सभी भूमिगत सेवाओं के सही स्थान को नहीं जान सकती है। स्वामी किए जाने वाले स्थल कार्यो पर कोई उत्खनन या निर्माण करने से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकरणों से समन्वय करने, सूचना देने तथा संसूचित करने के लिए जिम्मेवार है। कोई दायित्व, विलम्ब या दुर्घटना जो घटती है, की सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वामी की है तथा किसी भी रूप में नगरपरिषद ∕ समिति करार या इन उप–विधियों में नियत सहायता, समर्थन, बातचीत करने या किसी शर्त को हटाने के लिए दायी नहीं होगा।
 - (vi) ओ.एम.डी. के स्वामी यह सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र जिम्मेवार हैं कि किसी ओ.एम.डी. के संनिर्माण, अनुरक्षण, परिवर्तन तथा कार्यवाही के दौरान, साधन सड़क आरक्षण के भीतर सेवाओं या अन्य बातों के प्रतिकूल नहीं होगा।
 - (vii) नगरपरिषद / समिति उपयोगिता सेवाओं जैसे कि बिजली, दूरसंचार, गैस, वर्षा पानी, जल आपूर्ति तथा मलजल (सीवरेज) द्वारा किए गए कार्य को सुकर बनाने के लिए या सड़क को चौड़ा करने के लिए किसी ओ.एम.डी. को या तो बदलने या पूर्णतया हटाने के लिए स्वामी को कह सकता है।

4. संरचना

- (1) ओ.एम.डी. संरचना यन्त्र संरचनात्मक इंजीनियरी के क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले किसी संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित होंगे। यह अपेक्षा विशिष्ट दृष्टान्तों को लागू नहीं है जहां ओ.एम.डी. संरचना के बाहरी हिस्से से सीधे रूप से चिपकाए गए विज्ञापन के रूप में है अर्थात् वाहन, दीवार आवरण पर चिपकाया गया स्टीकर।
- (2) यह प्रमाणन सम्बन्धित भारतीय संरचनात्मक डिजाईन मानक, व्यवसाय संहिता तथा इस मार्गदर्शक की शर्तों सिहत डिजाईन का अनुपालन प्रदान करता है। नींव अत्यधिक हवा अवस्था, भूकम्प, क्षमता वाली मिट्टी इत्यादि के अनुसार डिजाईन की जाएगी तथा जांच की जाएगी।
- (3) सहायता संरचना चकाचौंघ रोकने के लिए अपरावर्तक परिष्कार की होगी।
- (4) ओ.एम.डी. संरचना भली–भान्ति अनुरक्षित होगी। ऐसे रंग से रंगी जाएगी जो आस–पड़ोस क्षेत्र से संगत हो, तथा उसको बढ़ाता हो।
- (5) सरकारी सड़क फर्नीचर जैसे कि सरकारी चिह्नों तथा चित्रक मार्गदर्शन स्तम्भों को ओ.एम.डी. की सहायता संरचना के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।
- (6) ओ.एम.डी. लाईसैंस धारक का नाम, लाईसैंस की संख्या / मीडिया साधन पहचान संख्या इत्यादि ओ.एम.डी. पर सहजदृश्य स्थिति में रखी जाएगी जो नगरपरिषद / समिति द्वारा, समय समय पर, अधिसूचित की जा सकेगी।

5. विद्युत कनैक्शन

- (1) ओ.एम.डी. के विद्युत कनैक्शन सम्बन्धित भारतीय मानकों को पूरा करेंगे।
- (2) ओ.एम.डी. के विद्युत कनैक्शन यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाईन किए जाएंगे कि यहां कोई भी सुरक्षा या यातायात जोखिम नहीं है।
- (3) ओ.एम.डी. के विद्युत कनैक्शन आकस्मिक पछाड़ की घटना में सुरक्षित के रूप में डिजाईन किए जाएंगे।
- (4) रजिस्टर्ड एजैंसी बिजली उपभोक्ता है तथा वह उसके अपने नाम से प्रदीप्त प्रदर्शन करने के लिए सम्बन्धित विद्युत वितरण कम्पनी से विद्युत कनैक्शन प्राप्त करने के लिए विद्युत कनैक्शन हेतु आवेदन करेगी, जिसके लिए नगरपरिषद / समिति / सम्बन्धित भूमि स्वामित्व वाले कम्पनी स्वामी के अनुरोध पर अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र मुहैया करवाएगी।
- (5) विद्युत कनैक्शन तथा आपूर्ति के लिए कोई प्रभार प्रत्यक्ष रूप से रजिस्टर्ड एजेंसी द्वारा उपगत किए जाएंगे। स्वीकृति/बिल व्यवस्था के लिए बिजली प्रदायक के पत्र की एक प्रति नगरपरिषद/समिति को प्रस्तुत की जाएगी।
- (6) विद्युत संस्थापना कार्य सम्बन्धित विधुत विनियम तथा लिखित नियमों तथा सम्बन्धित विधुत प्रदायक की अपेक्षाओं के अनुसार अनुज्ञप्त इलैक्ट्रीकल कर्मकार द्वारा किया जाएगा।
- (7) उपयुक्त रोधन तथा संरक्षण उपकरण तथा प्रक्रिया या तो ओ.एम.डी. या सड़क प्रकाश सर्किट संरक्षण अनुरक्षण तथा कार्यरत सेवा कार्मिक के संगत होगी। भूयोजन (अरथिंग) के लिए एक पृथक् मिट्टी इलैक्ट्रोड का प्रयोग किया जाएगा, तथा सक्रिय तथा निशंवेशित चालक केवल आपूर्ति बिन्दु से आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।
- (8) खाका योजना स्थान जहां से बिजली विभिन्न अन्य आनुषंगिक अपेक्षाओं की स्थिति सहित प्राप्त की जा रही है, दर्शाते हुए सरकारी प्राधिकरण को उसी क्षेत्र में पेशा करने वाले अर्हक विद्युत इंजीनियर द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित, प्रस्तुत की जाएगी।
- (9) विद्युत ठेकेदार के जांच प्रमाण-पत्र की प्रति नगरपरिषद / समिति को मुहैया कराई जाएगी। स्वीचिंग यन्त्र विद्युत प्रदायक द्वारा अनुमोदित किस्म का होगा। बिजली घटक सम्बन्धित भारतीय मानकों के अनुसार होगा।

6. विविध

- (1) आवाज, गन्ध इत्यादि द्वारा संचारण करने वाले ओ.एम.डी. अनुमत नहीं हैं।
- (2) किसी बाहरी विज्ञापन साधन की चित्रावली के लिए बिजली मुहैया कराने हेतु शोर, वायु या जल प्रदूषण करने वाला डीजल / पैट्रोल / मिट्टी तेल या किसी बायो ईंधन से चलने वाला कोई भी जरनेटर अनुज्ञात नहीं होगा।

7. गैर-अनुज्ञेय बाहरी विज्ञापन की सूची

- (1) लोक सम्पत्ति पर विज्ञापन चिपका कर लगाया जाना।
- (2) बैनर।
- (3) स्तम्भ / तोरण पर चिपकाने के रूप में विज्ञापन।

8. लोक परिवहन सेवा / गली फर्नीचर पर ओ.एम.डी.;(टाईपोलोजी 'क')

(1) बस तथा मध्यमवर्ती लोक परिवहन विधुत (आई पी टी) आश्रय।

क्रम संख्या	ओ.एम.डी. विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	आश्रय की छत पर ओ.एम.डी	i. एक अग्र पैनल 9 x 0.3 ii. दोंनो तरफ पैनल 3 x 0.3
2.	आश्रय के ढ़ांचे पर ओ.एम.डी	i. सड़क के समानान्तर एक पिछला पैनल — 9 x 1.2 ii. एक खम्बे पर चिपकाया हुआ पिछला लिट पैनल — 1.8 x 1.2

- (i) यात्री परिवहन आश्रय का अभिगम सिरा पंहुचने वाले यात्री परिवहन वाहन की अधिकतम दृश्यता सहित प्रतिक्षित यात्रियों को उपलब्ध करवाने के लिए खुला रहेगा।
- (2) बस तथा मध्यमवर्ती लोक परिवहन (आई पी टी) मार्ग निशान।

क्रम संख्या	ओ.एम.डी. विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	मार्ग मार्कर के दोनों तरफ की ओ.एम.डी. स्थान	i. 1.2 x 2.0 (ऊँचाई) 0.2 x 2.0 दोनों तरफ बस सम्बन्धित सूचना के लिए आरक्षित होगी।

- (3) फूट ओवर सेत् के लिए विज्ञापन विनियमन मानदंडः
 - (i) सिर्फ पारदर्शी स्वरूप के विज्ञापन मार्ग की भितरी दीवार पर तथा मार्ग की उपरी सतह से 0.75 मीटर की उच्चतम उचाई तक ही अनुमत किए जाएंगे। सभी परिस्थितियों में, मार्ग पर होने वाली गतिविधियां हर दिशा से स्पष्ट रूप से जनता को दिखनी चाहिए ।
 - (ii) सड़क से दृश्य विज्ञापन, यातायात की दिशा से विपरित दिशा में फुट ओवर सेतु की तरफ पर अनुमत होगा।
- (4) सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक तथा साईकिल स्टेशन

क्रम संख्या	ओ.एम.डी. विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	सतह पर ओ.एम.डी. के लिए अधिकतम स्थान	 ब्लॉक के कुल सतह क्षेत्र का सत्तर प्रतिशत शहर नक्शे / प्रतिवेश नक्शे / मार्ग नक्शे सहित कम से कम 1.8 x 1.2 का अतिरिक्त पीछे का लिट पैनल भी उपलब्ध करवाया जाएगा
2.	 किसी भी मामले में ओ.एम.डी. की उंचाई संरचना की मुंडेर (पैरापैट) से अधिक नहीं होगी। सार्वजिनक शौचालय के मामले में जल भण्डारण टैंक उचित रूप से छिपाया जाएगा तथा जनता को दृश्य नहीं होगा। 	

(5) सार्वजनिक उपयोगिता फर्नीचर-बूथ (अर्थात् पुलिस बूथ, टेलीफोन बूथ इत्यादि)

क्र		ओ.एम.डी. विशेषता	अधिकतम अनुमत आकर (मीटरों में)	
सं	ख्या			
1.		सतह पर ओ.एम.डी. के लिए अधिकतम स्थान	 बूथ के तीनों तरफ के कुल सतह क्षेत्र का सत्तर प्रतिशत। बूथ के पिछली ओर ओ.एम.डी. अनुमत नहीं है। बूथ के शीशे के सतह पर (प्रकाश तथा संवातन के लिए) ओ.एम.डी. अनुमत नहीं है। 	

(6) सार्वजनिक उपयोगिता फर्नीचर – बैठने के बैंच तथा कुड़ा कचरा धानी (बिन)

कम संख्या	ओ.एम.डी. विशेषता	आं	धेकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	ओ.एम.डी. के लिए अधिकतम स्थान	•	नगरपरिषद / समिति द्वारा विनिश्चित कुल सतह क्षेत्र का प्रतिशत।
		•	ओ.एम.डी. केवल पैदल मार्ग के सामने होगा।

साधारण टिप्पण :-

- (i) ओ.एम.डी. पैनल अतिरिक्त प्रक्षेपित ब्रेकेट (बैठने के बैच तथा कूड़ा कचरा धानी के सिवाए) के बिना बैकलिट होगा।
- (ii) अनिश्चित चित्र, निआन, परिवर्तनशील एल.ई.डी., चित्र कोलोर का बदलना, चमकीली लाईटें अनुमत नहीं है।
- (iii) अधिमानतः बी.ओ.टी. आधार पर विकसित किया जाना है, जहां विद्यमान अवसंरचना के लिए बी.ओ.टी. सम्भव नहीं है, वहां सुख—सुविधा के रखरखाव के लिए विज्ञापन स्थल बोली से निकाल दिया जाएगा जोकि बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।
- (iv) ओ.एम.डी. की स्थापना के लिए संरचना के संवातन तथा प्राकृतिक प्रकाश के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
- (v) बस तथा आई पी टी आश्रय, शौचालय ब्लॉक, साईकिल स्टेशन, उपयोगिता बूथ तथा सार्वजनिक उपयोगिता बैठने के बैंचो के स्थानो को नगरपरिषद / समिति द्वारा पहचाना जाएगा।
- (vi) ओ.एम.डी. वाहन तथा पैदल यातायात के बहाव में कोई बाधा नहीं करेगा।

9. लोक परिवहन प्रणाली पर ओ.एम.डी. (टाईपोलीजी 'ख')

- (1) लोक परिवहन प्रणाली में, ओ.एम.डी. गाड़ियों, स्टेशनों आश्रयों, फुटओवर सेतुओं तथा अन्य सम्पत्तियों (सड़क के बीच तथा किनारे, संरचनात्मक खम्बों / स्तम्भों पर के सिवाए) पर अनुमत है।
- (2) मैट्रों स्टेशन, आश्रयों, फुट ओवर सेतु तथा अन्य सम्पित्तयों पर ओ.एम.डी. इस प्रकार लगाई जाएंगी कि वे सार्वजिनक सड़क पर यातायात की दिशा का सामना नहीं करती हो (यानी ओ.एम.डी. सड़क के दूसरे हिस्से पर स्थापित किया जा सकता है)।

- (3) ओ.एम.डी. के अवस्थान को नगरपरिषद / सिमिति के अनुमोदन से लोक परिवहन प्रणाली चलाने वाले व्यक्ति, कम्पनी, बोर्ड या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पहचान की जाएगी। इनकी पहचान मामले से मामले के आधार पर की जाएगी।
- (4) अनुज्ञात ओ.एम.डी., टाईपोलीजी के अनुसार उप–विधियों में कथित विशिष्टियों का पालन करेगी तथा सड़क सुरक्षा परामर्श में आशकत तीसरे पक्षाकार द्वारा लेखापरीक्षित कराई जाएगी। किसी भी मामले में तीसरा पक्ष (या इसकी सिस्टर कम्पनी) विज्ञापन प्रदर्शन कारबार में आशवत नहीं होगा।
- (5) यातायात रोक

	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
रोक के दोनो तरफ पर ओ.एम.डी. के लिए अधिकतम	• अधिकतम लम्बाई — 0.6
स्थान।	 अधिकतम ऊंचाई ─ 0.3

10. टाईपोलीजी 'ख' तथा 'ग' ओ.एम.डी के लिए प्ररूपी विज्ञापन यन्त्र परिमाण (दीवार आच्छादन के सिवाए)।

किस्म	प्रतिमाप (मीटरो में)	टिप्पणी
मानक ओएमडी	4.6 X 3.05	चालकों की दृष्टि की ऊंचाई पर रखी जा सकती है जो किसी पैदल
		संचलन को भंग नहीं करेगी।
	6.1 X 3.05	चालक दृष्टि के प्रत्यक्ष क्षैतिज दृष्टि में नहीं आएगी। विज्ञापन पैनल का
		निचला भाग निकटवर्ती सड़क किनारे से कम से कम तीन मीटर से
		अधिक होना चाहिए तथा आधार पोल सड़क किनारे से कम से कम दस
		मीटर दूर होगा।
यूनिपोल तथा	4.5 X 2.25	खड़ंजा सड़क किनारे से कम से कम आफसैट सहित कम से कम
बड़े आकार का	5.0 X 2.5	पैंतालीस मीटर आर ओ डब्ल्यू सहित सड़क से दस मीटर।
सूचना पट्ट	7.6 X 3.8	सड़क अन्तिम खड़ंजा सड़क किनारे बिना संकेत के चौराहों या
		गोलचक्करों के मोड़ से कम से कम साठ मीटर आर ओ डब्ल्यू से कम
		न हों। अग्रभाग (मुंह) तेज गति से चलाने वाली यातायात सड़क की
		ओर था पहुंच नियन्त्रित सड़क / उच्च मार्ग के साथ न हों।
	10.0 X 5.0	पूर्ण रूप से केवल पैदल तथा पार्किंग/बाजार क्षेत्रों में

- (1) नगरपरिषद / समिति सुनिश्चित करेगी की पूर्वोकत आकार, शहर में अधिक सौन्दर्य लाने के लिए, बढाते हुए प्रयुक्त किए जाते है। रजिस्टर्ड हस्ती पूर्वोकत एक मानक परिमाण का प्रयोग करेगा।
- (2) ऐसे मामलों में जहां कोई निर्माण नहीं किया गया है या थोड़ा निर्माण किया गया है, तो केवल उपरोक्त विनिर्दिष्ट आकार के यूनिपोल तथा सूचना—पट्ट अनुमत किए जाएंगे।
- (3) नगरपरिषद / समिति द्वारा स्वागत संकेत तथा सामाजिक संदेश देने के लिए ढ़ाचे केवल विभक्त परिवहन मार्ग सिंहत नगरपालिका सड़क पर ही अनुमत होंगे। प्रवर्तक ओ.एम.डी. ढ़ांचे के दूसरी तरफ पर अर्थात् आने वाले यातायात की विपरित दिशा पर प्रदर्शित किए जाएंगे। सड़क तथा ढांचे की निम्नतम सतह के बीच स्पष्ट दूरी आठ मीटर से कम नहीं होगी। गंत्री पर अधिकतम ओ.एम.डी. की अनुमति एक मीटर तक सीमित है।
- (4) रिक्त ओ.एम.डी पर, सम्पूर्ण स्थान को कवर करने के लिए मोबाईल नम्बर अनुमन नही होंगे। मोबाईल नम्बर ओ.एम.डी. के कुल स्थान के 1/10 वें भाग में दिए जाएंगे।

11. विज्ञापन परिसरों पर अधिकतम अनुज्ञेय क्षेत्र

(1) भवन के प्रत्येक अग्रभाग पर विज्ञापन परिसरों (भवन तथा भूमि सहित) पर उपलब्ध अधिकतम अनुज्ञेय क्षेत्र, सार्वजनिक गली / सड़क से दृश्य क्षेत्र नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा:—

क्रम संख्या	भवन की किस्म	कुल क्षेत्र का अधिकतम अनुज्ञेय क्षेत्र (भवन के प्रत्येक अग्रभाग पर)
1.	शापिंग माल, कारपोरेट आफिस, दुकान/शापिंग काम्पलैक्स	20 प्रतिशत
2.	नियोजित कार्यालय अर्थात् स्वतः विज्ञापक (कार्यालय/दुकान संकेतक)	2 प्रतिशत

(i) दीवार आवरण, पचहत्तर प्रतिशत की पारदर्शिता सहित सामग्री वाले भवन में प्राकृतिक रोशनी (प्रकाश) अनुज्ञात करेंगे। (ii) ओ.एम.डी. की ऊँचाई, भवन की ऊँचाई के अनुसार प्रतिबन्धित है, जो निम्न अनुसार है:–

क्रम संख्या	भवन की ऊँचाई	ओ.एम.डी. की अधिकतम ऊँचाई
1.	तीन मंजिलों तक (15 मीटर तक)	8 मीटर
2.	चार से आठ मंजिल (15 से 36 मीटर)	12 मीटर
3.	आट मंजिल से अधिक (36 मीटर से अधिक)	15 मीटर

परन्तु कोई खुलने वाला दरवाज़ा / खिड़की कवर नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विज्ञापन ईमारत के बुनियादी वास्तु खास, विशेषताएं (जैसे मेहराब, कॉलम, आलो, प्रक्षेप, आदि), मानक अगवाड़ा (प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) और आकार को खराब नहीं करेगा।

12. कार्यक्रमों के लिए ओ.एम.डी. (टाईपोलोजी 'घ')

- (1) ये ओ.एम.डी. केवल घटनाओं के लिए लगाई जांएगी, जैसे कि सम्मेलन, मनोरंजन घटनाएं, प्रदर्शनी इत्यादि तथा नगरपरिषद/समिति द्वारा केवल अस्थायी संरचना पर अनुमत होगी।
- (2) ये ओ.एम.डी. इस उप-विधि के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगी।
- (3) ये ओ.एम.डी. घटना के तीस दिन पहले लगाई जानी अनुमत होंगी तथा कार्यक्रम समाप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर हटानी होगी।
- (4) **टाईपोलोजी –घ.1** में वर्णित ओ.एम.डी. से रिजस्ट्रेशन तथा फीस / प्रभावों के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।
- (5) **टाईपोलोजी घ.2** में वर्णित ओ.एम.डी. नगरपरिषद / समिति द्वारा यथा विनिश्चित फीस का भुगतान करेगी, किन्तु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से छूट प्राप्त नहीं है।
- (6) उप-विधि के उप बन्ध के उल्लंघन तथा कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ओ.एम.डी न हटाने के लिए दण्ड प्रभार टाईपोलोजी-घ में वर्णित सभी ओ.एम.डी. पर लागू होंगे तथा नगरपरिषद / समिति द्वारा यथा विनिश्चित दैनिक आधार पर प्रभारित किए जाएंगे।

13. परिदृश्य विज्ञापन के लिए ओ.एम.डी. (टाईपोलोजी 'च')

- (1) परिदृश्य ओ.एम.डी. केवल तीन वर्ष से कम आयु तथा / या चार मीटर से कम ऊँचाई के वृक्षों को कवर करने के लिए वृक्ष रक्षक पर अनुमत है।
- (2) वृक्ष रक्षक 1.2 से 1.5 मीटर सिरे तथा 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित वर्गाकार का होगा।

क्रम संख्या	ओ.एम.डी. विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	ओ.एम.डी. के लिए अधिकतम स्थान रक्षक के प्रत्येक सिरे पर वर्गाकार प्लेट होगी।	अधिकतम लम्बाई— रक्षक की चौडाई के बराबर अधिकतम ऊँचाई—0.9
	वंगाकार प्लट हागा।	• ओ.एम.डी. का निचला भाग भूमि से 0.3 मीटर ऊंचा होगा।

14. स्वतः विज्ञापन (टाईपोलोजी 'छ')

- (1) स्वतः विज्ञापन की विषय—वस्तु कार्यालय / दुकान के स्वामी द्वारा केवल कार्यालय / दुकान संकेतक की सीमा तक अनुमत है। कोई भी तीसरा पक्ष विज्ञापन स्वतः विज्ञापन पर / के साथ अनुमत नहीं होगा।
- (2) स्वतः विज्ञापन भवन बोर्ड, दीवार आवरण के रूप में भवन के मुख/अग्रभाग के कुल क्षेत्र के केवल दो प्रतिशत पर अनुमत है। यदि संपत्ति स्वामी कुल क्षेत्र के दो प्रतिशत से ज्यादा स्वंय विज्ञापन लगाता है, तो यह अनुबंध 5 में बताये गये वर्गीकरण के अर्न्तगत माने जायेंगे तथा उसके अनुसार ही लागू फीस/प्रभार लिये जाएंगे।
- (3) दुकानों के मामले में, स्वतः विज्ञापन बोर्ड की ऊँचाई एक मीटर तक सीमित है तथा चौड़ाई भवन की चौड़ाई तक सीमित होगी, दुकान की सरदल ऊंचाई से ऊपर लगाई जाएगी। शापिंग काम्पलैक्स में, सभी दुकाने स्वतः विज्ञापन बोर्ड की स्पष्ट उंचाई में एकरूपता रखेंगी।
- (4) स्वतः विज्ञापन बोर्ड भवन के अग्रभाग से 150 एम.एम. से बाहर निकला हुआ नहीं होगा।
- (5) स्थिर छतरी (वियोस्क) या ठेले पर फेरीवाले द्वारा स्वतः विज्ञापन 3 मीटर x 1 मीटर के परिमाण सहित तीन वर्गमीटर तक सीमित है।
- (6) रिक्शा के लिए स्वतः विज्ञापन रिक्शा के पीछे तथा दोनों तरफ के 1 मीटर x 0.5 मीटर पैनल सहित 1.5 वर्गमीटर तक सीमित है।
- (7) भू–ओ.एम.डी., आर.ओ.डब्ल्यू. तथा पैदलमार्ग पर अनुमत नहीं होगा।
- (8) भू—ओ.एम.डी. का आकार 2 मीटर ग 1 मीटर आकार सिहत 2 वर्गमीटर तक सीमित अधिकतम आकार सिहत आर.ओ.डब्ल्यू से दूर प्रत्येक मीटर की दूरी के लिए 0.3 वर्गमीटर होगा।
- (9) पेट्रोल पंपों पर, तेल कंपनियों और वितरकों के बीच अनुबंध समझौते के अनुसार, तेल कंपनियों के उत्पाद या सार्वजनिक संदेश के केवल स्वतः विज्ञापन की अनुमित है। तृतीय पक्षकार वाणिज्यिक विज्ञापन की अनुमित नहीं है।

15. नवाचार ओ.एम.डी. (टाईपोलोजी 'ज')

- (1) नवीनतम ओ.एम.डी. जैसे एल ई डी, एल सी डी, फुलाने योग्य या गैस गुब्बारे तथा अन्य ऐसे मीडिया के लिए विशेष अनुमति प्राप्त की जानी अपेक्षित होगी।
- (2) यह अनुमोदन विनिदिष्ट अवधि के लिए होगा, तथा उप-विधि 6 के अनुसार होगा।
- (3) चालन करते समय चालक पहली दृष्टि में सड़क से चिह्न की विषय–वस्तु को पढ़ेगा, तथा फिर वापस सड़क पर देखेगा। एल ई डी चिह्न (रंग परिवर्तन के बिना) भवन आकृति (अग्रभाग) पर विज्ञापन के स्वीकार्य फारमैट में है चूंकि ये विशिष्ट ब्राण्ड नामों का निरूपण करने के लिए अनुमानित है तथा उच्च दृश्य सूचना वाले नहीं होते हैं।
- (4) एल सी डी / एल ई डी स्कीन जो विशिष्ट रूप से लेखा—चित्रकला तथा दृश्य प्रतिकृति की हैं, वे मार्किट क्षेत्रों, पार्किंग स्थानों, पार्कों, भ्रमण मार्ग, मुख्यतः यातायात के यानीय संचलन के सामने न हों, में प्रतिबन्धित होंगी।
- (5) इसके अतिरिक्त, वाई-फाई होटस्पोट, मोबाईल टैलीफोनी ऐनटिना / टावरों के वितरण के लिए ओ.एम.डी का प्रयोग विशेष परियोजना रिपोर्ट के आधार पर अनुमत होगा।
- (6) पूर्वीक्त के अतिरिक्त, अन्य मानदण्ड निम्नलिखित होंगे:--
 - (i) प्रदर्शन के भीतर संचलन की प्रायिकता तथा प्रसार तथा रंग परिवर्तन।
 - (ii) ओ.एम.डी केवल वहां लगाए जाएंगे जहां अपेक्षित चिह्न दृश्यता समय विशेष परिसर के लिए सुरक्षा समस्या का परिणाम न हो।
 - (iii) चिह्न पढ़ने के लिए पर्याप्त अग्रिम दृश्यता हो।
 - (iv) परिसर चालक निर्णय बिन्दुओं से मुक्त हो तथा वहां सरकारी यातायात चिहन में कोई होड़ न हो।
 - (v) साधन कोई गतिमान ओ.एम.डी. न हो।
 - (vi) लम्बी अविध प्रदर्शन मीयाद चालक घबराहट को कम करने तथा गतिविधि को समझने की मात्रा को कम करने का उद्देश्य अधिमत है। प्रत्येक स्क्रीन, कम से कम 8 सैकेण्ड की प्रदर्शन अविध की होगी। परिवर्तन करने के लिए क्रमिक प्रदर्शन हेतु लिया गया समय 0.1 सैकेण्ड में होना चाहिए।
 - (vii) सम्पूर्ण स्क्रीन प्रदर्शन तत्काल प्रतिवर्तित होगा। प्रदर्शन परिवर्तन का ढंग जैसे कि ''फ्लाई ईन'' या ''स्क्रोल'', या सन्देश परिवर्तन की कोई अन्य किस्म अनुशंसित नहीं की गई हैं।
 - (viii) क्रमिक संदेश सेट अनुज्ञात नहीं है :
 - (ix) समय सीमा समय-समय पर पुनरीक्षित की जाएगी।
- (7) गैस गुब्बारे या फुलानेयोग्य ओ.एम.डी. के लिए अनुमति निम्नलिखित मानदण्डों पर दी जाएगी, अर्थात्ः
 - (i) गैस गुब्बारे ओ.एम.डी. खुले क्षेत्रों में तथा स्थिर स्थिरक सहित भूमि के साथ लगाए तथा लटकाएं जाएंगे।
 - (ii) इनकी अग्नि सुरक्षा के बारे में अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्निशमन अधिकारी से ली जाएगी।
 - (iii) गैंस गुब्बारे ओ.एम.डी. बहुत उंचे उठे हुए भवन/ उच्च वोल्टेज लाईनों/ विद्युत टावरों के निकट तथा निकटतम भवन/ उच्च वोल्टेज लाईनों/ विद्युत टावरों से इनकी दूरी गैस गुब्बारे की कुल उंचाई से डेढ गुणा (1.5 गुणा) होगी।
 - (iv) फुलाने योग्य ओ.एम.डी. हवा से ही फुलाए जाएंगे (किसी प्रकार की गैस की अनुमति नहीं है)
- (8) पॉलिसी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए खुली होगी बशर्ते कि वे किसी सामान्य अनुमित मानदण्ड के उल्लंधन में न हों, तथा नगरपरिषद / सिमित द्वारा भी अनुमोदित होंगी। किसी ऐसे माध्यम को लागू करने से पूर्व नगरपरिषद / सिमित से अनुमित ली जाएगी।

16. वाणिज्यिक और सार्वजनिक भवनों के अंदर ओ.एम.डी. (टाईपोलोजी "झ")

- (1) परिसर में लगाये गय सभी ओ.एम.डी (किसी भी सार्वजनिक गली/सड़क का सामना नहीं करने वाले), भवन उपयोगकर्ताओं को प्रदर्शित करने के लिए, आवश्यक शुल्क के भुगतान पर, नगरपरिषद/समिति से अनुमित प्राप्त करना आवश्यक है।
- (2) परिसर में स्थापित ओ.एम.डी. किसी भी सार्वजनिक गली /सड़क का सामना नहीं करती, यातायात में किसी भी तरक का विचलन नहीं करती है और इसलिए ऐसे ओ.एम.डी के आकार और स्थान के संबंध में कोई मापदंड परिभाषित नहीं किया गया है।
- (3) किसी भी स्थिति में, ऐसे ओ.एम.डी. सार्वजनिक गली / सड़क और किसी भी आसन्न इमारत से सार्वजनिक दृश्य, यातायात / पैदल यात्री का सामना नहीं करेंगे।
- (4) केवल द्वारा लटकाई गई या लगाई गई सभी ऐसी ओ.एम.डी. जो स्तम्भ, बीम, छत इत्यादि पर स्थापित की गई हैं; जनसाधारण के लिए सरंचनात्मक सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षा मानदंडो की अनुपालना करेंगे।

"टिप्पणः यदि एक ओएमडी एक परिसर के भीतर और परिसर के भीतर की इमारत की ओर स्थापित है लेकिन आसन्न भूखंडों पर की इमारतों से भी दिखाई देता है, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में टाईपोलोजी 'झ' के तहत विचार किया जाएगाः

- i. ओएमडी सतह का कोण (क्षेतिज या लम्बवत) आसन्न भूखंड पर की इमारत की दिशा में 45 डिग्री पर होगा (± 5 प्रतिशत भिन्नता अनुमत);
- ii. आसन्न भूखंड पर की इमारत से ओएमडी की दूरी पचास मीटर से कम न हो।

17. अनुमति मानदण्ड

- (1) सभी परिसरों में ओ.एम.डी. / कारबार / व्यापार चिह्न वाणिज्यिक क्षेत्रों में तथा संस्थागत क्षेत्रों के भीतर प्राधिकृत कारबार / व्यापार स्थापनाओं में प्रतिबन्धित होंगे।
- (2) अनुमति के लिए शर्तों की पूर्ति के अधीन और उपविधि में निर्दिष्ट दूरी पैरामीटर का पालन करने पर, रिक्त प्लॉट पर ओ.एम.डी. को स्थापित करने की अनुमति है।
- (3) ओ.एम.डी.—आवासीय क्षेत्रों में अनुमत नहीं है तथापि, आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक घटक (अर्थात् आस—पड़ोस का बाजार स्थान) में ओ.एम.डी. अनुमत हैं। ओ.एम.डी. पूर्ण रूप से केवल बाजार के अग्रभाग में होगी तथा किसी भी परिस्थिति में आवासीय क्षेत्र के अग्रभाग में नहीं होगी।
- (4) परिसर में प्रदीप्त ओ.एम.डी. कम से कम 12 मीटर चौड़ाई सहित गली में आवासीय क्षेत्रों के सामने दुकानों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अनुमत नहीं हैं।
- (5) ओ.एम.डी. किसी भी रूप में वृक्षों या झाड़ियों में नहीं लगाई जाएगी।
- (6) कोई भी व्यापार तथा कारबार चिह्न, संदेश, पोस्टर या किसी स्वरूप की मुद्रित सामग्री किसी समर्थित कालम, स्तम्भ या खम्भे पर नहीं चिपकाई जाएगी।
- (7) परिसर में ओ.एम.डी. किसी भी रूप में किसी पैदल संचलन (अनुलम्ब रूप से तथा पार्श्व रूप से), अग्नि बचाव, दरवाजा तथा खिड़की खोलने में बाधा नहीं डालेगा।
- (8) परिसर में ओ.एम.डी. किसी भी रूप या रीति में प्रकाश तथा संवातन के लिए अपेक्षित द्वार में बाधा नहीं डालेगा। (9) किन्हीं भी परिस्थितियों में परिसर में ओ.एम.डी बाधा डालने या किसी पारदर्शी / पारभासी सतहों / द्वार के सामने की रूपरेखा बदलने के लिए स्थान निर्धारित अवस्थित नहीं किया जाएगा।
- (10) अनुसूची—1 के खंड 11 में परिभाषित उंचाई के अध्यधीन गैर—प्रदीप्त पारदर्शी / पारभासी चिह्न किसी भी स्तर पर पारदर्शी / पारभासी बाहरी सतहों पर अनुमत किया जाएगा।
- (11) कोई भी व्यापार तथा कारबार चिह्न किसी भी रूप या रीति में अपेक्षित अग्नि सुरक्षा परिवहन / निकास स्थान तथा विहित मानकों में बाधा नहीं डालेगा।
- (12) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी. किसी भी परिस्थिति में परिसरों के भीतर की गई गतिविधि / गतिविधियों से भिन्न उनकों प्रतिबिम्बित नहीं होगी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए)।
- (13) कोई भी ओ.एम.डी. अतिरिक्त विज्ञापन—स्थल पर उपबन्धित, बेची गई या उपलब्ध उत्पादों या सेवाओं को ध्यान में रखे बिना परिसरों या स्थल के उपयोग के अनुमोदन से भिन्न उत्पाद या सेवा को उन्नत करने वाला नहीं होगा (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए)।
- (14) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी. में निम्न अनुसार अपेक्षित अनिवार्य सूचना होनी चाहिए:
 - (i) व्यापार तथा कारबार का नाम
 - (ii) दुकान / परिसर संख्या
- (15) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी. औचित्य, मर्यादा, सामाजिक मैत्री इत्यादि के बारे में प्रचलित विधियों के अनुरूप होगा।
- (16) सभी ओ.एम.डी. दृश्य रूप से रूचिकर होगा तथा डिजाईन विशेषता के उच्च स्तर को प्रदर्शित करेगा।
- (17) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी. सतह/इमारत/भवन/खुले क्षेत्रों के संरचनात्मक/वास्तुशिल्पीय अनुशासन के सदृश होगा।
- (18) किसी चिह्न का माप तथा अवस्थिति न केवल भवन जिसमें यह चिपकाया गया है, के अनुकूल होगा बिल्क निकटतम भवनों, गलियों तथा विद्यमान चिह्नों को भी विचार में लिया जाएगा।
- (19) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी. में प्रयुक्त सामग्री गैर-प्रदूषण, अग्नि विरोधी तथा हानि प्रूफ होनी चाहिए।
- (20) कोई नया चिह्न मीडिया साधन यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भवन, स्थल या संलग्न गली स्केप पर विद्यमान चिह्न का विचार करेगा कि चिह्न दृश्य तथा / या भौतिक घाल-मेल को बढने नहीं देता है।

- (21) केबिल तथा नाली को चिह्न के दर्शन से तथा सभी कोणों से किसी सहायता संरचना को छिपाना होगा जिसमें गली स्तर तथा निकटतम उच्चतर भवन से तथा रूपरेखा (क्षितिज) के विरूद्ध दृश्यता शामिल है।
- (22) किन्हीं भी परिस्थितियों के अधीन कोई भी चिह्न किसी अन्य चिह्न से समर्थित, लटका हुआ नहीं होगा या रखा नहीं जाएगा। प्रत्येक चिह्न स्वतः समर्थित या वास्तुशिल्पीय संरचना से सुरक्षित रूप से आबद्ध (फिक्सड) होगा।
- (23) भवन की छत पर रंगे हुए या लगाए गए चिह्न अनुमत नहीं है। छत पर छत से निर्मित तथा / या लटकते हुए चिह्न भी अनुमत नहीं है।
- (24) भवन की उपरी छत पर ओ.एम.डी. अनुमत नहीं है।
- (25) किसी भी परिस्थिति में भवन सतर पर ओ.एम.डी. भवन की चौडाई से बाहर नहीं निकाला जाएगा।
- (26) यातायात संकेत के उपरी सिरे, भूमि पर तैयार यातायात संकेत, उपरी यातायात संकेत, तथा भूमि पर तैयार यातायात संकेतों पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।
- (27) ओ.एम.डी. टैलीफोन / बिजली खम्बों / ट्रांसफार्मरों / उच्च संचारण लाईन टावरों पर अनुमत नहीं है।
- (28) ओ.एम.डी. सड़क कार्यस्थल के निर्माणजोन के 100 मीटर के भीतर लगाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां निर्माण चल रहा है।
- (29) चिह्न सूचना कम से कम सौन्दर्य तथा यातायात सुरक्षा दोनों के हित में रखी जाएगी।
 - (i) जहां अधीनस्थ सूचना अनुज्ञात की गई है, वहां कारबार का नाम या उपयोग चिह्न पर प्रमुख संदेश होगा – कोई भी अनुपूरक (जैसा कि बाईलाइन, उत्पाद विशिष्टियों, विक्रय प्रस्तावों में) तथा अधीनस्थ सूचना (पते, टैलीफोन नम्बर तथा अन्य ऐसे ब्योरे) जिस पर यानीय खिंचाव के साथ चालकों का ध्यान जाता है, अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे जैसा कि वे यातायात खतरा पेश करते हैं।
 - (ii) चिह्न अपरावर्तक होंगे जैसे कि वे मार्ग में चालकों पर चौंध न डालते तथा चकाचौंध न करते हों। चिह्नों में शीशा पर्ण इत्यादि के रूप में परावर्तक सतह का प्रयोग नहीं किया जाएगा जैसा कि ऐसी सामग्री का प्रयोग यातायात में दृष्टि रूप से विघटनकारी है तथा आने वाले चालकों के लिए खतरनाक हो सकती हैं।
 - (iii) सभी अनुमत चिह्न भुगतानयोग्य उद्ग्रहण को आकर्षित करेंगे जो नगरपरिषद / समिति द्वारा रेखाचित्रित हैं।
 - (iv) किसी भी मामले में, ओ.एम.डी., आर.ओ.डब्ल्यू. तथा पैदल मार्ग पर नहीं डाला जाएगा।
- (30) जहां ये उप–विधियां मौन (निष्क्रिय) हैं, वहां आई.आर.सी–46–1972 में बताए गए उपबन्ध "सड़क किनारे विज्ञापन पर पॉलिसी" निर्दिष्ट की जाएगी।

18. "अभिस्वीकृति ओ.एम.डी.

- (1) अभिस्वीकृति ओ.एम.डी. में सम्पर्क सूचना, निदेशन, नारे, टैलीफोन नम्बर या इन्दरनेट पते नहीं होंगे। इसमें अभिस्वीकृति ओ.एम.डी. पर रखे गए उनके स्वीकृति लोगो (शब्द) होंगे। स्वीकृति लोगो (शब्द) नीचे विर्निदिष्ट कुल ओ.एम.डी सतह क्षेत्र के एक तिहाई से कम होगी।
- (2) हरितलान, भू—दृश्य द्वीप, पैदल / साइकलिस्ट मार्ग तथा केन्द्रीय मध्यम पर स्वीकृति ओ.एम.डी. 0.2 वर्गमीटर क्षेत्र प्लेट तक प्रतिबन्धित होंगे तथा उनका स्थान पचास किलोमीटर / घण्टा से कम गित सहित सड़क पर पन्द्रह मीटर से कम नहीं होगा। यदि यह गोलचक्कर पर है तो स्थापित परिधि लम्बाई के साथ अंतरालन लिया जाएगा तथा 800 एम.एम. तथा 250 एम.एम. का मानक परिमाप बोर्ड लगाया जाएगा / लगाया गया संकेत किसी दिशा स्तमक / विशाखन / चेतावनी संकेत को देखने में बाधा नहीं डालेगा। ऐसे संकेतक अभिस्वीकृति संकेतों के रूप में अर्हक हैं तथा केवल प्रवर्तक की स्वीकृति वाले होंगे तथा कोई भी तीसरा पक्ष विज्ञापन अनुमत नहीं होगा।
- (3) स्वीकृति संकेत यातायात संकेतों सहित किसी अन्य यातायात नियंत्रण यन्त्र के सामने या पीछे, के निकटवर्ती या निकट सामीप्य में नहीं लगाए जाएंगे। संकेत निर्णय बिन्दुओं पर जहां सड़क उपयोग करने वालों का ध्यान अन्य यातायात नियंत्रण यन्त्रों, सड़क मार्ग ज्यामिति, या यातायात स्थिति जिसमें निकास तथा प्रवेश रैम्प, चौराहे, राजमार्ग—रेल ग्रेड क्रासिंग, टोल प्लाजा, अस्थाई यातायात नियंत्रण जोन तथा सीमित दृष्टि दूरी के क्षेत्र शामिल है, अधिक उचित रूप से संकेन्द्रित करता है। अभिस्वीकृति संकेतों के बीच न्यूनतम अंतराल पचास किलोमीटर / घण्टा से कम गति सहित किसी सड़क पर 25 एम से कम नहीं होगी।
- 19. शामियाना ओ.एम.डी. (भवन से प्रक्षेपित छतरी से लटका) उंचाई में दो मीटर से अधिक नहीं होगा तथा इसका निचला भाग फुटपाथ से 2.5 मीटर ऊपर होगा।

आनंद मोहन शरण, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 30th November, 2018

No. 3/12/2018-R-II.— The following draft of the Haryana Municipal Advertisement Byelaws, 2018 which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (xv) of sub-section (1) of section 70 read with sub-section (p) of section 200 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), is hereby published as required under section 216 of the said Act, for information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft Bye-laws shall be taken into consideration by the State Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department, Chandigarh from any person with respect to the following draft Bye-laws before expiration of specified period, namely:-

Draft Bye-laws

Short title, commencement and application.

- **1** (1) These bye-laws may be called the Haryana Municipal Advertisement Bye-laws, 2018.
- (2) These bye-laws shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3)These bye-laws shall be applicable to all Municipal Councils and Municipal Committees in the State of Haryana.

Definitions.

- (1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires,-
 - (i) "Act "means the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973);
 - (ii) "acknowledgement OMD" means an outdoor media device that acknowledges an agency displaying an advertisement on road medians or roundabouts in lieu of provision or maintenance of such structures;
 - (iii) "advertisement" means any representation by a word, or abbreviation thereof, letter, logo, symbol, sign, figure, painting, drawing or other pictorial representation, or light or sound, displayed on media device and visible to public from any place on land, building, airspace, water in the regulated area and/ or visible from public place or public street subject to excluded media:
 - (iv) "advertising" means the act or process of displaying an advertisement;
 - (v) "agency" means an applicant who may be a registered charitable organization, firm, partnership or a company incorporated under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) intending to display an advertisement within the Municipal area;
 - (vi) "billboard/ hoarding" means an outdoor media device with space for advertising in the form of an advertisement panel and where such panel is mounted with its foundation on any structure either on ground or building;
 - (vii) "building line" means the line up to which the plinth of a building may lawfully extend on the side, which abuts the street or an extension of a street or a strip of land ear-marked or reserved for future construction of street and such line is mentioned in the approved plan or co-ordination plan or the scheme by the Government Authority having jurisdiction or power;
 - (viii) "carriageway" means the width of the road under the metalled portion;
 - (ix) "commercial building" means a building used or constructed or adopted to be used or intended to be used wholly or partially for business, trade or commerce:
 - (x) "Regulated area" means the geographic area including airspace in the jurisdiction of the Municipal area for meeting the objective of this bye-law;

- (xi) "display" means an advertisement being visible to public, irrespective of the space on which the advertisement is installed;
- (xii) "gantry "means a structure erected across a road and usually fabricated of metal section pillars fixed on either side of a road with a beam shaped section connecting the top of the pillars across the road;
- (xiii) "gantry advertisement" means a gantry displaying an advertisement on the face opposite to the direction of traffic;
- (xiv) "ground OMD" shall mean an outdoor media device detached from a building, erected or painted on temporary structure, screen and fence placed/fixed on land and visible to public for the purpose of selfadvertisement;
- (xv) "Indian Road Congress (IRC)" means the applicable codes, regulations made and directions issued thereunder by the Indian Road Congress, from time to time:
- (xvi) **"interested party"** means any person or a registered charitable organization, firm, partnership or a company, who has, in terms of these bye-laws, submitted comments or an objection or a grievance or made representation in respect of any application for display of OMD;
- (xvii) "intersection" means the same level junction where two or more roads either meet or cross;
- (xviii) "electronic hoarding" means an outdoor media device, with display made from LED (Light Emitting Diode) or LCD (Liquid Crystal Display) or any other electronic source, to display running text, displays and informational messages from computer programs and software or any other means;
- (xix) "marquee OMD" shall means an outdoor media device attached to or hung from a marquee canopy or other covered structure projecting from and supported by the building and extending beyond the building wall, building line;
- (xx) "National Building Code of India or NBC" means the National Building Code of India (as amended from time to time) and regulations made thereunder;
- (xxi) "OMD" means an Outdoor Media Device as set out in bye-law 14 and shall be referred as OMD in the bye-laws;
- (xxii) "owner" means owner of the property and includes an association of owners under the Haryana Apartment Ownership Act, 1983 (10 of 1983);
- (xxiii) **"Permission fee"** means fees levied by the Council/ Committee for granting permission under section 70 of the Act.
- (xxiv) "property" means any land or building or part thereof in the limits of the Municipal Council/ Committee area;
- (xxv) "public building" means any building accessible by the general public, free of charge or on payment of a charge, and includes a building used or constructed or adopted to be used either ordinarily or occasionally, as a place of public worship, a theatre, hostel, Government office, public hall, public concert room, public lecture room, public exhibition or as a public place of assembly or occasionally for any similar purpose;
- (xxvi) "registered agency" means any agency registered with the Municipal Council/ Committee under clause (3) of bye-law 4;
- (xxvii) "registered owner" means an owner registered with the Municipal Council/ Committee under clause (3) of bye-law 4 for Self-Advertisement beyond the permissible limits specified in Schedule-I;
- (xxviii) "Right of Way (RoW)" shall mean the total land under the width of the road, to accommodate the roadway (carriageway and shoulders), side drains, service roads, tree plantation, utilities, etc, owned by the respective authority.

- (xxix) **"road traffic sign"** means any sign for public information for users of the road and includes a traffic signal as contemplated in law or by the Indian Road Congress (IRC);
- (xxx) "self advertisement" means advertisement displayed in terms of bye-law 11;
- (xxxi) "service lane" means a road along the main carriageway and used for movement of vehicles;
- (xxxii) "street furniture advertisement" means an advertisement displayed on any public facility or structure which is not primarily intended for advertising and includes a seating bench, plant box, footpath litter bin, pole-mounted litter bin, public transport shelter, sidewalk clock, suburban name device and a street name, drinking fountain etc. of appropriate size and shape serving the functional requirement of such street furniture with advertisement either directly pasted/affixed or in the form of a panel;
- (xxxiii) "Structural Engineer" means a person who is a graduate in Civil Engineering from a recognized University or corporate member of Civil Engineering Division of the Institute of Engineers of India with a minimum of ten years of experience in structural design structures and related field work, or person who is a post-graduate in Civil Engineering from a recognized University or corporate member of Civil Engineering Division of the Institute of Engineers of India with a minimum of three years of experience in structural design structures and related field work;
- (xxxiv) "structural stability certificate" means a certificate issued by a Structural Engineer;
- (xxxv) "third party advertising sign" means any OMD other than self-advertisement;
- (xxxvi) "temporary advertisement" means an OMD, other than self-advertisement, displayed immediately before and for the duration of any forthcoming event including entertainment events, festivals, mela, trade fair, conferences, road shows and does not exceed a maximum period of thirty days;
- (xxxvii) "trailer advertising" means an OMD mounted on a trailer, bicycle or vehicle, which is stationery or moving with the sole purpose of advertising;
- (xxxviii) **"unauthorized charge"** means charges levied by Municipal Council/ Committee for the unauthorized display of OMD and violation of any of the provision of these bye-laws;
- (xxxix) "unipole" means an OMD with large space for advertising in the form of an advertisement panel and where such panel is mounted on a single column with its foundation on the ground;
- (xl) **"urban design"** means the actions of conceiving and managing the special and aesthetic characteristics of urban space between and around buildings, road including physical elements that make up the streetscape and the combined visual effect of building facades and other structures;
- (xli) "wall wraps" means advertisement pasted on the outer surface of a building orthe wall painted colour or the wall covered with any other material including aluminum composite panels which has been used as architectural feature to form the façade or used as wall of a building.

Application for registration.

- 3 (1) An agency or owner (for self-advertising only) intending to display an OMD within the Municipal area shall register with the Council/ Committee through the online process as laid out in **Annexure 1.**
- (2) The registration obtained by the agency or owner (for self-advertising only) under **clause (1)** shall be valid for a period of six years from the date of registration.
- (3) The agency or owner (for self-advertising only) shall deposit such registration fee, as the Government may, by general order, specify from time to time.
- (4) Where the owner intends to display an OMDs on his property for the purpose of self-advertisement beyond the permissible limits specified in **Schedule-I**, such owner shall be required to register in terms of the process specified in **bye-laws 3** and **4**. An advertisement for the purposes of self-advertisement within permissible limit specified in **Schedule-I** shall be exempted from the requirement to register with the Council/ Committee.

- (5) The single proprietor shall not be registered for installing the third party advertisements on its property.
- (6) A company incorporated under the Companies Act, 2013, (Central Act 18 of 2013) and intending to install acknowledgement OMD consequent to development and maintenance of public utilities, parks, green spaces, traffic signs, or any other service for public benefit and in public interest through its Corporate Social Responsibility (CSR) funds, shall be required to register with the Council/ Committee through the online process as laid out in **Annexure 1.**
- 4 (1) The Municipal Council/ Committee shall, refuse to register any agency where-

Process for registration.

- the agency, any of its directors, owners or promoters has been debarred from the display of advertisement by any Corporation or Council or Committee or Government or any agency owned and controlled by the Government;
- (ii) the agency, its directors, owners or promoters are in arrears of payment of any dues to any of Municipal Corporation/ Council/ Committee;
- (iii) the Director of the agency or the Director of any company has been debarred from the display of advertisement by any Corporation or Council or Committee or Government or any agency owned and controlled by the Government;
- (iv) the authorized signatory of the agency has earlier been the authorized signatory of any company in arrears of payment of any dues to any of Municipal Corporation/ Council/ Committee.
- (2) The agency intending to register with the Council/ Committee shall submit the following information/ documents, namely:-
 - name of agency with registration details in Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013), or Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act 6 of 2009);
 - (ii) Memorandum of Association and Articles of Association of company;
 - (iii) experience, details of agency in advertisement business for last three years or for such period of time that the agency has been in the advertisement business, whichever is earlier;
 - (iv) name of Directors along with Director Identification Number (DIN) of agency;
 - (v) details of work experience of each Director of agency;
 - (vi) details of any Director who was in arrears of payment of any dues in any municipality while earlier being Director in any other agency;
 - (vii) balance sheet of last three years or for such period of time that the agency has been in the advertisement business, whichever is earlier;
 - (viii) authorization letter by the Board of Directors (by passing resolution), for authorized signatory of agency;
 - (ix) details of advertisement rights/ permission secured in last five years, or for such period of time that the agency has been in the advertisement business, whichever is earlier, in any municipality;
 - (x) an undertaking that the agency, its directors, owners or promoters are not in arrears of payment of any dues in any municipality; Note: Only a registered agency is permitted to participate in tender/ auction of advertisement sites on public land/ property and enter in contract agreement with the owner of private land/ property in the concerned Council/ Committee;
 - (xi) any other information or document, as the Council/ Committee may require.
- (3) The owner intending to install OMD for self-advertisement beyond the permissible limit as specified in the **Schedule-I**, shall submit the following information/ documents for registration with the Municipal Council/ Committee, namely:-
 - (i) The name of owner along with ownership documents of land/ building/ property on or over which the OMD for self-advertisement is to be installed.

- (ii) Details of arrears of payment of any dues like property tax, etc. in any municipalities pending with the owner.
- (iii) any other information or document, as the Council/ Committee may require.

Note: Failing to submit above said documents shall be liable for rejection of registration application.

- (4) On scrutiny of the application along with information/ documents as provided in clause (2), the Council/ Committee shall, within **thirty days** from the date of submission of complete application, register the agency or owner (for self-advertising only) for the purpose of these bye-laws and issue a unique identity number and the registration letter as set out in **Annexure-2.**
- (5) The Council/ Committee shall refund 90% of registration fees to the agency/ owner whose request is rejected under clause (1). The 10% of registration fee shall be kept as scrutiny fees, as non-refundable.

Approval of OMDs.

- 5 (1) Application by a registered agency or owner (for self-advertising only) for display of any OMD shall be made by submitting an application containing the information as per **Annexure 3.**
 - (2) The application form shall be accompanied with the following, namely:-
 - processing fee as the Government may, by an order, specify from time to time, which shall be non-refundable and non-adjustable in any manner whatsoever;
 - (ii) latest receipt as proof of payment of property tax in respect of the tax payable for any property owned by the registered agency or the property on or over which the OMD is intended to be displayed;
 - (iii) a drawing, in colour, showing the locality plan, indicating the proposed position (including GPS coordinates) of the OMDs and the distances in relation to any other structure, building, or OMD situated within a radius of twenty-five meters from the proposed OMD;
 - (iv) complete specifications showing the dimensions of the OMDs and locations;
 - (v) the design and the structural details of the OMDs by a Structural Engineer, certifying the safety aspect of its foundations capable of bearing extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity and shall comply with relevant Indian Structural Design Standards, policy and guidelines framed from time to time. The structural details shall include size of all members of supporting frameworks, anchorages and design calculations including proof of compliance with any other law, including but not limited to, the applicable law and codes/guidelines including Indian Road Congress (IRC), the National Building Code of India and the Environment (Protection) Act 1986 (Central Act 29 of 1986), to the extent that such law is applicable;
 - (vi) if a proposed OMD is to be attached to or displayed on the facade of a building, an architectural drawing showing elevation and measurements of the building and the detailed measurements and position of the proposed OMD and the position of every existing OMD on the building drawn to a scale of 1:1000 or as specified by the Council/ Committee;
 - (vii) copy of the contract document containing all terms and conditions entered into between the agency and the owner of the property, where the owner of the property, where the OMD is proposed to be displayed is different from the registered agency;
 - (viii) an undertaking to the effect that the application for display of advertisement is not in contravention of the order of any Court;
 - (ix) any other information as the Council/ Committee may require, from time to time.
- (3) Where the owner of the property on which the OMD is proposed to be displayed is different from the registered agency, then the contract document entered into between the owner of such property and the agency shall contain a clause where the owner accepts the liability that may arise on the such property in case the agency is in default of payment of any dues to the Council/Committee under these bye-laws in respect of any advertisement displayed on such property and the right of the Council/ Committee to recover the amount in default under the provisions of section 95 of the Haryana Municipality Act 1973, by way of attachment or sale of such property.

6 (1) While evaluating an application under bye-law 5, the Council/ Committee shall ensure the following;-

Evaluation and scrutiny on applications.

- (i) That the application is in compliance with these bye-laws;
- (ii) That the application shall not in contravention of any order of any Court;
- (iii) written representations, objections and comments received from any interested party on the application have been duly considered.
- (2) The Council/ Committee in its sole discretion and for reasons to be recorded in writing, reserves its right to accept or reject any application.
 - (3) The period of validity of the approval for display of OMD shall be as below:
 - (i) Type A: equal to the agreement period between the concerned Government entity and the agency, with a maximum limit of three years;
 - (ii) Type B and Type C: minimum of three months (quarterly) to maximum three years;
 - (iii) Type D : As specified in Clause 12 of Schedule-I;
 - (iv) Type E: As specified on case to case basis;
 - (v) Type F /self advertisement: no restriction for advertisements within the permissible limits set out in **Schedule I**;
 - (vi) Type G: As specified on case to case basis, with minimum of three months (quarterly):
 - (vii) Type H: minimum of three months (quarterly) to maximum three years; and
 - (viii) Type I: minimum of three months (quarterly) to maximum three years.
- (4) The Council/ Committee on scrutiny and after following due process, shall, within thirty days from date of application, in writing and electronically, notify its decision to approve through the issue of a Letter of Intent (LoI), reject or return, the applicant as per format attached as **Annexure 4.**
- (5) The registered agency or owner (for self-advertisement only) shall be liable to pay the permission fees to Municipal Council/ Committee within **seven days** of issuance of Letter of Intent (LOI) failing which the approval shall be deemed to have been withdrawn.
- (6) After submission of permission fee and requisite documents stated in the LOI to the Municipal Council/ Committee, the registered agency or owner (for self-advertisement only) shall enter into contract agreement with the Municipal Council/ Committee, as per format at **Annexure 6:**

Provided that where the registered agency has obtained approval for display of OMD on property owned by a person other than the registered agency, then the registered agency has to enter into contract agreement with the owner of property including a clause to the effect that if the property owner continues to display any OMD or display any other OMD beyond the period of approval contained in the Letter of Intent than the liability with respect to violation of any provision of the bye-laws, shall be upon owner, jointly and severally, and shall submit its copy to the Council/ Committee along with other documents mentioned in **Annexure 3.**

- (7) All approvals for OMDs of the type and time period specified at **clause** (3) of **bye-law 6** shall be reckoned from the 1st day of the month succeeding the month in which approval is granted up to the last day of the month in which the period limits specified in **clause** (3) of **bye-law 6 ends**.
- (8) All existing OMDs shall comply with these bye-laws immediately. Only seven days grace period from the date of notification of this bye-law is allowed to all existing OMDs to comply with. After completion of **seven days**, Council/ Committee shall take appropriate action for non-compliance.

Exception.

- 7 (1) Nothing shall be construed to the effect that any approval granted in terms of these bye-laws means that:
 - (i) any person is exempted from any provision of any other law for the time being in force;
 - (ii) any person is exempted from the provision, requirements and applicability of the Haryana Prevention of Defacement of Property Act, 1989 (11 of 1990);
 - (iii) the registered agency or owner (for self-advertisement only) of an OMD is exempted from its obligations to ensure that such sign is designed, erected, completed, displayed and maintained in accordance with any other applicable law for the safety, security of public at large or to protect public decency and morality.

Withdrawal and amendment of approvals.

- **8** (1) The Council/ Committee may withdraw an approval granted, or amend any condition, or impose any further condition in respect of such approval if, in the opinion of the Council/ Committee, or any officer so authorized, by a general order, the OMD for which the approval has been granted-
 - (i) is, or has, as a result of a change to the road, provision of any public utility, the nature of the environment or the amenity of the neighborhood, streetscape or urban design existing at the time of such approval, become detrimental to the area in which it is located for any reason whatsoever;
 - (ii) constitutes, or has become, a threat to any person or property;
 - (iii) is obscuring a critical and aesthetically important natural feature, architectural feature or visual line of civic, architectural, historical or heritage significance;
 - (iv) is, or has become, prohibited in terms of these bye-laws or any other law for the time being in force;
 - (v) falls, completely or a part thereof, either through an accident or any other cause;
 - (vi) have any change made to it except under the direction of the Council/ Committee;
 - (vii) upon the building or structure or property proposed to be demolished or destroyed; and
 - (viii) requires to be removed, as may be decided, for reasons to be recorded in writing, by the Council/ Committee, in public interest, safety, aesthetics etc.
- (2) Before taking any decision under **clause** (1), the Council/ Committee shall issue notice to the registered agency or owner (for self-advertisement only), informing it of the intent of the Council/ Committee and the registered agency or owner (for self-advertisement only) will have the right to make a written representation in response to the notice within **seven days** of the date of notice.
- (3) In case of withdrawal of approval in whole or in part by the Council/ Committee, the registered agency or owner (for self-advertisement only) shall have to remove or make such change of the OMD at its risk and cost, as may be directed by the Council/ Committee within seven days. In case any refund of permission fees is due on account of withdrawal of approval, the balance amount of permission fees shall be refunded to the agency within **thirty days** of such withdrawal.
- (4) The Council/ Committee, or any officer so authorized, by a general or special order by the Council/ Committee, shall give reasons in writing for its decision on receipt of a representation from a registered agency.
- **9** (1) The Council/ Committee shall adopt a transparent system for grant of approval for display of OMDs and monitoring.
- (2) For the purpose of **clause** (1), the Council/ Committee shall develop an Information Technology based system for grant of approvals and monitoring and shall prepare a Geographical-Information-System (GIS) based OMD Master Plan for the properties vested in or under the management or maintenance of the Council/ Committee.
- (3) All OMD with their Geographical Positioning System (GPS) coordinates shall be marked on the GIS map and shall be available on the website of Council/ Committee for the information of the public.

IT based solution for application, renewal and monitoring.

- (4) The features of the information technology based system referred to in **clause (2)** shall be as follows:
 - (i) the bye-laws and notifications related to advertisements shall be made available for information on the website of the Council/ Committee;
 - (ii) online registration of entities shall be enabled and the registered agency or owner (for self-advertisement only) shall be assigned a unique Identity number which shall be password protected for all future correspondence with the Council/Committee:
 - (iii) all OMDs shall be GPS tagged and shall be available on the website of the Council/ Committee on a GIS map of the City;
 - (iv) an application for the installation of outdoor media shall be submitted online;
 - (v) each OMD site shall have unique code assigned to it which shall convey its ownership, location (GPS coordinates), type of media, size(area of display), advertisement/ permission fee payable, validity of agreement for display of advertisement and any other information which in the opinion of the Council/ Committee is required to be coded;
 - (vi) approvals of all OMD shall also be given electronically to the registered agencies or owner (for self advertising only).
- **10** (1) On approval, the OMD shall not be altered, removed, re-erected or upgraded (except in respect of the content of the advertisement), without prior written approval of the Council/ Committee.

General requirements for OMD.

- (2) Every power cable and conduit containing an electrical conductor for the operation of an OMD shall be so positioned and attached so that it is aesthetic.
- (3) No OMD shall be connected to any electricity supply with sub-meter without the prior written permission of the licensed electricity distribution company concerned in the name of theregistered agency and such permission shall, on request by an authorized official of the licensed electricity distribution company, be presented to them by the registered agency of the OMD concerned.
- (4) The electrical connections and components in all the OMDs shall be in accordance with relevant Bureau of Indian Standards (BIS), Indian Electricity Rules and designed to ensure there is no risk to personal or public safety or to movement of motorised or non-motorised traffic.
- (5) Generators which are running on petroleum fuels or any bio-fuel or causing noise, air or water pollution, shall not be allowed for providing power for illumination of any OMD. However, the agency may illuminate OMDs under its jurisdiction by installing solar photovoltaic panels.
- (6) The registered agency or owner (for self-advertisement only) of the OMD shall ensure that disposal of any type of material including media for display is disposed off as per the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986) or rules made there under, and any other applicable laws/rules/ bye-laws.
- 11 (1) OMDs for the purposes of set out in **sub-clauses (i) to (viii)** below shall follow the provisions of these bye-laws in respect of all conditions as per **Schedule I**; but such OMDs shall be exempted from payment of any permission fee or application in the following cases, namely:
 - relating to a public meeting, to an election to Parliament, Legislative Assembly, Council/ Committee or to candidature in respect of such election; (may be installed on only authorized spaces identified/ earmarked by the Council/Committee);
 - (ii) if exhibited within the window of any building, the advertisement relates to the trade, profession or business carried in that building (to the extent of only 2% of total Façade area of building);
 - (iii) relating to the trade, profession or business carried on within the land or building upon or over which such advertisement is exhibited or to any sale or letting of such land or building or any effects therein or to analyze, entertainment or meeting to be held on or upon or in the same (to the extent of only 2% of total Façade area of building);

Self Advertisement.

- (iv) relating to the name of the land or building upon or over which the advertisement is exhibited, or to the name of the registered agency or occupier of such land or building;
- relating to the business of a railway administration and is exhibited within any railway station or upon any wall or other property of the railway administration;
- (vi) relating to any activity of any department of the State Government or Union of India or the Municipal Corporations, Municipal Councils/ Committees but excluding Board/other Corporations;
- (vii) on a property where a building, swimming pool, tennis court, paving, fencing or garden landscaping or any other structure is in the course of being constructed, erected, carried out or altered and on which the activity concerned is described and the name of any architect, contractor or consultant concerned in such activity is displayed and the branch of the industry or the profession involved is specified;
- (viii) media device for hawkers on stationary kiosk or handcarts.
- (2). However, in case of an unauthorized OMD(s) found installed or any provisions of the bye-law gets violated at any stage, in reference to purpose set out in sub-clauses (i) to (vii), then unauthorized charge specified in the bye-law shall be levied from the violator and the unauthorized OMD shall be removed on "as and where basis".

Prohibited area.

- 12 (1) In addition to any other prohibition, expressed or implied, in these bye-laws, no person shall erect, maintain or display any OMD or advertisements on/ within:
 - (i) national parks, district forests and natural water bodies;
 - (ii) residential sector, subject to fulfilment of conditions stated in **Schedule-I**;
 - (iii) National Highways or State Highways, subject to fulfilment of conditions stated in **Schedule-I**;
 - (iv) any wall posters and wall paintings;
 - (v) building or structures of archaeological, architectural, aesthetical, historical or heritage importance;
 - (vi) places of worship or religious significance;
 - (vii) hospitals and nursing homes;
 - (viii) educational institutions, libraries;
 - (ix) cremation grounds, graveyards;
 - (x) areas classified as endangered regional ecosystems;
 - (xi) "no advertisement area" notified by the Council/ Committee from time to time; and
 - (xii) traffic signals and road signage(s).
- (2) No person shall deface or cause to be defaced any display, device or structure that may have been put up by the Council/ Committee and any contravention thereto shall be punishable under the Haryana Prevention of Defacement of Property Act, 1989 (11 of 1990);
- (3) In addition to any other prohibition, expressed or implied, in these bye-laws, the Council/ Committee shall take necessary action to modify or remove the following advertisements or OMDs showing or expressing:
 - (i) nudity;
 - (ii) propagating caste, community, race or ethnic differences;
 - (iii) promoting drugs, alcohol, cigarette or tobacco items;
 - (iv) propagating exploitation of women or child;
 - (v) depicting cruelty to animals;
 - (vi) depicting any nation or institution in poor light;
 - (vii) casting aspersion on any brand or person;
 - (viii) banned by any law;
 - (ix) glorifying violence;
 - (x) promoting lottery tickets, sweepstakes entries and slot machines;

- (xi) any psychedelic, laser or moving displays;
- (xii) displaying destructive devices and explosives depicting items;
- (xiii) promoting weapons covered under the Arms Act, 1959;
- (xiv) defamatory, trade libelous, unlawfully threatening or unlawfully harassing;
- (xv) obscene or pornography or indecent representation of women within the meaning of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 (Central Act 60 of 1986);
- (xvi) linked directly or indirectly to or include description of items, goods or services that are prohibited under any law applicable for the time being in force, including but not limited to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Central Act 23 of 1940), the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 (Central Act 21 of 1954), the Indian Penal Code 1860 (Central Act 41 of 1860); and
- (xvii) any other items considered inappropriate and so notified from time to time by the Council/ Committee.
- 13 (1) The Council/ Committee shall, from time to time identify locations and property within its jurisdiction to allow OMDs and prepare or revise the master plan of OMDs on property vested in or under the management or maintenance of the Municipal Council/ Committees area (hereinafter termed as "Municipal properties").
- (2) The permission for display of advertisements on Municipal properties shall be granted by inviting e-tender/ e-auction for the city as a whole or in part, as per the policy of e-tender/ e-auction issued by the Government from time to time.
- (3) The reserve price for the e-tender/e-auction shall be fixed by a committee, headed by the Deputy Commissioner. The Committee shall decide the reserve price on the basis of the following, among other parameters:-
 - (i) location of the site;
 - (ii) size of the advertisement board/banner;
 - (iii) prevailing market rate;
 - (iv) past revenue collection; and
 - (v) number of sites.
- (4) The period for display of advertisements shall be in accordance with **bye-law 6** and may be terminated at any time after giving notice of **seven days** in the event of default of terms and conditions of the contract agreement.
- (5) The Council/ Committee shall have the complete and unhindered right to display, or permit the display of and at any time, hoardings/ advertisements of Government or any statutory authority, Board, Council/ Committee or other entity owned and controlled by the Government for social messaging or promotion of the policies, schemes or programs of the Government. The Council/ Committee may direct the successful bidder in the e-tender/ e-auction to reserve fifteen percent of the total advertising space for the Government advertisements under this clause and no fee shall be payable by the Council/ Committee for these Government advertisements.
- (6) The Council/ Committee may assign advertisement rights for a specified period to any entity in lieu of construction, operations or maintenance of any public amenities including street light, public toilets, tree guards, street furniture, water dispensers, public information kiosks, etc.; and OMDs proposed to be installed in exercise of such rights shall be in accordance with the by-laws.
- (7) In case of Build Operate Transfer (BOT) arrangements, the concessionaire/advertiser shall have to apply for permission to install each OMD and shall also pay applicable permission fees.
- (8) The Municipal Council/ Committee may permit acknowledgment OMDs in accordance with the provisions of these bye-laws to any agency that undertakes to construct, operate or maintain any public space or public utility including green spaces, parks, water bodies etc., out of its own funds including through funds made available under the Corporate Social Responsibility Policy under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013).

OMDs on property of Municipal Council/Committee or for construction, operation or maintenance of any public utility etc. OMDs on property of Government or Government entities Advertisement rights assigned to any infrastructure project implementation entity by the Government or any statutory authority, Board/Corporation, or other entity owned and controlled by the Government on implementation of any infrastructure project (other than a foot-over-bridge) shall be permitted in accordance with these bye-laws; and the provisions of clause (2) of bye-law 13 shall not apply to display of advertisements by such infrastructure project implementation entity.

Formats of Outdoor Media Devices (OMD). 15 OMDs shall be classified as per details set out in **Annexure 5** and with permissible specifications and conditions set out in **Schedule 1**.

Permission fees.

- 16 (1) The permission fees in terms of section 70 of the Act, shall be payable by the registered agency in advance on quarterly basis if the period of approval is less than a year or on annual basis if period of approval is more than a year, at such rates, as the Government may, by an order, specify from time to time.
- (2) In case of removal of advertisement by Council/ Committee on account of reasons attributable to Council/ Committee, pro-rata amount shall be refunded to the registered agency or or owner (for self-advertisement only).
- (3) No refund of permission fee paid shall be made by the Council/ Committee, if the registered agency or owner (for self-advertisement only) seeks withdrawal of the permission granted under clause (6) of bye-law 6.
- (4) In addition to the permission fee, the registered agency or owner (for self-advertisement only) shall deposit bank guarantee of an amount equivalent to the quarterly permission fee payable to the Council/ Committee in advance, valid for period of approval.
- (5) The permission fee shall be applicable immediately on notification of these bye-laws on all OMDs including existing OMDs.
- (6) The permission fee shall be increased by five percent at the beginning of every financial year.
- (7) All the applicable taxes shall be the liability and be payable by the registered agency of the OMD in addition to the permission fees.
- (8) The Council/ Committee shall prepare, within a period of **five years** from the date of last revision of the permission fees, a proposal for revising the permission feesas per market conditions and submit the proposal to the Government for approval. If the Council/ Committee fails to prepare a proposal for revision in the period of **five years**, the Government may, immediately on the end of the fifth year of the last revision of the permission fees, *suo-motu* revise and notify the permission fees.
- (9) Registered agencies permitted to install Acknowledgment OMDs under **clause** (8) of **bye-law13** are exempted from payment of permission fee.

Inspections.

- 17 (1) The Council/ Committee or any officer authorized, by a general or special order, shall have the power to carry out an inspection of any OMD at any time.
- (2) An officer authorized by the Council/ Committee shall carry out the inspection with respect to "Outdoor Media Device Audit form" as specified by the Council/ Committee, from time to time.

Maintenance of OMDs and removal of unauthorized advertisements.

- 18 (1) Subject to provisions in these bye-laws,-
 - the registered agency or owner (for self-advertisement only) shall be responsible for maintaining the device and the surrounding area so that it does not become unsightly or deteriorate to such a degree that it is in conflict with any provision of these bye-laws;
 - (ii) a registered agency or owner (for self-advertisement only) shall carry out at least once in three months inspection of an OMD with a view to satisfy himself that it has been properly maintained and forthwith carry out any necessary maintenance resultant upon such inspection; and
 - (iii) a registered agency or owner (for self-advertisement only) shall keep a written record of any inspection made, maintenance carried out and shall retain record of it and make the same available for perusal on demand by an authorized officer of the Council/ Committee.

- (2) The registered agency or owner (for self-advertisement only) shall ensure that a metallic plate (minimum size of one feet by one feet) with the embossed logo of Municipal Council/ Committee providing details of approval of Council/ Committee and details of the OMD, as required by Council/ Committee, are displayed and maintained in good condition at all times. Failure to do so shall result in the levy of a non-compliance charge, as the Council/ Committee may specify.
- (3) If in the opinion of Council/ Committee, any OMD is in a dangerous or unsafe or is likely fall into a state of disrepair or is in conflict with any requirement of these bye-laws, the Council/ Committee shall serve a notice on the registered agency or owner (for self-advertisement only) to remove/ maintain the OMD, within the specified period and registered agency or owner (for self-advertisement only) shall be required to comply thereof or take suitable action.
- (4) If the Council/ Committee is of the opinion that an OMD constitutes an imminent danger to any person or property, it shall without serving, or if such a notice has been served but not complied with within the period specified therein, remove/ maintain the OMD.
- (5) The cost incurred for the removal and storage of an OMD, and any other costs incurred by the Council/ Committee as contemplated in **clause (4)**, shall be recovered from the registered agency or owner (for self-advertisement only). The OMD shall be removed at the risk of the registered agency or owner (for self-advertisement only) by the Council/ Committee.
- (6) If an OMD has been removed in terms of **clause (4)**, the Council/ Committee shall promptly inform the registered agency or owner (for self-advertisement only), about such removal of OMD.
- (7) Any OMD which has been removed and stored in terms of these bye-laws, shall be released to its registered agency or owner (for self-advertisement only) subject to payment of fee/charges as the Council/ Committee may, specify.
- (8) The entire list of authorized OMDs shall be displayed, without ownership display, for scrutiny by public at large and advertising companies, agencies, brands to identify and ensure that the advertisement being released by them is being mounted only on authorized OMDs. Failure to comply with above requirement shall be punishable under the Haryana Prevention of Defacement of the Property Act, 1989 (11 of 1990).
- (9) Any unauthorized outdoor advertisement shall be removed promptly by the Council/Committee and shall be immediately disposed off on as-is where-is basis.
- (10) The municipality shall issue notice to concern individual/owner for installing unauthorized OMDs as per provisions of the Haryana Prevention of Defacement of the Property Act, 1989 (11 of 1990) and take action of removing the unauthorized OMD and penalizing the individual/owner.
- 19 The registered agency or owner (for self-advertisement only) of a property upon which an OMD is erected, attached or displayed, shall retain certified copies of all documentation relating to the application for approval of such device in terms of these bye-laws, for as long as that device is erected or displayed, and shall on demand by an authorized officer, present such documentation.

Documentations

20 (1) If any written comments, representations or objections have been received in respect of an application from any interested party contemplated, the Council/ Committee shall consider such comments, representations and objections before taking a decision on the application.

Consideration of representations from interested parties.

- (2) An applicant shall within **fourteen days** after receiving any comments, representations or objections to an application, submit a written response to the Council/Committee for consideration.
- (3) If a response is not received within a period of **fourteen days**, the Council/Committee shall take a decision on the comments, representations or objections within a period of **twenty-one days** from the date of receipt of comments, representation or objections.

Serving of notices.

- 21 (1) Any notice that is required to, or may be served, delivered or given in terms of, or for the purposes of these bye-laws, shall be served in any one of the following ways:-
 - (i) by sending a copy of the notice by registered or under postal certificate to the last-known address of the person concerned/ registered agency, and, unless the contrary is proved, it is deemed that service was effected on the seventh day following the day on which the document was posted;
 - (ii) by faxing a copy of the notice to the person, if the person has in writing furnished a fax number to the Council/ Committee;
 - (iii) by forwarding the notice through e-mail at the registered E-mail ID; and
 - (iv) by handing over a copy of the notice to the owner or any of the authorized representative of registered agency.

Appeal.

Any person, whose rights are affected by a decision of Council/ Committee or an officer authorized by him in terms of or for the purposes of these bye-laws, may appeal against that decision to the Deputy Commissioner.

Contraventions and consequences

- 23 (1) Whosoever contravenes any provision of these bye-laws, shall be liable, without prejudice to any other action that may be taken by the Council/ Committee to remove such contravention, to pay a charge for such contravention at a rate equal to three times the applicable permission fees on the date of commencement of such contravention for the period of such contravention or a quarter, whichever is more.
- (2) In case of unauthorized media displayed by a registered agency or the owner of the property over which the unauthorized media has been displayed and the agency shall be, jointly and severally, liable for the payment of charge for such contravention as specified in **clause (1)**.
- (3) The registered agency or owner (for self-advertisement only) which has displayed the unauthorized media shall also be liable to be deregistered by the Council/ Committee:

Provided that any action for deregistration shall be taken by the Council/ Committee or an officer authorized by the Council/ Committee in this behalf, only after an opportunity of being heard has been provided to the registered agency or owner (for self-advertisement only):

Provided further that if the registered entity pays the charge for such contravention, removes the unauthorized media within a period of **five days** from the date of notice of such contravention and gives a commitment to comply with the provisions of the bye-laws in future, then the Council/ Committee may, in good faith, provide an opportunity to the registered agency or owner (for self-advertisement only):

Provided further that the opportunity under the second proviso shall be provided only on one occasion of contravention and shall not be provided for any subsequent contravention within a period of **three years.**

(4) If the owner, promoter or Director of any agency that has been deregistered, is the owner, promoter of Director of any other registered agency, then action for deregistration shall be taken against such other registered agency:

Provided that any action for deregistration shall be taken by the Council/ Committee or an officer authorized by the Council/ Committee in this behalf, only after an opportunity of being heard has been provided to the registered agency or owner (for self-advertisement only).

- (5) Consequent to the decision for deregistration of a registered agency or owner (for self-advertisement only) under **clause (3) or clause (4)** above, any approval granted by the Council/ Committee to any OMD of such registered agency or owner (for self-advertisement only) shall be deemed to have been withdrawn forthwith without any further notice.
- (6) A registered agency or owner (for self-advertisement only), once deregistered under **clause (3)or clause (4)** above, shall not be permitted to register for a period of three years from the date of deregistration.
- (7) In case of continuing contravention beyond **fifteen days**, the property over which such contravention exists shall be debarred for display of advertisement for a period of **one year**.
- (8) An officer authorized by the Council/ Committee, shall have the power to enter upon the property on or over which the unauthorized media has been displayed and remove such unauthorized media.

24 (1) The registered agency or owner (for self-advertisement only) of the OMDs shall provide and keep in full force and effect in the joint names of the registered agency or owner (for self-advertisement only), a public liability insurance policy for their respective rights, interests and liabilities to the third parties in respect of accidental death, bodily injury to persons or accidental damage to the property.

Insurance.

- (2) The registered agency or owner (for self-advertisement only) shall produce evidence of the insurance public liability insurance policy to the Council/ Committee.
- 25 (1) The registered agency or owner (for self-advertisement only) shall be required to indemnify the Council/ Committee against all actions, proceedings, claims, demands, costs, losses, damages and expenses which may be brought against, or made upon the Council/ Committee which arise as a result of the installation or existence of OMDs.

Indemnity

(2) The registered agency or owner (for self-advertisement only) shall always be responsible for any injury or damage caused or suffered by any person or property arising out of or relating to the display of advertisement and the consequential claim shall be borne by the owner who shall also indemnify and safeguard the Council/ Committee, its employees or any entity employed/appointed by Council/ Committee.

Registration Form

(see bye-law 3(1) and 3(6))

Municipal Council/Committee of

Registration for display of Outdoor Advertisement

1.		mpany/ Firm/ Agency/ Owner (fo ed Liability Partnership Act, 2009			on details in Companies		
2.		Address:					
3.	-	Contacts: Bus					
	Fax:	E-N	Iail Address:				
4.	Details of the	e Directors/ Proprietors/ Partners:					
	Serial number.	Name	DIN No.	Mobile No.	E mail Address		
	(i)						
	(ii)						
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Experience, Work experi Details of Di Balance shee Authorizatio Authorized s Details of ad An undertak Type of entit PAN Numbe Service Tax Registration The applican blacklisted b years. The applican	Number:	t business for last 3 gency; any of the matter ors (by passing resoured in last five yearinst it in any of the set 3	years, if available; while remain Director solution), not by any ears in any of the munic municipality of Harya	individual Director for cipality of Haryana;		
20.	The applicant firm/company has no court case Yes No pending I/we shall hereby abide the terms and conditions and guidelines of advertisement bye-law/policy framed by the Municipal Council/Committee. Also the information listed above is true and genuine and incase of adverse findings related to this, the registration shall stand cancelled.						
as spe	ecified by the l	ubmission, please take print out of Municipal Council/ Committee tir	ne to time at Munic				
Coun	cil/Committee	of, payable at)		SUBMIT		
		typical format only and is subj from time to time. Latest version			he Municipal Council/		

		Approval Form
		(see bye-law 4(4))
No		Date:
То,		
Outd	oor M	Please refer to your application no, dated for registration of installation of edia Device for Display of Outdoor Advertisement.
Dear	Sir,	
		This is with reference to your application regarding registration with Municipal Council/
It is t		rm that following decision has been taken in consideration of your application:
1.		r application for registration is approved and unique identification number allotted to you is Please use the same for all future correspondence with the Municipal Council/ Committee of
2.		r application for new Media/ renewal is rejected on account of the following:
	a.	Incomplete application
	b.	Incorrect information provided
	c.	Pending dues with Municipal Council/ Committee
	d.	Blacklisted status not verified
	e.	Others
		Executive Officer/ Secretary,
		Municipal Council/ Committee
Note	¹:	In case of rejection of application you may apply fresh on satisfying the above mentioned conditions.
Note	2:	This is a typical format only and is subject to modification/ amendment by the Municipal Council/Committee from time to time.

Application Form

(see bye-law 5(1), 5(2) and 6(6))

FOR OFFICE USE ONLY									
District:	City:		W	⁷ ard:		Zone:		Permit Number:	
Road/ Street/ Address:			• •						
Road/Street/Address.									
				•					
Date Granted:				Applic	cation N	0.:			
D '(I D)	•				···········	1.D.			
Permit Issue Date:				Permi	t Expire	d Date:			
Section I – Fees (No Cash		tod by mail)							
Application Fee (non refur		teu by man)							
7 ipplication i ee (non ieital	idaoicj								
Account No.:			Ва	ank Nar	ne:			IPSC code:	
Account Number:					Total f	ees charged:			
Section II – Typology (Cl	neck th		te k	ox)	T	~			
D 1 IDT OL 1		Type B			Type			Type D, E,F and G	
Bus and IPT Shelters		• OMD o		Ш		lboards	닏	• Temporary Events	
Bus and IPT route markers		Public 1	ana		• Un			• Tree Guards	
Toilet Blocks						ilding Boards all Wraps	님	Self AdvertisingInnovative	
Cycle Station						D/ Electronic		Illiovative	
Police booth					LL	D/ Electronic			
Sitting benches									
Traffic Barricading									
Pylon mounted devices									
Metro/ MRTS/ FOB									
• Public transport									
Vehicles									
Section III -Applicant									
Name of the applicant (Ple	ase	Name of the		1 &		OM	ID ID:		
print or type name of firm		Directors:			No.:				
individual desiring permit)	;								
Mailing address.		C:t			Ctata		Ott	io al ano mo/mobile mo	
Mailing address:		City:			State:			ice phone no/mobile no.:	
Permanent address:		City:		• • • • •	State:			code:	
Section IV –Property									
Public					Privat	e			
Owner Name (person/		Address:		City:	1	Pin code:		Phone no.:	
association in control of		Addicss.		City.		i iii code.			
property):								••••••	

Section V – Display location info	ormation					
Area:	Location: Khasra numbe		Sector no: Street: Geo-Coordinate Longitude/ Lat:	 e:	Land mark:	
Section VI – Media Specification	n				l	
Height:		Length:		Size (i	n sq. mtr.)	
Material Metal Wood Others		Illuminati	on Yes No	¬ c	Indicate Facing ☐ ☐ ☐ N S E W	
Section VII – Required docume						
Please upload the following docur Director's informat Building Permit/Pro Pan No. Service Tax No. Certificate of Struct Contract agreement City plan with locat Coordinates of OM Photograph of the S Sketch plan of the s Pending Dues (if an	tural Engineer Control between the own of advertise D With GPS Low Site (signed by own)	wner and adverment sites ocation owner and agweet and ag	gency) gency)			upload upload upload upload upload upload upload upload upload upload upload upload
I/We, shall hereby abide by all prov (In case of offline submission, plea specified by the Municipal Counci Committee of, pays	ase take print ou 1/ Committee ir	ut of this for n favour of	rm and submit it	with De	emand Draft of such	l Council
Note:- This is a typical format only offrom time to time.					Municipal Council/ (Committee

(see bye-law 6(4))

	(**************************************	
	Approval letter by the Municipal Council/ Con	ımittee,
No.)	Date:
To,	l,	
Dev	Please refer to your application no, date evice/ renewal for Display of Outdoor Advertisement. Dear Sir, This is with reference to your application regarding in a display of Outdoor Advertisement by your Company/ Firm/ A	stallation of New Outdoor Media device/ renewal
1.	Your application for New media/ renewal is approved for	of (size)(in sq. mtrs.) at within(zone/ ward) limits of the
2.	The unique ID allotted to new OMD is	
	Your application for new Media/ renewal is rejected on account	unt of the following:
	1. Incomplete application	
	2. Incorrect information provided	
	3. Pending dues with Municipal Corporation/ Council/ C	ommittee
	4. Blacklisted status not verified	
	5. Others.	Thanking you.
	N	Executive Officer/ Secretary, Municipal Council/ Committee
End	dst no.	Date:
in co view defa such	A copy of above is forwarded to Sh	ble in case the agency (to whom you have entered any dues to the Municipal Council/ Committee in nittee shall have the right to recover the amount in pality Act 1973, by way of attachment or sale of

Note: In case of rejection of application you may apply fresh on satisfying the above mentioned conditions.

Note: This is a typical format only and is subject to modification/ amendment by the Municipal Council/ Committee

Executive Officer/Secretary,

Municipal Council/ Committee.....

from time to time.

(see bye-law 15)

Typology	Typology Description		
Α.	Typology A: OMDs on public transport services / street furniture and public transport system		
A1	Bus and Intermediate Public Transport (IPT) shelters		
A2	Bus and IPT route markers		
A3	Foot Over Bridges, Signage gantries, toilet blocks and urinals		
A4	Cycle Stand/Station		
A5	Police booth, parking booth, telephone booth, pre- paid taxi booth, bus/rail booking information booth, drinking water facility, public utility kiosks, outside colonies to facilitate directory / payment of bills etc.		
A6	Sitting bench, garbage bins		
A7	Metro/MRTS		
A8	Traffic barricading		
A9	Public transport vehicle		
В.	Typology B: OMDs on commercial advertising structures on public land		
B1	OMD on public land		
C.	Typology C: OMDs on commercial advertising structures on private land		
C1	Unipoles, billboards, building boards.		
C2	Wall wraps/ wall painting		
С3	Multiple OMDs.		
D.	Typology D: events		
D1	Religious, Political and Conferences		
D2	Entertainment and Exhibitions events		
Е.	Typology E: landscape advertising		
E1	Tree guards		
F.	Typology F: shop signage		
F1	Self Advertising		
G.	Typology G: innovative advertising		
G1	Innovative advertising		
H.	Typology H: cinema advertising		
H1	In-cinema on screen advertising including slides and advertisement films (moving advertisements).		
I.	Typology I: Inside commercial buildings and public buildings		
I1	Inside commercial buildings and public buildings		

The supporting structure shall have a non-reflective finish to prevent glare. The Outdoor Media Devices structure shall be well maintained at all times. It shall be painted in colors that are consistent with, and enhance the surroundings.

(see bye-law 6(6))

Standard Contract Agreement

Inis agreement is entered into at	(name of City) on	between Municipal
Council/ Committee,LICEN	SOR) having its office at	through the
	ouncil/ Committee,	
to as the First Party (which expression shassignees of the First Party).	nall unless repugnant to the context mean and inc	clude its successors and
	AND	
Shri / Smt	(Proprietor / Pa	rtner / Director) of the
	having its registered with the	
Committee	as Outdoor Media Agency or owner (for s	elf-advertisement only)
	ty' (which expression shall unless repugnant to	• /
·	e an application for display of Outdoor Media Develed atfor which second party has m	
with the owner of property to erect a hoar	rding and display advertisement in his/ her prop	erty for display, Under
Section 200(p) of Haryana Municipal Act,	1973 and provisions of the Haryana Municipal A	dvertisement Bye-laws,
2018 applied vide Application ID	to First Party on the premises	of the above referred

NOW THEREFORE THIS AGREEMENT WITNESSETH AND IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERE TO AS FOLLOWS:

owner for period of from to

- 1. That the **Second party** hereby expressly agree and undertake to abide by the Haryana Municipal Act, 1973 and the provisions of Haryana Municipal Advertisement Bye-laws, 2018, as amended time to time.
- 2. That the **Second Party** hereby expressly agrees to termination of contract at three months' notice. In the event of default of terms and conditions of contract agreement, agreement shall be terminable forthwith
- 3. That the **Second Party** hereby undertake that the erection of the hoarding and display of advertisement shall not adversely affect or cause any obstruction to the air, light and ventilation of the building belonging to the Owners or to the neighboring building and / or premises.
- 5. The **Second Party** hereby further agree and undertake that they shall be liable for any claim, litigation and liabilities made against them by the **First Party**.
- 6. That the **Second Party** hereby agrees to timely deposition of annual permission fees in advance for the next year. It shall be ensured that advance fees is deposited thirty days prior to the lapse of annual permission fees paid, failing which the permission is liable to be cancelled. In case of non-deposition of fees, agreement shall be terminable forthwith and bank guarantee submitted by the Second party will be forfeited and pending dues, if any, will be adjusted
- 7. That the **Second Party** shall ensure proper maintenance of OMDs as defined in **Bye-law 18** of the Haryana Municipal Advertisement Bye-laws, 2018, as amended from time to time. In case of non-compliance, agreement shall be terminable forthwith and penalty as prescribed in the Bye-laws will be imposed upon the firm.
- 8. That both the parties hereby agree that this agreement shall be deemed terminated on premature termination or expiry of the bilateral agreement signed between Second Party and owner of land/ building to erect a hoarding and display advertisement.

IN PRESENCE OF WITNESSES

Sign: Sign:
Name: Name:
Designation Designation

Schedule 1

General Permission Criteria - Outdoor Media Devices

(See bye-law – 2(2)(xxvii), 3(4), 4(3), 6(3)(iii, v), 11(1), 12(1)(ii, iii) and 15)

1. Traffic Hazard Potential Dependencies

- (1) The traffic hazard potential of an OMD depends on its:
 - a. Site Location: OMD's location from the road which is measured in terms of lateral and longitudinal displacements from the edge of the road. The hazard generally diminishes the further the device is away from the road.
 - b. size of the OMD,
 - c. luminance level of the OMD, and
 - d. background and other such related issues.
- (2) An advertising device may be considered a traffic hazard:
 - (i) if it interferes with the effectiveness of a traffic control device (e.g. traffic light, stop or give way sign).
 - (ii) if it interferes with road safety or traffic efficiency.
 - (iii) distracts a driver at a critical time (e.g. making a decision at an intersection).
 - (iv) obscures a driver's view of a road hazard (e.g. at corners or bends in the road).
 - (v) gives instructions to traffic to "stop", "halt" or other (e.g. give way or merge).
 - (vi) imitates a traffic control device.
 - (vii) is a dangerous obstruction to road or other infrastructure, traffic, pedestrians, cyclists or other road users.
 - (viii) is in an area where there are several devices and the cumulative effect of those devices may be potentially hazardous.
 - (ix) if situated at locations where the demands on drivers' concentration due to road conditions are high such as at major intersections or merging and diverging lanes.
 - (x) if it violates the applicable building bye-laws/ Code.
- (3) Besides aforesaid, additional driver attention and decision making are required at the following:
 - a. high speed diverging, merging or weaving at an intersection such as at a "Y" intersection or large high-speed roundabouts;
 - b. in the vicinity of intersections where through lanes merge and where vehicles are required to merge at higher speeds (e.g. where "trap lanes" are created on the approaches to, or exit from, intersections and where a divided motorway becomes a two-way road);
 - c. intersections or sections of road which, because of lane configuration or geometry, may require an increased level of driver concentration (e.g. five-way intersections, back to back horizontal curves);
 - d. on the outside curve of a divided road where advertising is directed at traffic on the opposite carriageway and the geometry, angle or other factors make this undesirable;
 - e. sections of road displaying traffic signals, directional signage, regulatory or advisory signage that (when considered singularly or in combination) are believed to be significantly more different or complex than would normally be expected (at these intersections, it would be expected that the required reading and interpretation period of the traffic control device(s) would be significantly longer);
 - f. sections of road that have a vehicle crash history higher than the system average;
 - g. pedestrian crossing facilities; and
 - h. schools, hospitals, old age homes.

2. OMD Location Selection Criteria

- (1) The site selection criteria comprise of:
 - (i) the lateral placement of OMDs (which influences the hazard potential for an errant vehicle and the effectiveness of official traffic signs); and
 - (ii) the longitudinal placement of OMDs (driver distraction control) relative to designated traffic situations and official traffic signs, road features and other OMDs (which influences sight distances and driver distraction).

(2) Lateral Placement

- (i) Advertising is not permitted in medians because these areas are set aside for important traffic control devices.
- (ii) OMDs shall not be permitted on traffic islands.
- (iii) Where carriageways diverge so much that oncoming traffic is not visible because of topography or dense vegetation.
- (3) Longitudinal Placement (Driver Distraction Controls)
 - (i) Longitudinal placement set out minimum distances between the OMDs and traffic conflict points, official traffic signs and other OMDs (i.e. reduce advertising density).
 - (ii) To facilitate the smooth flow of the traffic and to avoid any traffic hazard caused by the placement of OMDs following shall be followed while finalizing longitudinal placement of any device, the distance for placement of OMD shall be measured from main carriageway or the edge of the junction, intersection, roundabouts etc.
- (4) Lateral and Longitudinal Site Selection Criteria

(i) Lateral Criteria

	Site Selection Criteria for Lateral Placement of OMDs					
Seria	Width of ROW	Minimum Lateral	Curve Factor (In	Minimum Lateral Straight		
l no.	(in meters).	distance measured	case there is	Clear Distance from the		
		from the edge of	curve on road)	ROW of road to OMD (in		
		ROW (in meters).		case there is curve on road)		
				(in meters).		
	1	2	3	4		
1	Above 100	15	1.5	22.5		
2	Above 60 to 100	10	1.2	12		
3	Above 30 to 60	7	1.2	8.5		
4	Less than 30	3	1.0	3		

- (a). The lateral distance criteria are applicable to all type of OMDs, except OMDs defined under Typology "A" in Annexure-5.
- (b). In no case, the OMD shall be allowed to install within the ROW.
- (c). In case the ROW of municipal road is less than 20 meters, OMD shall be installed at edge of ROW parallel to carriageway.

(ii) Longitudinal Criteria

	Site Selection Criteria for Longitudinal Placement of OMDs					
	Minimum Longitudinal Straight Clear Distance between two OMDs along the road for notified speed upto50 Km/ hr	Speed Factor (In case notified speed of road is higher than 50Km/ hr)	Minimum Longitudinal Straight Clear Distance between two OMDs along the road (In case notified speed is higher than 50Km/ hr)			
	1	2	3			
(i)	100 meters	i. 60 Km/ hr = 1.2 ii. 80 Km/ hr = 1.5 iii. 100 Km/ hr = 2.0	i. 100 X 1.2 = 120 meters ii. 100 X 1.5= 150 meters iii. 150 x 1.8 = 200 meters			

The above distance has been calculated considering, distance covered by vehicle at given speed within three seconds distraction time (distraction caused by advertisement), one second reaction time to apply brakes, braking distance of vehicle at given speed and additional safety factor.

Note: The longitudinal distance criteria shall be applicable to OMDs along any road or OMDs on public land, except OMDs defined in Typology "A" in Annexure-5.

(iii) OMDs are not permitted within 75 metres of any road junction, traffic intersection or another road crossing. The distance will be measured from the edge of traffic inter-section not road junction or road crossing.

- (iv) OMDs shall not block any traffic signage or traffic signal or any other structure erected for the regulation of traffic.
- (v) OMDs are not permitted on a roundabout of diameter less than 100 metres measured from the outer width of the round-about (including the carriageway).
- (vi) OMDs on roundabout of diameter 100metres and above measured from the outer width of the round-about (including the carriageway) are permitted at clear distance of 15 metres from the edge of carriageway.
- (vii) Where lateral placement requirements and driver distraction requirements are provided for by a particular restriction distance, the greater value shall be used.
- (viii) When two (2) OMDs, located together, are different in their general form, the driver distraction potential shall be determined considering both devices, simultaneously.
- (ix) The permissible distance between the edge of any Unipole OMD or Wall wrap OMD to any other Unipole OMD or Wallwrap OMD on private property shall be at least 50 metres of frontal façade.
 - Note: one OMD is permitted to install on each premises even if it frontal façade is less than 50 metres, but in case of more than one OMDs are to be installed at single premise, then for every additional OMD frontal façade of at least 50 metres is required. The distance between each OMD within same premises shall be 50 metres.
- (x) If an OMD is visible from more than one road or type of road (such as a motorway or motorway standard road and a ramp or other road) the restrictions shall be applied to each road or type of road the OMD is visible.

(5) Physical characteristics of OMDs

- (i) The application of control on physical characteristics is intended to minimize the level of driver distraction. Control of the physical characteristics of Outdoor Advertising Devices shall relate to the:
 - (a). Size and shape
 - (b). Colour
 - (c). Illumination and Luminance
 - (d). Movement and Rotation
 - (e). OMD Content

(ii) Size and Shape

- (a). OMDs shall not use shapes that could potentially result in an OMD being mistaken for the effectiveness of official traffic signs.
- (b). The Code of Practice for Road Signs IRC: 67-2001, by Indian Roads Congress prescribes the basic design parameters of official traffic signs and includes standard legend/background colour combinations.

(iii) Colour

- (a). OMDs shall not use colour combinations that could potentially result in being mistaken for an official traffic sign.
- (b). The Code of Practice for Road Signs IRC: 67-2001, by Indian Roads Congress prescribes the basic design parameters of official traffic signs and includes standard legend/background colour combinations.

(iv) Illumination and Luminance

- (a). OMD shall not contain flashing red, blue or amber point light sources which, when viewed from the road, could give the appearance of an emergency service or other special purpose vehicle warning light's,
- (b). All lighting associated with the OMD shall be directed solely on the OMD and its immediate surrounds.
- (c). External illumination sources shall be shielded to ensure that external 'spot' light sources are not directed at approaching motorists.
- (d). Illumination of OMD is to be concealed or be integral part of it.
- (e). Up-lighting/upward pointing of the device shall not be allowed, any external lighting is to be downward pointing and focused directly on the OMD to prevent or minimize the escape of light beyond OMD.

- (f). Any light source shall be shielded so that glare does not extend beyond the OMD.
- (g). Non-static illuminated OMDs (flashing lights) are not permitted.
- (h). The average maintained luminance shall be reduced to 0.5 candelas or all together shut, after 2300 hours (11 P.M) and sunrise by automatic timing devices or as specified by Municipal Council/ Committee from time to time.
- (i). OMDs containing retro-reflective material shall be rotated approximately five degrees away from the normal line of vehicle headlight beams in order to minimize specular reflection.

(v) Movement and Rotation

- (a). Moving displays causes a statistically significant distractive influence on motorist's response times to external stimuli. Moving, rotating or variable message OMDs are permitted only in market place, parking spaces and other public spaces, where there is only pedestrian movement. In no case such advertisements shall be permitted towards vehicular traffic. (except advertisements affixed on public transport vehicles i.e. State Government Buses).
- (b). OMDs on personal vehicles and any motor vehicle i.e. trailer advertising shall not be permitted.
- (c). This permission criterion is not intended to apply to variable message displays used by road authorities for traffic management/ information. Variable message displays located at bus stops or similar places where messages are directed at, and intended for, pedestrians (not motorists) are excluded.

(vi) Advertising Device Content

The Municipal Council/ Committee will generally rely upon self- regulatory controls within the Advertising industry to enforce minimum Advertising standards. Notwithstanding this approach, the Municipal Council/ Committee may take action to modify or remove any advertisement on the OMD that contravene the Advertising Industry's Code of Ethics, (refer List of Negative Advertisements provided in sub-rule 12(3) or that otherwise causes a traffic hazard.

(vii) Legibility

- (a). For all categories of OMDs (other than OMDs which are directed at pedestrians), text elements on an OMD face should be easily discernible to traveling motorists. This will minimize driver distraction. Additionally, a sign shall be quickly and easily interpreted so as to convey the required advertising message to the viewer and reduce the period of distraction.
- (b). The content or graphic layout exhibited on OMD panel shall avoid hard-to-read and overlay intricate typefaces and have letters styles that are appropriate. Under no circumstances should device contain information in text sizes, which would necessitate the driver or passenger in a moving vehicle to stop, read and/or note down, which is detrimental to the smooth flow of traffic and distracting for the driver.
- (c). All OMDs shall be so designed as to maintain a proportion where, as a general rule, letters should not appear to occupy more than 20% of the OMD area, unless otherwise permitted by the Municipal Council/ Committee.

3. Installation, Operations and Maintenance Development Criteria

- (1) The following criteria shall also apply:
 - (i) Safe access shall be available to the OMD for erection, maintenance and alteration activities.
 - (ii) The OMD and surrounding areas shall be kept in a clean and tidy condition.
 - (iii) Unauthorized clearing, trimming, slashing and burning off or otherwise removal or destruction of vegetation is not permitted.
 - (iv) Apart from accommodating vehicular and pedestrian traffic, road reserves are corridors for utility services such as power, telecommunications, gas, storm water, water supply and sewerage. The location of these services is known by other agencies with their own legislative right to install these services within the road reserve.

- (v) Municipal Council/ Committee may not know the accurate location of all underground services. The owner is responsible to co-ordinate, inform and communicate to relevant authorities before any excavation or fabrication on site work is to be undertaken. Any liability, delay or accident that happens, is complete responsibility of the owner and in no way Municipal Council/ Committee would be liable to help, support, negotiate or waive off any of the conditions set in the agreement or these bye-laws.
- (vi) OMD owners are solely responsible for ensuring that during erection, maintenance, alteration and operation of an OMD, the device does not conflict with services or other things within the road reserve.
- (vii) Municipal Council/ Committee may ask the owner to either replace or altogether remove any OMD to facilitate the work undertaken by utility services such as power, telecommunications, gas, storm water, water supply and sewerage, or for road widening.

4. Structure

- (1) OMD structures devices shall be certified by a Structural Engineer practicing in the field of structural engineering. This requirement is not applicable to specific instances where the OMD is in the form of Advertisement pasted directly to the surface of a structure e.g. pasted sticker on a vehicle, wall wrap.
- (2) This certification confers compliance of the design with relevant Indian Structural Design Standards, Codes of practice and conditions of this guide. The foundations shall be designed and checked for extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity etc.
- (3) The supporting structure shall have a non-reflective finish to prevent glare.
- (4) The OMD structure shall be well maintained. It shall be painted in colours that are consistent with, and enhance, the surrounding area.
- (5) Official road furniture such as official signs and delineator guide posts shall not be used as the supporting structure of an OMD.
- (6) The name of the OMD permission holder, Number of permission/ media device identification number etc. shall be placed in a conspicuous position on the OMD as may be notified by Municipal Council/ Committee from time to time.

5. Electrical Connections

- (1) Electrical connections to OMDs shall meet relevant Indian Standards.
- (2) Electrical connections to OMDs shall be designed to ensure there is no safety or traffic risk.
- (3) Electrical connections to OMDs shall be designed to be safe in the event of accidental knock down.
- (4) The registered agency is the power consumer and shall make application for power connection to obtain electricity connection from the respective electricity distribution company for illuminated display in his own name, for which Municipal Council/ Committee/ concerned land owning agency would provide necessary no objection certificate on the owner's request.
- (5) Any charges for power connection and supply shall be incurred directly by the registered agency. A copy of the electricity supplier's letter of acceptance/ billing arrangement shall be submitted to Municipal Council/Committee.
- (6) The electrical installation work shall be performed by a licensed electrical worker in accordance with the relevant Electricity Regulation and, the Wiring Rules and the relevant electricity supplier's requirements.
- (7) Adequate insulation and protection equipment and procedures shall be in place to protect maintenance and service personnel working on either the OMD or the road lighting circuit. For earthing, a separate earth electrode shall be used, and active and neutral conductors shall be used only for supply from the supply point.
- (8) A sketch plan shall be submitted to Government Authority showing the location from where the electricity is being drawn along with position of various other ancillary requirements, duly signed by a qualified electrical engineer practicing in same field.
- (9) A copy of the electrical contractor's test certificate shall be provided to Municipal Council/ Committee. The switching device shall be of a type approved by the electricity supplier. Electrical components shall accord with relevant Indian Standards.

6. Miscellaneous

- (1) OMDs involving communication through sound, smell, etc. are not permitted.
- (2) No generator running on diesel/ petrol/ kerosene or any bio fuel, causing noise, air or water pollution would be allowed for providing power for illumination of any OMD.

7. List of Non Permissible Outdoor Advertisement

- (1) Advertisements affixed on public property by pasting.
- (2) Banners.
- (3) Advertisement by way of pasting on Pillars/ Pylon.

8. OMDs on Public Transport Services/ Street Furniture (Typology 'A')

(1) Bus and Intermediate Public Transport (IPT) Shelters

Serial	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)
No.		
1.	OMDs at the roof of shelter	i. One front panel - 9 x 0.3
		ii. $2 \text{ side panels} - 3 \times 0.3$
2.	OMDs at structure of shelter	i. One back panel parallel to road – 9 x 1.2
		ii. One pole mounted back lit panel – 1.8 x 1.2

- (i) The approach end of passenger transport shelter shall be open to provide waiting passengers with maximum visibility of the approaching passenger transport vehicle.
- (2) Bus and Intermediate Public Transport (IPT) Route Marker.

Serial	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)
No.		
1.	OMD space on both side of	i. 1.2 x 2.0 (height)
	Route Marker	0.2 x 2.0 shall be reserved for bus related information
		on both side

- (3) Advertisement regulation criteria for Foot Over Bridges.
 - (i) The advertisement shall be permitted only of transparent nature, on inside wall of pathway and with maximum height of 0.75 meter from the top surface of pathway. In all circumstances, the activities happening on pathway shall be clearly visible to public from all sides.
 - (ii) The advertisement visible from road shall be permitted on the side of the Foot Over Bridge in the opposite direction to the direction of traffic.
- (4) Public Toilet block and cycle station.

Serial No.	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)	
1.	Maximum space for OMD on surface.	 Seventy percent of total surface area of block. Additional back lit panel of at least 1.8 x 1.2 with city map/ neighbourhood map/ route map shall also be provided. 	
2.	 In no case the height of OMD shall be above the parapet of structure. In case of public toilets water storage tanks shall be properly concealed and shall not be visible to public. 		

(5) Public Utility Furniture- Booths (e.g police booth, telephone booth, etc.)

Serial	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)
No.		
1.	Maximum space for OMD on	Seventy percent of total surface area of three sides of
	surface.	Booth.
		OMD on back side of booth is not permitted.
		OMD on glass surface (For light and ventilation) of
		booth is not permitted.

(6) Public Utility Furniture- Sitting Benches and Garbage Bins

Serial No.	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)
1.	Maximum space for OMD.	 Percentage of total surface area decided by Municipal Council/ Committee. OMD shall be facing pedestrian pathway only.

General Note:

- (i) The OMD panels shall be backlit without additional projected brackets (except sitting benches and Garbage bins).
- (ii) Non static illumination, neon, changing LEDs, changing of illumination color, flashing lights are not permitted.
- (iii) To be developed preferably on BOT basis, where BOT is not possible or for existing infrastructure, the advertisement space to be bid out with maintenance of amenity as an obligation on the bidder.
- (iv) Ventilation and natural lightning of structure shall not be compromised for installation of OMD.
- (v) Locations of Bus and IPT Shelter, toilet block, cycle station, utility booths and public utility sitting bench shall be identified by Municipal Council/ Committee.
- (vi) The OMD shall not cause any hindrance to the flow of vehicular and pedestrian traffic.

9. OMDs on Public Transport System (Typology 'A')

- (1) In public transport system, OMDs are permitted on rolling stocks, stations, shelters, Foot-Over-Bridges and other properties (except Metro structural pillars/ columns).
- (2) OMDs on metro stations, shelters, foot-over-Bridges and other properties shall be installed as such that it does not face the direction of incoming traffic (i.e. OMD be installed on other half side of road) on the public road.
- (3) The location of OMDs shall be identified by the person, Company, Board or statutory Authority operating the public transport system with the approval of the Municipal Council/ Committee. These shall be identified on case to case basis.
- (4) The OMDs permitted shall follow the specification stated in the bye-law, as per typology and shall get audited by 3rd party only indulged in consultancy over road safety. In no case the 3rd party (or its sister company) shall be indulged in advertisement display business

(5) Traffic barricading

Serial	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)
No.		
1.	Maximum space for OMD on	• Maximum length – 0.6
	both side of barricade	Maximum Height – 0.3

10. Typicaladvertising device dimensions for Typology 'B' and 'C' OMDs (except Wall Wrap).

Type	Dimensions	Remarks
	(in meters)	
Standard		Can be Placed at Drivers Eye Height, which shall not disrupt any
OMDs	4.6 x 3.05	pedestrian movement.
	6.1 x 3.05	Shall not come under direct horizontal vision of Drivers eye. Bottom of the
		advertisement panel should be minimum 3m above the adjacent road edge
		and foundation pole shall be away minimum 10metres from road edge.
Unipole	4.5 x 2.25	Road with not less than 45 meters Row with minimum offset from paved
and Large	5.0 x 2.5	road edge 10m
Size	7.6 x 3.8	Road with not less than 60metres ROW with minimum offset from last
Billboards		paved road edge un-signalized intersections or roundabouts. Face not
		towards fast moving road traffic or along access controlled road/highways.
	10.0 x 5.0	Strictly in Pedestrian and Parking/ Market areas only.

- (1) Municipal Council/Committee shall ensure that aforesaid sizes are used increasingly to bring more aesthetics in the City. The Registered Entities shall use the aforesaid standard dimensions.
- (2) Where no or little construction has happened in such cases only the unipoles and billboards of sizes specified above shall be permitted.
- (3) Gantries shall be permitted only on municipal road with divided carriageway for welcome signs and social messaging by Municipal Council/ Committee. The sponsor OMD shall be put up on other side of the gantry i.e. opposite side of the incoming traffic. The clear distance between the road and lowest surface of gantries shall not be less than 8 metres. The maximum height of OMD permitted on gantry is restricted to 1 meter.
- (4) On vacant OMDs, mobile numbers covering the whole space shall not be permitted. Mobile numbers shall be provided in $1/10^{th}$ of total space of OMD.

11. Maximum Permissible area for on premises advertisement.

(1) The maximum permissible area available for on premises (including buildings and land) advertisement on each face of the building, visible from public street/ road shall be as per table given below:

Serial No.	Type of building	Maximum permissible area (on each face of the building) of the total area.
1.	Shopping mall, Corporate Office, Shop/ shopping complex	20%
2.	Self-employed office i.e. Self-advertisers (Office/ Shop Signage)	2%

- (i) Wall wraps shall allow natural light in the building by having material with 75% transparency.
- (ii) The height of OMD is restricted in accordance to the height of building, which is as under:

Serial No.	Height of Building (in metres)	Maximum height of OMD
1.	Upto three Storeys (upto 15 metres)	8 metres
2.	Four to Eight Storeys (15 to 36 metres)	12 metres
3.	Above Eight Storeys (above 36 metres)	15 metres

Provided that no openable door/ window shall be covered. Further, the advertisement shall not disturb the basic architectural character, features (i.e. arches, columns, niches, projections, etc.), standard façade (approved by authority) and shape of building.

12. OMDs for Events (Typology 'D')

- (1) These OMDs shall be installed only for events such as conferences, entertainment events, exhibitions, etc. and only on temporary structures permitted by Municipal Council/ Committee.
- (2) These OMDs shall not violate any of the provision of this bye-law.
- (3) These OMDs shall be permitted to install 30 days prior to the event and shall be removed within 24 hours of finishing of event.
- (4) OMDs mentioned under **Typology-D1** shall be exempted from registration and payment of fees/charges.
- (5) OMDs mentioned under **Typology-D2** shall pay fee as decided by Municipal Council/ Committee, but are exempted from registration process.
- (6) Penal charges for violating provision of bye-law and not removing OMD after finishing of event shall be applicable on all OMDs defined under **Typology-D** and shall be charged on daily basis as decided by Municipal Council/ Committee.

13. OMDs for Landscape Advertisement (Typology 'E')

- (1) Landscape OMDs are permitted on only Tree guards, to cover trees less than 3 years old and/ or height less than 4 metres.
- (2) The tree guard shall be of square size with 1.2 to 1.5 metre side and height of 1.5 metres.

Serial	OMD Feature	Maximum permitted size (in metres)
No.		
1.	Maximum space for OMD shall be square plates on each side of guard	 Maximum length – equal to the width of guard Maximum height – 0.9 The bottom of OMD shall be 0.3 metre high from the ground.

14. Self Advertisements (Typology 'F')

- (1) The content of self-advertisement is permitted only to the extent of office/ shop signage by the owner of the office/ shop. No third party advertisement shall be permitted on/ along self-advertisement.
- (2) Self-advertisement is permitted only on 2% of the total area of facia/ facade of the building, in form of bill board, walls wrap. If the owner utilizes more than 2% of total area for self-advertising, then it shall be considered under categories defined in **Annexure-5** and accordingly applicable fees/ charges shall be levied.
- (3) In case of shops, the height of self-advertisement board is limited to one metre and width shall be limited to width of building, installed above the lintel height of shop. In shopping complex, all shops shall maintain the uniformity in clear height of self-advertisement board.
- (4) The self-advertisement board shall not project beyond 150mm from the face of building.

- (5) Self-advertisement by hawkers on stationary kiosk or handcart is limited to 3 square metres with dimension of 3 metres x 1 metre.
- (6) Self-advertisement for rickshaw is limited to 1.5 square metres with 1 metre x 0.5 metre panel of back and both side of rickshaw.
- (7) Ground OMD shall not be permitted on ROW and pedestrian pathway.
- (8) Size of ground OMD shall be 0.3 square metres for every meter distance away from ROW, with maximum size limited to 2 square metres with size 2 metre x 1 metre.
- (9) On petrol pumps, only self-advertising of Oil Company's Product or public messages are permitted, as per contract agreement between the Oil companies and distributors. 3rd party commercial advertisement is not permitted.

15. Innovative OMD's (Typology 'G')

- (1) Specific permission shall be required to be obtained for Innovative OMDs such as LED, LCD, inflatable or Gas Balloon and other such media.
- (2) This approval shall be for specified duration, and shall be in terms of **bye-law 6**.
- (3) While driving the drivers glance from road to read the content of sign, and then glance back on road. LED signs (without colour changes) are acceptable format of advertisement on building façade, since these are expected to be representing specific brand names and do not contain high visual information.
- (4) LCD / LED screens which typically contain high graphic and visual images shall be restricted to market areas, parking places, parks, walkways, primarily not facing vehicular movement of traffic.
- (5) Use of OMDs for distribution of Wi-Fi hotspots, mobile telephony antennae/ towers shall be permitted, based on specific project report.
- (6) Besides aforesaid, other criteria shall be:
 - (i) Frequency and extent of movement and colour change within a display.
 - (ii) OMD shall be installed only where the required sign viewing time does not result in a safety problem for the particular environment.
 - (iii) There is adequate advance visibility to read the sign.
 - (iv) The environment is free from driver decision points and there is no competition with official traffic signs.
 - (v) The device is not a moving Outdoor Media Device.
 - (vi) Long duration display periods are preferred in order to minimize driver distraction and reduce the amount of perceived movement. Each screen shall have a minimum display period of 8 seconds. The time taken for consecutive displays to change shall be within 0.1 seconds.
 - (vii) The complete screen display shall change instantaneously. Methods of display change such as 'fly in' or 'scroll', or any other type of message change, are not recommended.
 - (viii) Sequential message sets are not allowed.
 - (ix) The time limits may be reviewed periodically.
- (7) The gas balloons or inflatable OMDs shall be granted permission on following criteria, namely:-
 - (i) The gas balloons OMD shall be installed/ hooked in open area and to the ground with fixed anchor.
 - (ii) NOC shall be taken from Fire Officer, with regard to its fire safety.
 - (iii) Gas balloons OMDs are not permitted near/ around high rise building/ high voltage lines/ electricity towers and its distance from the nearest building/ High Voltage lines/ electricity towers shall be 1.5 times the total height of gas balloon.
 - (iv) Inflatable OMDs shall be inflate with air (any kind of gas is not permitted).
- (8) The policy shall be open for adopting new technologies provided they do not contravene any general permission criteria, and shall also be approved by the Municipal Council/ Committee. The permission shall be taken from the Municipal Council/ Committee before implementing any such mediums.

16. OMDs inside commercial and public building (Typology "J")

- (1) All OMDs installed within a premises (not facing any public street/ road), for display to users of building are required to obtain permission from Municipal Council/ Committee, on payment of applicable fees.
- (2) OMDS installed within premises not facing any public road/ street do not possess any distraction to moving traffic and therefore no parameters have been defined with respect to size and location of such OMDs.

- (3) In no case, such OMDs shall face to public view, traffic/ pedestrian from public street/ road and any adjacent building.
- (4) All such OMDs installed on columns, beams, ceiling, etc. via hanging cable or affixed shall comply with structural safety and other safety parameters to public.

Note: If an OMD installed within a premise and toward building within the premise, but also visible from buildings on adjacent plots, shall be considered under Typology-I, in following circumstances:

- i. The angle of OMD surface (Horizontal or Vertical) towards the building on adjacent plot shall be at 45 degree (±5% variation allowed);
- ii. The distance of OMD from the building on adjacent plot shall not be less than fifty metres.

17. Permission criteria

- (1) All on premises OMDs/ business/ trade signs shall be restricted to commercial areas and authorized business/ trade establishments within institutional areas.
- (2) OMDs are permitted to install at vacant plot, subject to fulfilment of conditions for permission and distance parameters specified in the bye-law are complied with.
- (3) OMDs are not permitted in residential areas. However, OMDs in commercial component (i.e. neighbourhood market place) in residential area are permitted. OMDs shall strictly face the market only and in no circumstance shall face residential area.
- (4) Illuminated-On premise OMD is not permitted in shops/commercial establishments facing residential areas on streets with width less than 12 meters.
- (5) No OMD shall be attached in any way to trees or shrubs.
- (6) No trade and business sign, messages, posters or printed material of any nature shall be pasted onto any supporting column, pillar or post.
- (7) On premise OMD in any form shall not obstruct any pedestrian movement (vertically and laterally), fire escape, door or window openings
- (8) On premise OMD shall not in any form or manner interfere with openings required for light and ventilation.
- (9) Under no circumstances shall on premise OMD be located to obstruct or alter the frontal silhouette of any transparent/ translucent surfaces/ openings.
- (10) Non-illuminated transparent/ translucent signs shall be permitted on transparent/ translucent external surfaces at any level, subject to heigh defined in clause 11 of schedule 11,
- (11) No trade and business sign shall be in any form or manner interfere with fire safety transit/ exit space requirements and prescribed norms.
- (12) All on premise Outdoor Media Device shall under no circumstances reflect activity/ activities other than those undertaken within the premises (for self advertising only).
- (13) No OMD shall contain additional Advertising -promoting products or services other than approve use of the premises or site irrespective of whether that product or service is provided, sold or available on the site (for self advertising only).
- (14) All on Premise OMD shall have the compulsory required information as under:
 - (i) Name of the trade and business
 - (ii) Shop/Premise number
- (15) All on premise OMD shall conform to the prevailing laws with regard to decency, decorum, social harmony etc.
- (16) All the OMD shall be visually interesting and exhibit a high level of design quality.
- (17) All on premise OMD must conform to structural/ architectural discipline of the surface/ edifice/ building/ open areas.
- (18) The scale and location of a sign shall be compatible not only with the building to which it is affixed but also take into consideration nearby buildings, streets and existing signs.
- (19) Materials used in all on premise OMDs shall be non-polluting, fire resistant and injury proof.
- (20) Any new sign Media Device shall consider existing signs on a building, site or adjoining streetscape to ensure that the sign does not give rise to visual and/ or physical clutter.
- (21) The cabling and conduit shall be concealed from view of the sign and any supporting structure from all angles, including visibility from the street level and nearby higher buildings and against the skyline.

- (22) No sign under any circumstances shall be supported from, hung or placed on other signs. Each sign shall be self-supporting or fixed securely with the architectural structure.
- (23) Signs painted on or applied on the roof of a building are not permitted. Signs built and/ or suspended from the roof at the roof level are also not permitted.
- (24) OMD on the rooftop of building is not permitted.
- (25) OMD on building surface in no circumstance shall project beyond the width of building.
- (26) OMDs shall not be put up on overhead traffic signs, ground mounted traffic signs, overhead traffic signals, and ground mounted traffic signals.
- (27) OMDS are not permitted on telephone/ electric poles/ transformers/ High Transmission line towers.
- (28) OMD shall not be allowed to install within One Hundred meters of a construction zone of roadwork site, where construction is going on.
- (29) The sign information shall be kept to a minimum in the interest of both aesthetics and traffic safely.
 - (i) Where subordinate information is allowed, the name or use of the business shall be the dominant message on the sign- No supplementary (as in bylines, product specifications, and selling propositions) and subordinate information (addresses, telephone numbers, and other such details) which seeks the attention of drivers along vehicular stretches shall be allowed as they present a traffic hazard.
 - (ii) Sign shall be non-reflective such that they do not flash or glare at drivers on the streets. Signs shall not use reflective surfaces as mirror foils etc. as the use of such material are visually disruptive to traffic and may be hazardous to oncoming drivers.
 - (iii) All permitted signs shall attract levies payable as outlined by the Municipal Council/Committee.
 - (iv) In no case, OMD shall project over the ROW and pedestrian pathway.
- (30) Where these bye-laws are silent, provisions stated in IRC-46-1972 "A Policy on Roadside Advertisement" shall be referred.

18. Acknowledgement OMDs.

- (1) Acknowledgment OMD shall not contain contact information, directions, slogans, telephone numbers, or internet addresses. It shall have their acknowledgment logo placed on an Acknowledgment OMD. The acknowledgment logo shall be less than 1/3 of total OMD surface area specified below.
- (2) Acknowledgment OMD on green lawns, landscaped islands, pedestrian/ cyclist pathway and central medians shall be restricted to 0.2 square metres area plate, and their spacing shall not be less than 15 meters at a road
- (3) With speed less than 50km/h. If it is on roundabouts then spacing along installed perimeter length shall be taken and standard dimension board of 800mm and 250mm shall be installed. The installed sign shall not obstruct the view of any directional/diversion/warning sign. Such signages are qualified as Acknowledgement Signs and shall contain acknowledgement of sponsor only and no third party advertisement shall be permitted.
- (4) Acknowledgement sign shall not be installed on the front or back of, adjacent to, or in close proximity to any other traffic control device, including traffic signs. At key decision points where a road user's attention is more appropriately focused on other traffic control devices, roadway geometry, or traffic conditions, including exit and entrance ramps, intersections, highway-rail grade crossings, toll plazas, temporary traffic control zones, and areas of limited sight distance. The minimum spacing between acknowledgment signs shall not be less than 25 metres at a road with speed less than 50 km/hr.
- 19. Marquee OMD (Hangs from canopy projecting from the building) shall not be more than 2 meters in height and its bottom shall be 2.5 meters above the footpath.

ANAND MOHAN SHARAN, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.